खण्ड-302, अंक-1
गुरूवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1894
(8 मार्च, 1973 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 302 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## बृहस्पतिवार 8 मार्च, 1973

---

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य—374

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दिक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री.
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उफ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के0 एस0 मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जदेव', श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीप नारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री

रामनगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमण स्वरूप श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिव दास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण वाजपेयी, श्री

श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सन्तोष कुमारी , श्रीमती
सैयद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबे दार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल बुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण , श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट:---पंचायती राज मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मंत्री श्री पी० डी० टण्डन भी उपस्थित थे।

---

## प्रश्नोत्तर

**वृहस्पतिवार 8 मार्च, 1973**

## अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

### पुलिस अधीक्षक तथा सी०,ओ० तिलहर, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायत तथा जांच समिति गठित करने का सुझाव

**1---श्री राम विलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़), श्री राजित राम पाण्डेय--(जिला इलाहाबाद), श्री ऋषिपाल सिंह (जिला बदायूं) तथा श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर के चार विधायकों और दो भूतपूर्व विधायकों ने राज्यपाल, मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री, गृह सचिव व आई० जी० पुलिस से लिखित शिकायत 1 जून, 1972 से 20-10-72 तक अनेक बार की है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान पुलिस अधीक्षक और सी० ओ०, तिलहर से उपरोक्त विधायकों और भूतपूर्व विधायकों की जान का खतरा है? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त विधायकों के इस खतरे से बचाव हेतु क्या कार्यवाही की ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

दिनांक 2-6-72 से 20-10-72 के बीच तीन विधायकों और एक भूतपूर्व विधायक के शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिसमें से एक विधायक ने शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक और सर्किल अफसर तिलहर से तथा एक भूतपूर्व विधायक ने पुलिस अधीक्षक से जान के भय होने की आशंका प्रकट की। जांच से भय की आशंका निर्मूल पाई गई फिर भी इस सम्बन्ध में समुचित निदेश दे दिये गये हैं।

श्री राम बिलास पांडेय---

क्या गृह मंत्री जी माननीय केशो सिंह और माननीय राममूर्ति अंचल ने जो पत्र लिखे हैं उनको पढ़ने का कष्ट करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, श्री केशो सिंह और श्री राममूर्ति अंचल ने जो पत्र गृह मंत्री जी को लिखा है वह यह है :

शाहजहांपुर जिले के निर्वाचित जन प्रतिनिधि होने के कारण हम अपना यह कर्तव्य समझते हैं कि आप को शाहजहांपुर जिले की विशदग्ध परिस्थिति से अवगत करावें। आपस में तथा जनता में घृणा या द्वेष अधिक न फैले इसलिये यह पत्र आपको गोपनीय रूप से दे रहे हैं। आशा है आप हमारी भावना को ध्यान रखेंगे तथा हमारी जानकारी को अपने साधनों से पुष्ट तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

जब से शाहजहांपुर में श्री रामकिशोर मिश्र पुलिस अधीक्षक नियुक्त हुये हैं धीरे-धीरे वहां की सुरक्षा व्यवस्था भंग होती जा रही है। पुलिस के थाना इंचार्ज जनता की नहीं सुनते। दुर्व्यवहार करते हैं। गुंडा तत्त्वों को प्रोत्साहन अत्यधिक प्राप्त है। गुंडों की लूटपाट के साथ ही पुलिस की लूट तथा अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है।

अधीक्षक महोदय पुलिस के चाटकार थानेदारों को इस कार्यों में प्रोत्साहित करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। जनता की शिकायत बिल्कुल नहीं सुनते। देहाती क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मची हुई है। रात्रि जागरण तो सामान्य बात है ही अत्यन्त दुख निन्दनीय और कलुषित बात तो यह है कि अधीक्षक महोदय जातिवाद से ग्रसित हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ जातीय जनप्रतिनिधियों को न केवल प्रोत्साहन देते हैं अपित अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जनता में पुलिस के द्वारा पक्षपात प्रोपेगन्डा तथा गुंडा तत्त्वों को समर्थन करते हैं। राजनीति में कुछ को पोषण तथा अन्य का शोषण खुल कर कर रहे हैं। इन बातों को विधान सभा या समाचार पत्र में देने से प्रदेश तथा जिले का वातावरण अत्यन्त दूषित हो जावेगा। अतः आपको लिख रहे हैं। अच्छा तो यही है कि अधीक्षक महोदय को तुरन्त ही उस स्थान से हटा दिया जावे तथा पुनः कभी ऐसे जुम्मेदार पद पर नियुक्त न किया जाय।

दूसरा पत्र श्री सुरेन्द्र विक्रम का श्री राज्यपाल को है। इसमें लिखा है :

निवेदन यह है कि जब मैं 2-8-72 को आपसे मिला था तो मैंने शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक के विषय में भी आपको अवगत कराया था और आपसे यह प्रार्थना की थी कि शाहजहांपुर में इस समय चोरी, डकैती कत्ल आदि की वारदातें बढ़ गयी हैं और पुलिस निष्क्रिय है जिससे जनता को भयानक परेशानी है।

श्री अध्यक्ष---

क्या पूरा पत्र पढ़ेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

सदस्य को जानकारी है लेकिन हुक्म हुआ इसलिये पढ़ रहा हूं।

श्री रामबिलास पांडेय---

भूतपूर्व विधायक का भी पढ़ दें ?

श्री अध्यक्ष---

आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है।

श्री रामबिलास पांडेय---

क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि किसके द्वारा जांच कराई है। चार-चार विधायकों के जान से मारे जाने का खतरा है तो कौन से अधिकारी से जांच कराई गई कि सरकार संतुष्ट है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, डी0 आई0 जी0 से इसकी जांच कराई गई है और उन्होंने इस प्रकार के किसी खतरे का संकेत नहीं किया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

जब चार विधायकों ने यह लिख कर दिया है कि उनकी जान को सिर्फ इसलिये खतरा है क्योंकि वह विधायक हैं और सार्वजनिक जीवन में दखल रखते हैं तो एस0 पी0 के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

यह बात सोचने की है कि इतने विधायकों ने कहा कि हमारी जान को खतरा है और फैसला कोई दूसरा करे कि खतरा नहीं है। खतरा तो खुद के जानने की बात है। या तो आप विश्वास करें या अविश्वास करें। यह उत्तर मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि उन्होंने जान का खतरा होने की आशंका प्रकट की है और जांच से आशंका निर्मूल पायी गयी यह आपने जवाब में कहा। हम लोगों का कायदा यह है कि सदन में जो सदस्य हैं उनकी इज्जत इसमें रखनी चाहिये कि जो भावना वह प्रकट करते हैं वह सच्ची है। अगर उनको शक इस बात का है तो आप जो कार्यवाही उचित समझें वह करें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जिस बारे में माननीय सदस्यों या भूतपूर्व सदस्य ने शंका प्रकट की है उसके बारे में पुलिस उप महानिरीक्षक को निदेश दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष---

क्या आपने कोई कार्यवाही की जिससे उनकी सुरक्षा हो ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

उसके लिये जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन को निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

पुलिस कप्तान से खतरा है और उसी को आप लिख रहे हैं कि आप उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करें।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप बहस कर रहे हैं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

जब स्पष्टतया चार विधायकों ने सूचित किया है कि यहां के एस० पी० से उनकी जान को खतरा है तो क्यों जिलाधिकारियों को उनकी सुरक्षा प्रदान की गयी ? क्यों नहीं यहां से व्यवस्था की गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

शंका निर्मूल थी, डी० आई० जी० की रिपोर्ट है। वह एक ऐसे पुलिस अधीक्षक है जिनको कर्तव्य परायणता के लिये प्रशंसा-पत्र भी मिला है। विशेष कोई और कारण हो सकता है मैं नहीं कह सकता। फिर भी जिलाधिकारियों को, डी० आई० जी० को, इन सब को आदेश दे दिये गये हैं कि इस बारे में वह सतर्क रहें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न की गंभीरता को देखते हुये उन माननीय विधायकों को अपने पास बुला कर जो उनके सुझाव है उनके आधार पर कोई आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

माननीय सदस्यों से मेरा इस सम्बन्ध में वार्ता भी हुई है। वह पुलिस अधीक्षक का वहां से स्थानान्तरण चाहते हैं। उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हो भी रही है।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)---

मै माननीय मंत्री जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि कल ही इस सदन में शोक प्रस्ताव मिश्रा जी के बारे में हुआ था और आपने भी यह संकेत किया था कि पोलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, इनको रोकने के लिये सरकार कदम उठाये। लेकिन आज इस जवाब से मुझे लगता है कि सरकार की आंखे नहीं खुली हैं। जब चार विधायकों ने एक बात लिखी है तो क्या वजह है कि आप वहां से एस० पी० साहब का तबादला करने को तैयार नहीं हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैंने पहले ही कहा कि उनके स्थानान्तरण की मांग माननीय सदस्यों ने की है। उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार इस प्रश्न की गंभीरता को देखते हुये इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी वहां भेज कर इस मामले की पूरी जांच कराने के लिये तैयार है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इस कमेटी द्वारा जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि माननीय सदस्यों ने कुछ इसलिये विरोध किया कि किसी का कोई काम नहीं बन सका..... (व्यवधान-शोर)

श्री कल्पनाथ सिंह---

इस तरह के जवाब से काम नहीं चलेगा। यह डी० आई० जी० की रिपोर्ट को ही सही मानते है। (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

डी० आई० जी० की रिपोर्ट में जो आरोप निराधार पाये गये है, क्या मंत्री जी उनकी रिपोर्ट को, उसके मुख्य भाग को, पढ़ने की कृपा करेंगे ? (व्यवधान)

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

डी० आई० जी० की रिपोर्ट को मैं पढ़े देता हूं "श्री केशवचन्द्र सिंह विधायक मुझसे 3-9-72 को शाहजहांपुर में टैक्सीवालों के मामले के संबंध में मिले थे। उन्होंने श्री हरपाल सिंह, भूतपूर्व एस० ओ० थाना जलालाबाद जिला शाहजहांपुर की शिकायत की थी। मैंने उनको बतलाया था कि सब इन्सपेक्टर हरपालसिंह का थाना जलालाबादसे स्थानान्तरण होगया है और उनका तबादला जिले से भी हो जायेगा। पुलिस महानिरीक्षक ने मुझे बताया था कि उनका तबादला बरेली रेन्ज से बाहर करने का आदेश जारी करेंगे। अगर उनका तबादला बरेली रेंज से बाहर नहीं हुआ तो मैं उनका तबादला शाहजहांपुर से बरेली रेंज के किसी अन्य जिले में कर दूंगा। श्री केशवचन्द्र सिंह विधायक पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से सब-इन्सपेक्टर हरपालसिंह के मामले को लेकर ही अप्रसन्न हैं। श्री राममूर्ति अंचल, विधायक, मुझे अचानक लखनऊ सचिवालय में मिल गये थे और मैंने उनसे हाल-समाचार पूछा तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक श्री मिश्रा की शिकायत की कि वह पंडितों का पक्षपात करते हैं और विशेष तौर श्री बी० पी० मिश्रा का जो थाना शेरामऊ दक्षिण के इन्चार्ज हैं, की शिकायत की परन्तु सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध कोई विशेष उदाहरण नहीं दिया।

(व्यवधान)

मैं शाहजहांपुर का समय समय पर दौरा करता रहता हूं। टैक्सी वालों की जांच के संबंध में 3-9-72 को मुझ से लोग मिले और उस केस के अलावा भीमैंने जिले के हालत के सबन्ध में जाँच की। जिले की हालत बहुत अच्छी चल रही है। अपराध की स्थिति भी निमन्त्रण में है और शान्ति व्यवस्था भी ठीक है, बल्कि इस साल जिले में बहुत अच्छे कार्य हुये हैं, डाकुओं के गिरोह नष्ट किये गये हैं, कई अस्लाह और कुछ अस्लाह बनाने की नाजायज फैक्ट्रीइत्यादि पकड़े गये हैं, पुलिस और जनता का सम्पर्क बढ़ाने के लिये पुलिस अधीक्षक और अन्य राजपत्रित अधिकारियों ने कई सभावों का आयोजन किया है, मैंने स्वयं ऐसी कुछ सभावों को सम्बोधित किया है और क्षेत्र के वरिष्ठ व मान्य लोगों को भी विचार विमर्श करने का अवसर दिया है। यह बात असत्य है कि थाना इन्चार्ज जनता की नहीं सूनते हैं या उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, यह बात भी असत्य है कि पुलिस अध्यक्ष जनता की नहीं सुनते हैं या देहात मे त्राहि त्राहि मची हुई है, यह बात असत्य है कि पुलिस अध्यक्ष जाति वादसे ग्रसित है या पक्षपात करते हैं। एस० आई० पी० बी० मिश्रा, एस० ओ० शेरामऊ साउथ, की जो श्री राममूर्ति अंचल ने शिकायत की है कि वह जातिवाद चला रहे हैं उनकी भी मैंने गोपनीय जांच की तो पता चला कि वह अच्छा काम कर रहें हैं और कोई पक्षपात नहीं करते .....

यह रिपोर्ट है मान्यवर, उनकी।

(अनेक आवाजें--बस बस रहने दीजिए, बहुत हो चुका है, इसे पढ़ा हुआ मानों)

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित कुछ विधायकों ने अपनी जान खो जाने के भय का जिक्र किया है उसकी आपको जानकारी हुई है कि जो शिकायत की गई है वह निर्मूल है। आपने इस संबंध में बहुत से पत्रों को भी पढ़ कर सुनाया। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक और दूसरे अधिकारियों द्वारा तो आपने जांच कराई, किन्तु चूंकि यह विधायकों का मामला था, इसलिये आपने बजाय विभाग के क्या कोई अपनी तरफ से जानकारी करने की कोशिश की? आपने कथा को तो पढ़कर सुनाया है, किन्तु क्या आपने भी इसकी वास्तविकताओं को जानने का प्रयास किया है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

कथा तो आपने जो आदेश दिया, वह पढ़ी है। मैंने वहां के जिलाधीश से भी इस संबंध में बात की और आई० जी० से भी बात की इसकी जानकारी ले कर आप बतावें।

उन्होंने बताया कि इस तरह से विधायकों की जानमाल का कोई खतरा नहीं है। कुछ ऐसे मतभेद हैं, जिनकी वजह से वे पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वयं मंत्री जी ने और आई० जी० ने कई बार उस पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण करने के लिये अपनी संस्तुति दी थी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मैंने तो व्यक्तिगत रूप से कोई संस्तुति नहीं दी। आई० जी० के बारे में जानकारी नहीं है। यों आई० जी० तो स्वयं ट्रांस्फर करने वाले हैं, उनके लिये संस्तुति करने का प्रश्न नही है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

श्रीमन्, इस मसले की गम्भीरता देखते हुये और यह देखते हुए कि आई० जी० द्वारा की गई जांच से यह सदन सन्तुष्ट नहीं है, क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि आपके इस सदन के माध्यम से मेम्बरों की एक समिति का निर्माण किया जाय, जो इस मसले की पूरी जांच करे।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण --

मान्यवर, आपके निर्णय को तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता है। लेकिन मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं, मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष--

इस पर बहुत से प्रश्न हो चुके हैं और सदस्यगण उत्तर से सन्तुष्ट नहीं प्रतीत होते। मैं भी उससे सन्तुष्ट नहीं हूं। इसलिये इसे नियम 49 में लिया जाय, ऐसे मैं समझता हूं--

श्री कल्पनाथ सिंह--

जैसा कि श्री शिवराज सिंह जी ने कहा आप इस सदन के सदस्यों के सम्मान को रक्षा के लिये इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी गठित कर दें, क्योंकि सदन में डी० आई० जी० की जो रिपोर्ट पढ़ी गई है, आप स्वयं भी उससे सन्तुष्ट नहीं होंगे। उस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसलिये हम लोगों की मांग है कि इस मामले में आप सरकार को बाध्य करें या स्वयं अपना आदेश देकर इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी इस मामले की जांच के लिये गठित कर दें।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर शोर)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह सुझाव अच्छा है माननीय कल्पनाथ सिंह और माननीय शिवराज सिंह का। आप इसको स्वीकार कर लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

वह बोल रहे हैं उनको खत्म कर लेने दीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं कल्पनाथ सिंह जी के सुझाव का स्वागत और समर्थन करता हूं। आप इस सदन के सब दलों का एक एक प्रतिनिधि लेकर एक समिति का गठन कर दें। वह जांच कर दे और तथ्य आपके सामने आ जाय।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको रास्ता बता दिया । अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज हो, एक कमेटी ऐसी बना दें तो यह चीज हो सकती है लेकिन आप 49 में मेरे पास भेज दीजिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसमें 49 की जरूरत है कहां ? एक ही सवाल है । जब आप मानते हैं तो कमेटी बन सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक है लेकिन बात यह है....

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

मंत्री जी को विरोधी दल के लोगों को बुला कर कमेटी में मेम्बरों को नामजद कर दीजिये ।

श्री त्रिवेणी राय—

मान्यवर, एक व्यवस्था दें । व्यवस्था का सवाल यह है । आये दिन सदन में यह घटनायें सामने आती रहती हैं । आप सदन के रक्षक हैं । आप जानते हैं कि तीन–चार घटनायें इस बीच में घटित हो चुकी है, हमारे एम0एल0ए0 लोगों का मर्डर हो गया । आप बताइये आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं । सदन आपके नेतृत्व में काम कर रहा है । इस पर आप कोई ठोस व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था दे चुका । वह कायदे के हिसाब से है । इसमें सीधा लिखा है—

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

चूंकि सदन के सदस्यों को सुरक्षा आप प्रदान करेंगे इसलिये आपसे निवेदन है कि आप अपनी तरफ से एक कमेटी कठित करें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें । 49 आप सुन लीजिये । "(1) अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर जो सदन में हाल में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिये आधे घंटे का समय नियत कर सकेंगे ।

(2) जब तक अध्यक्ष अन्यथा निवेश न दें यह नियतन साधारणतया सदन के उपवेशन के दौरान में किसी मंगलवार या वृहस्पतिवार के लिये सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त किया जायेगा ।" (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह नियम 49 हमने पढ़ रखा है, वह तो आप तैयार है । इसमें मांग दूसरी है ।

(शोर)

श्री रामबिलास पांडेय—

आप नियम 49 की बात कर रहे हैं.....

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप मेरी बात सुनिए। मै आपकी भावनाओं मे अच्छी तरह से परिचित हूं। मैंने शुरू में ही कह दिया कि जो उत्तर यह दिया है कि निर्मूल है वह मुझे जंचा नहीं क्योंकि जो आदमी खतरा महसूस करता है, सदन का सदस्य है तो उसके लिये आप कार्यवाही नहीं करते हैं बचाने की और उसकी हत्या के सम्बन्ध में डर है तो मैं समझता हू यह ठीक नहीं होता है। यह कहना कि डर निर्मूल है।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

राजनारायण की हत्या हो गयी पुलिस द्वारा। दो-चार हत्यायें और करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय 49 में आ जाय तो चर्चा हो जायगा और उस वक्त आप यह सुझाव दे सकते हैं कि एक समिति सदन की गठित कर दी जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वही सुझाव इधर से भी और उधर मे आज दिया जा रहा है तो आप इस समय ही क्यों नहीं सदन की एक समिति गठित कर देते ?

श्री अध्यक्ष—

अब हम आगे चलते हैं। आप इस पर 49 में ही चर्चा कर लें।

(व्यवधान)

श्री राम बिलास पांडेय—

49 में आधा घंटे की चर्चा होने से क्या लाभ होगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। कल 49 में यह आ जायगा।

(व्यवधान)

श्री राम बिलास पांडेय—

आधे घंटे की चर्चा से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिन सदस्यों की शिकायत है उनसे कुछ पूछा तक नहीं गया। आप डी० आई० जी० की झूठी रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सरकार ने एस० पी० को अभी तक निलम्बित नहीं किया। सरकार ने आपके संकेत के बावजूद इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी मुकर्रर करने की सहमति प्रकट नहीं की और सरकार ने इस मामले की जांच करने की बात को भी नहीं माना। इस जन विरोधी नीति के कारण हम लोग दो मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(श्री कल्पनाथ सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

इस हत्यारी सरकार का जब लोगों की हत्या कराने का ही इरादा है उसके विरोध में मैं तथा मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री रामधारी शास्त्री अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री धर्मवीर—

मुझे एक प्रश्न करने का मौका दे दें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

सरकार की इस नीति के बिरोध में हमारा दल भी सदन का त्याग करत। है।

(श्री हरिनाथ तिवारी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरा अनुरोध है कि नियंत्रण मुझे करना है न कि माननीय सदस्य को।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—

माननीय मुख्य मंत्री भी इस समय सदन में आ गये हैं। वे इस पर प्रकाश डाल सकेंगे।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्रकाश पड़ चुका है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मंत्री जी कुछ कह दें तो सदन आश्वस्त हो जायगा।

श्री बलबीर सिंह—

आप अगर समिति के गठन के लिये तैयार नहीं है तो मैं और मेरा दल भी उसके विरोध में सदन का त्याग करता है।

श्री अध्यक्ष—

सरकार स्वीकार नहीं कर रही है।

श्री बलवीर सिंह—

तो सरकार की इस नीति के विरोध में हम वाक आउट करते हैं।

(श्री बलबीर सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री बंशीधर पांडेय—

आपने स्वयं यह व्यवस्था दी है कि सदन में जो बात कही जाती है वह सही मानी जाती है। तो जैसी कि सदन के सभी माननीय सदस्यों की राय है मुख्य मंत्री अथवा गृह मन्त्री की अध्यक्षता में कोई कमेटी बन जाती जो सब तथ्यों की जांच करती तथा उचित कार्यवाही करती। यह राय इधर की तथा उधर के सभी सदस्यों की है। उसको न मानने से क्या फायदा है? मालूम होता है कि पुलिस और सरकर की नौकरशाही विधायकों और पोलिटिकल आदमियों को मारने की साजिश करती है। जैसे कि हमने अखबारों में पढ़ा कि राजनारायण जी की हत्या करने में पुलिस के सब इंसपेक्टर उसकी बीबी और लड़के आदि की साजिश थी। इसलिये इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं तुरंत इस एस0पी0 को निलंबित कर देना हिये और एक कमेटी बैठाकर इसकी जांच होनी चाहिये। इसमें क्या हर्ज है।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, इस प्रकार की कमेटी बनाने की कोई परम्परा नहीं है और कमेटी बनाने की बात हम स्वीकार नहीं कर सकते। जो शिकायतें आयी हैं, उनकी जांच हुई भी है और जांच की भी जायेगी। यदि उसमें किसी को निलंबित करने की बात होगी तो उस पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

## टनकपुर (नैनीताल) के हरिजन परिवारों का कब्जा वन विभाग की भूमि से हटाया जाना

** 2--श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद), श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)--

क्या यह सही है कि टनकपुर, जिला नैनीताल के करीब अभी हाल में लगभग 250 भूमिहीन परिवारों तथा हरिजनों की झोपड़ियों को पी0ए0सी0 ने जलाकर उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है तथा इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 150 लोगों द्वारा, जो अपने को हरिजन बताते थे, शारदा रेन्ज टनकपुर के अन्तर्गत आरक्षित वन में वन विभाग की भूमि पर दिनांक 3-12-72 को अतिक्रमण किया गया था। दिनांक 10-12-72 को वन विभाग के अधिकारी पुलिस को साथ लेकर घटनास्थल पर गये तो अतिक्रमणकारियों ने उन पर आक्रमण कर दिया, जिससे वन विभाग के आठकर्मचारियों को चोटें आई। इस घटना के संबंध में थाना टनकपुर धारा 447/147/148/149/342/332 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया। इसके बाद दिनांक 11-12-72 को परगनाधिकरी तराई, पुलिस अधिकारियों तथा फोर्स स हित घटना स्थल पर गये। परगनाधिकारी के समझाने-बुझाने और चेतावनी देने पर अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग की भूमि को खाली कर दिया। उक्त मुकदमें की विवेचना की जा रही है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी झोपड़ियां वहां से हटाई गईं जिन्हें कि ये अनधिकृत कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो इसमें लिखा हुआ है कि परगनाधिकारी के समझाने बुझाने और चेतावनी देने पर अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग की जमीन को खाली कर दिया।

श्री विश्व नाथ कपूर--

मान्यवर, झोपड़ियां कितनी थीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, झोपपड़ियां कितनी थी, इसकी निश्चित सूचना तो उपलब्ध नहीं है किन्तु 3-12-72 को इन लोगों ने वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया और वहां पर पेड़ों को काटना शुरू कर दिया तथा उस भूमि को खेती योग्य बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि इन्होंने झोपड़ियां आदि जलाई।

श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या मंत्री जी के पास यह सूचना नहीं है कि कितनी झोपड़ियां वहां से हटी। क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर कि वहां पर 250 हरिजनों की झोपड़ियां थीं जो कि पुलिस ने जबरदस्ती हटवाई है, किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, जांच तो इस पर हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया गया, पेड़ों को काटना शुरू किया गया और उस भूमि को खेती योग्य बनाने का प्रयास किया गया। जब वन विभाग के अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो परगनाधिकारी वहां पर गये। समझौता हुआ और वे हट गये। इन पर अभी जांच हो रही है और आवश्यक कार्यवाही करने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा--

माननीय मंत्री जी को यह मालूम होगा कि पिछला वर्ष रजत जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया गया और उसमें सरकार की ओर से यह घोषणा की गई कि सभी हरिजनों के लिए निवास और भूमि की व्यवस्था कर दी जायेगी। इस वर्ष जो हरिजन लोग कई वर्षों से उस स्थान पर अपना निवास बनाये हुये थे उन्हें बिना पूर्व सूचना के बेघर बना कर आज एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया कि वे कहीं के नहीं रह गये। तो सरकार ने पुलिस और अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की है ? और क्या कार्यवाही वह करने जा रहा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, शासन इस बारे में सचेत है और उनके निवास स्थान के लिये जमीनो का आबंटन किया जाता है लेकिन यह नहीं है कि उनके द्वारा वन विभाग की जमीन पर या अन्य किसी जमीन पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया जाय। अगर जोर जबरदस्ती से किसी जमीन पर कब्जा किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होनी चाहिये और ऐसा करने के लिये शासन बाध्य है। इन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे 8 पुलिस के सिपाही घायल हो गये और एक वन विभाग का अधिकारी भी घायल हो गया। फिर माननीय सदस्य कैसे समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन हरिजनों को वैकल्पिक जगह देने के पूर्व वहां से क्यों हटाया गया तथा हरिजनों को कब यह सूचना दी गयी कि बदले में अमुक स्थान दिया जायेगा और आप लोग इन स्थानों को खाली कर दीजिये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जिलाधीश अपने-अपने जनपद में उन हरिजनों के लिये जो जमीन उपलब्ध है या जो प्राप्त करके उपलब्ध की जा सकती है, उसके आधार पर हाउस साइट्स का अप्बंटन करते हैं। इन लोगों ने वन विभाग की जमीन पर अनधिकृत रूप से जोर जबरदस्ती से कब्जा कर लिया और वन सम्पदा को नष्ट करना शुरू किया तब प्रशासन को ऐसी कार्यवाही करनी पड़ी।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करगे कि ये हरिजन कितने दिनों से वहां बसे थे और क्या माननीय मंत्री जी को यह भी पता है कि काफी लोगों ने वहां पर बाहर से आकर

[श्री गंगा प्रसाद]

पंजाब से आकर कब्जा कर लिया जिनको हटाने की इस सरकार ने कोशिश नहीं की और इन हरिजनों को वहां से हटा कर उनको कहीं पर बसाने का कोई प्रबन्ध नहीं कर रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

कोई निश्चित तिथि तो नहीं दे सकता कि वे कब से बसे थे लेकिन जैसे ही इन लोगों ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया सरकार ने उनकी रोकथाम शुरू कर दी और जब वे बनों को क्षति पहुंचाने लगे तब उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उनको नहीं मालूम है कि वे कब से वहां से बसे थ, तो फिर किस कानून के अनुसार उनको जबरदस्ती वहां से हटवा दिया गया ? हटवाने से पूर्व उनको नोटिस तो होनी चाहिये थी ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कृपा करगे कि उनको हटाने के पहले कोई नोटिस दी गयी थी ? दूसरी बात यह कि इसकी जांच किसी दरोगा ने की या किसी उच्च अधिकारी ने की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जैसे ही सूचना मिली कि ये लोग वन विभाग के पेड़ों को काटना शुरू कर रहे हैं और उन्होंने काटना शुरू भी कर दिया तो तत्काल वन विभाग के अधिकारियों ने उनको ऐसा करने से रोका । इस पर उनके ऊपर उन लोगों ने घातक हमला किया तब जिलाधिकारी और पुलिस के आदमियों ने उनको रोका और उनको हटाने की व्यवस्था की गयी ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

यह बिलकुल झूठ है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है और यदि नहीं सूचना है तो मेरी सूचना को सही मानेंगे कि उन हरिजनों को पुलिस ने डंडों से मारा जब कि उसी नैनीताल की तराई में कुछ मगरमच्छों ने वन विभाग की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन उनको हटाने में पुलिस नाकामयाब हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, हरिजन हो या कोई और हो, अगर अनधिकृत कब्जा करता है तो उनको हटाना चाहिये । यह जंगल की जमीन हो या कोई और जमीन हो, केवल हरिजन के नाम पर उस गैर कानूनी कार्यवाही को होने दिया जाय, मुनासिब नहीं है । नेगी जी ने पूछा कि कितने लोगों ने कब से कब्जा कर रखा है ? ऐसे ही कब्जा कर रखा है और ऐसे ही कब्जे से जब लोगों को हटाने की बात होती है तो उसे राजनीतिक रूप दकर तरह-तरह के सवाल भी किये जाते हैं । यदि कहीं एक जगह कब्जा है तो आप कह सकते हैं कि वहां से हटवा दिया ....

(व्यवधान)

पहले उत्तर सुन लीजिये, अगर एक जगह किसी ने कब्जा कर लिया है, चाहे वह हरिजन हो, मैं होऊं या आप हों कोई भी हो, उसे हटाया जायगा, उनको हटाया न जाय और दूसरी जगह कब्जा करने दिया जाय यह तरीका हो तो आपकी बात ठीक है।

श्री बलबीर सिंह—

मैं वन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी नेगी जी ने कहा कि किस तरह से वहां बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर रखा है, इसकी सूचना सरकार को है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सरकार को भी सूचना है, इस सदन को भी है, दसियों वर्ष से कब्जा किया हुआ है, बार-बार सरकारों ने उन्हें हटाने की कोशिश की है और अब भी कोशिश की जा रही है और पुलिस का प्रयोग हो रहा है।

श्री बलबीर सिंह—

क्या उन लोगों के खिलाफ भी इसी तरह से पी० ए० सी० व पुलिस का किन-किन कैसेज में प्रयोग किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, किया गया है, आप दूसरा प्रश्न कर लें तो आपको पूरा ब्योरा बता दिया जायगा

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि उनका जितना पुराना कब्जा था, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय पर किसी उच्च अधिकारी से न्यायिक जांच या कमिश्नर के लेबिल पर कोई जांच इस बात की करायेंगे कि उनका वहां कब्जा वैधानिक तो नहीं था और वहां किसी से कोई गलती तो नहीं हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप यह जानना चाहते हैं कि कब से उनका कब्जा था तो सूचना मिलने पर उसकी सूचना दी जा सकती है, इस वक्त सूचना यहां नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

कब उनको पुलिस भेजकर हटाया गया .....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बड़ी अनुचित बात है कि एक प्रश्न का उत्तर न हो पाये और दूसरा प्रश्न फिर पूछ लें। मैं यह कह रहा था कि आप अगर कुछ और सूचना चाहते हैं तो प्रश्नों का उत्तर हो जाता है कि सूचना चाहिये। लेकिन अगर आप यह जानना चाहते हैं कि उनका कब्जा था और वह किस तारीख को हटाये गये तो यह टडिल अभी हमारे पास नहीं है। आप अगर प्रश्न कर देंगे तो यह सूचना भी मंगाकर दे दी जायगी। जब भी कोई सूचना मांगी जायगी तो उत्तर जांच-पड़ताल के बाद ही दिया जायगा। जब देख लेंगे कि आपके प्रश्न में कोई औचित्य है। उनको हटाने की बात किस तारीख को आई वधानिक कार्य था या नहीं यह जानकारी करके ही उत्तर दिया जायगा। जांच करा लेंगे।

श्री शिवराज सिंह—

क्या मंत्री जी सदन को निश्चित सूचना देंगे कि प्रश्नगत भूमिहीन हरिजन परिवारों को कोई वैकल्पिक आवास स्थल दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यह बिलकुल दूसरा प्रश्न है, आप प्रश्न कर लें जांच करा के उत्तर दे दिया जायगा, आप तो इन कुर्सियों पर बैठ चुके हैं, क्या ऐसे ही उत्तर दिये जाते हैं ।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वन विभाग के लोगों ने आपके यहां क्या रिपोर्ट लिखाई जिस पर वहां पुलिस ने यह हंगामा किय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जब उस भूमि अतिक्रमण को रोकने के लिये यह गये तो उन्होंने घातक हमला किया और उसमें 8 कर्मचारियों को चोटें आई और उनके खिलाफ अपराध संख्या 135, 448, 147, 148, 149 व 342 व 332 के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया ।

## रेहरा, मुरादाबाद के राजकीय चिकित्सक की विधायक के विरुद्ध शिकायत

**3--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद के एक-एक विधायक महोदय ने रेहरा, तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद के सरकारी चिकित्सक को उसके निवास स्थान पर दिसम्बर, 1972 के अंतिम सप्ताह में जाकर मारा पीटा जिसस डाक्टर गंभीर रूप से घायल हुआ ? यदि हां तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उचित कार्यवाही की गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण --

इस संबंध में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेहरा, तहसील हसनपुर जिला मुरादाबाद के चिकित्सक ने कोतवाली, मुरादाबाद में इस आशय की लिखित सूचना दी कि दिनांक 24-12-72 को एक विधायक, 20-25 व्यक्तियों के साथ उनके घर में घुस गए तथा गाली-गलौज की और उनको जोर से घूंसा मारा । इस सूचना के आधार पर धारा 147/452/332/504/566 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया और विवेचना की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस विधायक का क्या नाम है और उनको क्या आवश्यकता पड़ी थी कि उन्हें डाक्टर को घूंसा मारना पड़ा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अभी इस मामले की इन्क्वायरी हो रही है। यह प्रश्न न किया जाय तो अच्छा है और उसका उत्तर देना भी उचित नहीं होगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

वह विधायक कौन है और उसका क्या नाम है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

नाम बताना मैं उचित नहीं समझता हूं लेकिन विधायक है चाहे इस सदन का हो चाहे उस सदन का होगा ।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि किसी विधायक का नाम बताने में कोई गोपनीयता नहीं होनी चाहिये । खुलेआम विधायक न काम किया है ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उनका नाम श्री जितेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा, मुरादाबाद है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जो रिपोर्ट डाक्टर ने विधायक के विरुद्ध लिखायी है, कृपया उसे पढ़ कर ही सुनादें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

रिपोर्ट इस प्रकार है : "सेवा में श्री कोतवाली अध्यक्ष, मुरादाबाद महोदय, निवेदन यह है कि प्रार्थी रेहरा अस्पताल में मेडिकल आफिसर के पद पर नियुक्त है। 24-12-72 को मैं रेहरा अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर था तथा अपने क्वार्टर के अन्दर अस्वस्थ होने के कारण आराम कर रहा था तथा कुछ आवश्यक सरकारी कार्य भी कर रहा था। उसी दिन लगभग 3 बजे अपराह्न एक आदमी ने मुझे सूचना दी कि श्री जितेन्द्र पाल सिंह, एम0 एल0 ए0 आपको बाहर बुला रहे हैं। इस पर मैंने कहा कि मैं अस्वस्थ हूं और और बाहर आने में असमर्थ हूं। इसके पश्चात वह तो व्यक्ति वापस चला गया। लगभग 10 मिनट बाद उक्त एम0 एल0 ए0 साहब 20–25 आदमियों के साथ जबरदस्ती हमारे निवास में घुस आये तथा गाली-गलौज करने लगे। इस पर मैने कहा कि आप गाली क्यों देते हैं। इस पर उन्होंने हमारे बहुत जोर से घूंसा मारा और धक्का दे दिया। इस गाली-गलोज को सुनकर निम्नलिखित गवाहान भी मौके पर आये थे जिनके सामने एम0 एल0 ए0 साहब ने हमारे घूंसा मारा था और धक्का दे दिया था तथा यह भी कहा था कि डाक्टर के ऊपर गाड़ी का पहिया उतार दो और यह कहा कि जब तुम बाहर निकलोगे तब तुम को भुगतेंगे। रिपोर्ट करने में देर इस कारण से हुयी कि 14-12-72 72 को इन लोगों ने मुझको अपने क्वार्टर में रहने को विवश कर दिया था तथा 15–12–72 को मैंने इसकी सूचना मुरादाबाद जाकर डी0 एम0 ओ0 एच0 साहब को दी। अब यह सूचना मैं आपको दे रहा हूं और आपसे अनुरोध है कि इस पर तुरन्त जांच करके संबंधित व्यक्ति को दंड दिलाने के लिये उचित कार्यवाही करें। नाम गवाहान, श्री वी0 एन0 झा, प्रसार शिक्षक, प्रा0 वा0 केन्द्र, रेहरा, (2) श्री कृष्णानन्द श्रीवास्तव, स्माल पौक्स सुपरवाइजर, प्रा0 स्व0 केन्द्र रेहरा। इसके अतिरिक्त और भी लोग उपस्थित थे जिनके नाम मैं नहीं जानता हूं लेकिन पहचानता हूं। भवदीय रामजी लाल सक्सेना।

श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, श्री हरीलाल सिंह, गांव सिरसा कलां, भूतपूर्व जमींदार हैं। इन्होंने हरिजनों की कुयें में पेशाब किया, एक औरत को मारा, गोली चलाई, जिससे 4/5 आदमी घायल हुये और एक भैंस मारी गयी, जिसका पोस्टमार्टम भी हुआ। घायल आदमियों को लेकर मैं अस्पताल गया। तीन बसें भरी थीं। छे दिन के बाद रिपोर्ट करायी गयी। जब हम तीनों बसों को लकर पहुंचे, तो डाक्टर घर से बाहर नहीं निकले। हम तीनों बसों को लेकर वापस हो गये।

श्री अध्यक्ष—

घूसा मारा कि नहीं ?

श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

मैं घर में घुसकर नहीं मारता किसी आदमी को। यह झूठी रिपोर्ट लिखाई है।

श्री अध्यक्ष—

क्या इस पर विवाद रखेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

चूंकि यह मामला अण्डर इन्क्वायरी है, इसलिये यह कहा गया कि नाम न लिया जाय, खाली घटना बता दी जाय। लेकिन आपके (श्री अध्यक्ष) आदेश हुये कि नाम बता दिया जाय। यह मामला अदालत में है। मामला दर्ज कर दिया गया है। चालान हुआ है। पुलिस में दर्ज है। पुलिस की ओर से जांच-पड़ताल हो रही है। अब शायद इस पर बहस करना उचित न होगा।

श्री अध्यक्ष---

मैं तो उचित नहीं समझता बात सही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने आये कि जब माननीय सदस्यों ने अपने अधिकारों के बारे में कुछ प्रिविलेज मोशन उठाया, तो उनमें कुछ सत्य निकले और असत्य निकले। यह बड़ा गम्भीर पहलू है। जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से किस तरह से व्यवहार हो, इस पर मुख्य मंत्री जी को सोचना चाहिये। उसके एक कोड आफ कन्डक्ट बनाना चाहिये। नहीं तो, न उनकी मर्यादा रह जायेगी और न हमारी। न हमें उन्हें दुश्मन समझना चाहिये और न उनको हमें। तो मुख्य मंत्री जी को एक ऐसा कोड आफ कन्डक्ट इस संबंध में बनाना चाहिये।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)---

मान्यवर, दो-चार एम० एल० ए० ऐसे हैं कि जो अधिकारियों पर दबाव डालकर काम लेते हैं। कई लोग हमारे अधिकारियों पर धौंस डाल कर काम लेते हैं। मैं समझता हूं कि इसकी जांच करवाई जानी चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा पालिटिकल प्रेशर इस समय काफी हद तक बढ़ गया है। मैं किसी माननीय सदस्य के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रशासन की दृष्टि से यह बात कही है जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को स्वयं सोचना चाहिये क्योंकि हम आये दिन इस तरह की बातें देख रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, एक तरफ तो विधायकों पर पुलिस अधिकारियों की ज्यादती की बात हमारे सामने आई और दूसरी तरफ विधायक महोदय की सरकारी कर्मचारियों के काम में दखलन्दाजी की बात सामने आई। जैसा अभी जनसंघ के नेता माधो बाबू ने कहा, हम लोग यह मांग करते हैं मुख्य मंत्री जी से कि आपकी अध्यक्षता में बैठकर एक कमेटी हो जाय इस पर विचार करने के लिये और एक कोड आफ कन्डक्ट हो। यह कोड आफ कन्डेक्ट केवल विधायकों के लिये ही न हो बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिये भी हो। अगर विधायक गलत काम करता है तो वह दंडित हो और सरकारी कर्मचारी काम करता है तो वह भी दंडित होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

मैं अपने कमरे में सभी नेताओं को बुलवा लूंगा और इस पर चर्चा हो जायेगी। इस समय यहां पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा कि क्या होना चाहिये।

## मेरठ जिले की चीनी मिलों को बन्दी

**4—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले की समस्त चीनी मिलें गन्ना उत्पादकों से गन्ना न मिलने के कारण बन्द हैं ? यदि हां तो, सरकार चीनी मिलों को फिर से चालू कराने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

जी नहीं। मेरठ जिले की केवल दो चीनी मिलें मोती नगर तथा बागपत बिजली संकट के कारण आंशिक रूप स प्रभावित हैं और शेष मिलें सामान्य रूप से गन्ने की पेराई कर रही हैं।

श्री मोहन लाल कपूर—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मेरी सूचना को सही मानते हुये कि किसानों को बढ़ा हुआ मूल्य नहीं दिया जा रहा है और इस कारण से मिलें बन्द हैं, तो माननीय मंत्री जी किसानों को बढ़ा हुआ मूल्य दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, प्रश्न यह था कि इस समय मिल किन कारण से बन्द है और इसका उत्तर दिया गया कि बिजली के संकट के कारण बन्द हैं, तो यह प्रश्न अब कहां से पैदा होता है।

श्री मोहन लाल कपूर—

आपने जो कारण बतायें हैं वह गलत हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप ऐसा समझते हैं तो नियम 49 में आप प्रश्न दे सकते हैं।

# तारांकित प्रश्न

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन, नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

## गंगादीन राम कुमार इंटर कालेज, रामगढ़ बरांवा (जौनपुर) के शिक्षकों की कलमबन्द हड़ताल

*1—श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जिला जौनपुर के अन्तर्गत गंगादीन राम कुमार इन्टर कालेज, रामगढ़ बरावां के शिक्षकों का वेतन विगत कई महीनों से वितरित नहीं किया गया है और उक्त कालेज के शिक्षकों ने कालेज के प्रबन्धक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर को इस बात की लिखित सूचना दी थी कि यदि दिनांक 20-12-72 तक उनका बकाया वेतन वितरित नहीं किया गया तो सभी शिक्षक दिनांक 21-12-72 से कलमबन्द हड़ताल कर देंगे ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतलायेंगे कि इस नोटिस का कोई समाधान न निकलने पर उक्त विद्यालय के शिक्षकों ने अपनी पूर्ण घोषणानुसार कलमबन्द हड़ताल कर दी है ? यदि हां तो क्या सरकार इस समस्या को सुलझाने हेतु शिक्षकों का वेतन शीघ्र वितरित करा कर हड़ताल को समाप्त करने का प्रयास करेगी ? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

---

नोट :—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 4 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। कथित विद्यालय के शिक्षकों का केवल वेतन वितरण अधिनियम लागू होने की पूर्व की अवधि (अर्थात नवम्बर, 1970 से फरवरी, 1971 तक) का वेतन भुगतान शेष है। शिक्षकों ने दिनांक 21-12-72 को तार द्वारा हड़ताल की सूचना देकर 21 दिसम्बर, 1972 से 2 जनवरी, 1973 तक हड़ताल की। जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रयास से हड़ताल दिनांक 3-1-73 को समाप्त हो गई तथा निरीक्षक ने अवशेष वेतन के भुगतान हेतु प्रबन्धक को आदेश दे दिये हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

## उदित नारायण इंन्टर कालेज, पडरौना (देवरिया) में गबन

*1—कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उदित नारायण इन्टर कालेज, पडरौना, जिला देवरिया में 42,000.00 (लगभग) की गबन की सूचना हाल में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार ने आज तक उक्त वसूली के लिये क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, विशेष आडिट की व्यवस्था की जा रही है। आडिट के उपरान्त उचित कार्यवाही की जायगी।

## पंजीकृत उद्योगों के कच्चे माल संबंधी निदेशालय की जांच रिपोर्ट

*2—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंजीकृत छोटे उद्योगों को दिये जा रहे कच्चे माल के दुरुपयोग सदुपयोग के बाबत जो जांच निदेशालय द्वारा कराई जा रही थी वह जिन जिलों की मुकम्मिल हो चुकी है वहां की बोगस या सही काम करने वाली इकाइयों की संख्या अलग-अलग जिलेवार जून, 1972 तक कितनी है?

प्राविधिक शिक्षा एवं लघु उद्योग मन्त्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

प्रदेश में पंजीकृत छोटे उद्योगों को दिये जा रहे कच्चे माल के दुरुपयोग सदुपयोग के बाबत उद्योग निदेशालय द्वारा जिन जिलों की जांच मुकम्मिल हो चुकी है यहां की बोगस या सही काम करन वाली इकाइयों की संख्या अलग अलग जिलेवार जून 1972 तक संलग्न तालिका‡ में दी है।

## म्युनिसिपल बोर्ड केराना (मुजफ्फरनगर) के प्राइमरी व सरकारी स्कूलों का देय वेतन

*3—श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार को मालूम है कि म्युनिसिपल बोर्ड केराना, जनपद मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष ने बेसिक प्राइमरी व सरकारी शिक्षा के अध्यापकों की माह जुलाई व अगस्त की तनख्वाहें नहीं दी जब कि सरकार की ओर से पूरे साल की ग्रांट इस नगरपालिका को भेजी जा चुकी है और जुलाई से इन स्कूलों पर नगरपालिका का नियंत्रण भी समाप्त हो चुका है? यदि हां, तो अध्यापकों को तनख्वाह दिलवाने के लिए सरकार व विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

---

‡छापी नहीं गई।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को माह जुलाई, 1972 का वेतन भुगतान किया जा चुका है और अगस्त, 1972 का वेतन केवल देना शेष है। यह भी शीघ्र दे दिया जावेगा।

## सर्वोदय इंटर कालेज कौड़ीराम (गोरखपुर) के छात्रों की मांगे तथा शिकायतें

*4---श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत सर्वोदय इन्टर कालेज के छात्रों की ओर से 1 अक्तूबर, 1972 से 15 नवम्बर, 1972 तक कितने प्रार्थना-पत्र एवं तार शिक्षा मंत्री, जिलाधिकारी, गोरखपुर, उप शिक्षा संचालक गोरखपुर एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुए और छात्रों की मुख्य मांगें एवं उनकी शिकायतें क्या हैं? कालेज के जिन विद्यार्थियों के नाम काट दिये गये हैं उन छात्रों के नाम क्या हैं नाम काटने का कारण क्या है और कितने छात्रों, अध्यापकों पर मुकदमें चल रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

प्रार्थना पत्र एवं एक तार प्राप्त हुए। छात्रों की मुख्य मांग छात्र संघ के संगठन के लिये है तथा उनकी मुख्य शिकायत यह है कि कालेज के अधिकारीगण जानबूझ कर छात्र संघ का गठन नहीं होने दे रहे हैं और छात्रों पर दबाव डाल रहे हैं और अनुचित ढंग से छात्रों के नाम काटने पर तैयार हैं। कालेज के 132 विद्यार्थियों के नाम काटे गये। उनके नाम तथा नाम काटने की तिथियां संलग्न ‡ तालिका में प्रस्तुत हैं। अधिकांश छात्रों के नाम फीस न देने तथा अनुपस्थित रहने के कारण काटे गये हैं। तीन अध्यापकों तथा 9 छात्रों पर शांति भंग का मुकदमा चला था जो अब समाप्त हो गया है।

[दिनांक 8 मार्च, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## कानपुर के विद्यालयों को बन्द रखने की आज्ञा

*1---श्री राम गोपाल सण्ड---

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक 6-9-72 को कानपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के सभी विद्यालयों को बन्द करने की आज्ञा प्रसारित की है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां।

छात्रों द्वारा सम्भावित प्रदर्शन को रोकने एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कानपुर शहर के सभी विद्यालय बन्द रखे गये।

*2---श्री रामगोपाल सण्ड---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

## हरिद्वार कोतवाली के इन्सपेक्टर इंचार्ज का नशे की दशा में युवती के साथ मंसूरी में पाया जाना

*3---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि दिनांक 26 जून, 1971 को मंसूरी में हरिद्वार का स्टेशन आफिसर (कोतवाल) शराब पिये एक युवती के साथ पकड़ा गया? यदि हां, तो

---

‡छापी नहीं गई।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उपरोक्त युवती का हाथ हरिद्वार के भूतपूर्व नगरपालिका सदस्य, श्री राजा राम बेफिक्र की हत्या में भी आरोपित है और उक्त कोतवाल इस हत्या काण्ड की जांच कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 26 जून, 1971 को नहीं बल्कि दिनांक 19/20 जून, 1971 की रात हरिद्वार कोतवाली के इंस्पेक्टर इंचार्ज एक युवती के साथ नशे की हालत में मंसूरी में पाये गये थे। जांच से उनके साथ पाई गई युवती का श्री राजा राम बेफिक्र की हत्या में कोई हाथ होना नहीं पाया गया। श्री राजा राम बेफिक्र की हत्या के मामले की जांच उक्त इंस्पेक्टर द्वारा प्रारम्भ की गई थी परन्तु बाद में उनके द्वारा जांच नहीं की गई।

## देहरादून शहर में गोली चलने तथा हत्याओं की घटनायें

*4—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून शहर में 15 मई से 15 जुलाई, 1972 तक कितनी बार गोली चलने तथा हत्याओं की वारदातें हुईं ? इन हत्याओं में क्या पुलिस की साजिश का आरोप लगाते हुए कोई प्रार्थना-पत्र गृह राज्य मन्त्री को दिनांक 18-7-72 को प्राप्त हुआ और प्रतिनिधि मण्डल न उनसे भेंट की ? यदि हां, तो सरकार ने आगे वारदातों को रोकने तथा पुलिस क प्रति जनरोष को समाप्त करने की दिशा में क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार देहरादून शहर में 15 मई से 15 जुलाई 1972 की अवधि में गोली चलने की दो घटनायें हुई जिनमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। हत्या में पुलिस की साजिश का आरोप लगाते हुए एक प्रार्थन-पत्र राज्य गृह मन्त्री को प्राप्त हुआ था तथा कुछ लोग मिल भी थे आगे की वारदातों को रोकन क लिये समुचित पुलिस प्रबन्ध किया गया।

## थाना मीरानपुर कटरा (शाहजहांपुर) के अन्तर्गत डकैतियां एवं कत्ल

*5—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा राम बिलास पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि दिनांक 16 जुलाई, 1972 की रात को जिला शाहजहांपुर के थाना मीरानपुर कटरा के तीन गांव बटलैहया, नवादा तथा खिजरिया को डाकुओं के एक सशस्त्र गिरोह ने लूटा और दो व्यक्तियों को जान से मार दिया तथा कुछ दिन पहिले इसी गिरोह न तिलहर नगरपालिका में भाषण डकैती की और तिलहर थाने क गांव गोवरसंड़ा को भी पूर्ण रूप से लूटा तथा कत्ल किये ? यदि हां, तो शासन न इस गिरोह को पकड़ने हेतु तत्काल क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16/17 जुलाई, 1972 की रात जिला शाहजहांपुर के थाना मीरानपुर कटरा क्षेत्र के ग्राम बतलैया में कुछ बदमाशों ने लूटपाट किया और दो व्यक्तियों को मारा जिसके फलस्वरूप उनकी मत्यु हो गई। उक्त घटना से पूर्व उसी रात ग्राम नवादा में भी इन्ही अभियुक्तों द्वारा चोरी करन का प्रयास किया गया परन्तु घर की स्त्री क जग जाने के कारण बदमाश उसे मार पीट कर भाग गये और कोई सामान नही ले जा सके। ग्राम खिरिया में उस रात लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई। दिनांक 16-17 जून 1972 की रात मे कस्बा तिलहर में भी डकैती पड़ने की घटना हुई थी परन्तु यह कहना सही नहीं है कि कटरा क्षेत्र तिलहर की घटनायें एक ही गिरोह द्वारा की गई। ग्राम गोवरसंड़ा में कोई घटना नहीं हुई क्षेत्र म पुलिस व पी0ए0 सी0 के गस्त का प्रबन्ध किया गया।

उपर्युक्त दोनों डकैती के मामले में पुलिस द्वारा तत्परता से जांच की गई और अभियुक्तों का चालान किया गया। मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं।

## वसुलिया (शाहजहांपुर) की हरिजन कन्या के साथ बलात्कार की शिकायत

*6—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मन्त्री को पता कि है जिला शाहजहांपुर के थाना सेरामऊ दक्षिणी के ग्राम वसुलिया में एक हरिजन कन्या के साथ 12 मई, 1972 को कुछ सवर्ण लोगों ने दिन दहाड़े बलात्कार किया और जब हरिजन कन्या अपने मां बाप के साथ थाने में रिपोर्ट लिखवाने आई तो उक्त थानाध्यक्ष ने खुद 3 दिन तक थान में रखा और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जिसकी शिकायत हरिजन कन्या ने एस0 पी0, शाहजहांपुर को की, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और न हरिजन कन्या का किसी उच्च अधिकारी ने कोई बयान ही लिये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई घटना का 12-5-72 को ग्राम वसुलिया में नहीं पाया गया। अतः शेष प्रश्न नहीं उठात।

## राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद् का गठन

*7—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर राज्य में निरक्षरता के उन्मूलन के लिये 15-सदस्यीय राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद् का गठन किया है ? यदि हां, तो कब और इसके गठन का आधार तथा उद्देश्य क्या है तथा इस परिषद् के कौन-कौन सदस्य हैं और इनके चयन का आधार क्या रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद् की संस्तुति पर राजाज्ञा संख्या-4472/15(13)-732-70, दिनांक 17 फरवरी, 1972 द्वारा राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद् का गठन प्रदेश में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन एवं प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को चलाने के लिये परामर्श पथ-प्रदर्शन एवं मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया है। परिषद् के सदस्यों की सूची संलग्न है। सदस्यों का चयन उनके प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों से संबंधित होने अथवा इन कार्यक्रमों में सहायक होने की दृष्टि से किया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 130 पर)

*8—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार उक्त राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद् की सिफारिशों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी और यह भी बतायेगी कि वर्तमान समय में राज्य में निरक्षरों की संख्या कितनी है और इस संख्या का प्रतिशत कुल राज्य की जनसंख्या का कितना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद् की सिफारिशों की प्रतिलिपि संलग्न है। वर्तमान समय में राज्य में कुल निरक्षरों की संख्या 6,91,91,795 है जो कुल राज्य की जनसंख्या का लगभग 78 प्रतिशत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 131 पर)

*9—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

## प्रधानाचार्या, फूलपुर कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल (इलाहाबाद) के विरुद्ध अध्यापिकाओं की शिकायत

*10—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगी कि फूलपुर कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल जिला इलाहाबाद की कुछ अध्यापिकाओं ने प्रधानाचार्या के अभद्र, अनैतिक एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र संयुक्त निदेशिका (महिला) को 5 अगस्त, 1971 को दिया जिसकी जांच 7 अगस्त, 1971 को उप शिक्षा निदेशिका (महिला) और आर0 आई0 जी0 एस0, इलाहाबाद ने की और अध्यापिकाओं के सभी आरोपों को सत्य पाकर यह संस्तुति की कि प्रधानाचार्या को अविलम्ब स्थानान्तरित किया जाय परन्तु उनको वहीं रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

बाद में चेयरमैन टाऊन एरिया कमेटी, फूलपुर, इलाहाबाद का भी उन शिकायतों से संबंधित एक पत्र शासन को प्राप्त हुआ था। शासनादेशानुसार जांचोपरान्त प्रधानाचार्या के विरुद्ध शिकायतें निराधार प्रमाणित हुईं।

दिनांक 27 सितम्बर, 1972 को प्रधानाचार्या का स्थानान्तरण वाराणसी को किया गया है।

## टेक्निकल तथा पालीटेक्निक स्कूलों का पुनः खुलना

*11—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि हाल ही में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पिछले सालों में जो टेक्निकल स्कूल व पालीटेक्निक स्कूल बन्द कर दिये गये थे वह तुरन्त ही इस वित्तीय वर्ष में जुलाई सन् 1972 से फिर से चालू कर दिये जायेंगे ? यदि हां, तो क्यों और किस-किस ट्रेड के लिये ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 13 सेकेन्डरी टेक्निकल स्कूलों को शैक्षिक सत्र 1972–73 से बन्द करने का निर्णय था। यह मामला लोक लेखा समिति के सामने आया और उक्त समिति की संस्तुति पर शासन ने पुनः विचार किया और 12 स्कूलों को चालू रखने का निर्णय लिया। एक स्कूल जो जौनपुर में था उसे कृषि विभाग को वर्कशाप बनाने के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया। इन स्कूलों के सार्टिफिकेट को हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता न होने के कारण विद्यार्थियों की संख्या स्वीकृत प्रवेश संख्या से बहुत कम होती थी। अब स्कूलों के पाठ्यक्रम को संशोधित करके सार्टिफिकेट को हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता शीघ्र मिलने की आशा है और उचित संख्या में लड़कों ने प्रवेश भी लिया है। इस कारण उन्हें चालू रखा गया है। उन स्कूलों में सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त वेल्डिंग, ट्रेनिंग, फिटिंग, मशीनिंग एवं फाउन्ड्री के तकनीकी ट्रेड भी सिखाये जाते हैं।

## चीनी मिलों का मार्डनाइजेशन

*2 श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने या उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन ने क्या यह निर्णय लिया है कि कारपोरेशन के कब्जे में जो शकर मिलें हैं उनको माडर्नाइज किया

जाय ? यदि हां, तो इन मिलों में से किन पर कितना-कितना रुपया चालू वित्तीय वर्ष में और आइन्दा वित्तीय वर्ष में व्यय होगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। फिलहाल, चीनी निगम ने अपनी पांच इकाइयों के पुनर्वासन के लिए ही धन व्यय करने का निर्णय लिया है।

## मानपुर, थाना बारा (इलाहाबाद) का हत्याकांड

*13—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, 1972 में इलाहाबाद जनपद की करछना तहसील के मानपुर ग्राम, थाना बारा के अन्तर्गत जो भीषण हत्या काण्ड हुआ और जिसमें श्री हनुमान सिंह, उनके दो लड़के और एक गर्भिणी पुत्र बधू की हत्या की गई? उसकी क्या जांच हुई? कौन-कौन सी गिरफ्तारियां हुई और इस घटना का क्या कारण ज्ञात हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10-9-1972 को ग्राम मानपुर, थाना बारा, इलाहाबाद में अभियुक्तों द्वारा श्री हनुमान सिंह, उनके दो पुत्रों की तथा उनके भाई की पत्नी की हत्या कर दी गई। गर्भवती पुत्र बधू की हत्या नहीं हुई वरन् गोली से चोट आने के कारण उनका गर्भपात हो गया।

इस सम्बन्ध में दिनांक 10-9-72 को धारा 302/307/316 भा० द० वि०/29 आर्म्स ऐक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। एक अभियुक्त दानपाल सिंह को 16-9-72 को गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे अभियुक्त गोपाल सिंह ने 18-9-72 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया। घटना का कारण जमीन का झगड़ा ज्ञात हुआ।

*14—श्री सर्वसुख सिंह—

[रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के कारण निरस्त]

## अर्थ व्यवस्था के सुधार की योजना का प्रारूप

*15—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री को यह पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के 95 प्रतिशत लोग गरीबी का जीवन बिता रहे हैं? यदि हां, तो राज्य के अर्थ व्यवस्था के सुधार एवं वृद्धि हेतु राज्य आयोग ने कुल कितने रुपये की पूंजी विनियोजन का राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित करके लक्ष्य पत्र को केन्द्रीय आयोग एवं सरकार के पास स्वीकार करने के लिये भेजा है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां तो उसका मुख्य प्रारूप क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपनी मई, 1972 की बैठक में पांचवीं योजना के आधारभूत दृष्टिकोण क्या होने चाहिये इस पर विचार किया था। यह बात सर्वसम्मति से स्वीकार की गई कि पांचवीं योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्याओं पर सीधा प्रहार करना तथा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना होगा। इसी पृष्ठभूमि में राज्य योजना आयोग द्वारा प्रदेश को पांचवीं योजना का 'नीति-पत्र' तैयार करके योजना आयोग एवं केन्द्रीय मन्त्रालयों के विचारार्थ भेज दिया गया है। इसकी प्रतियां माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ भी भेजी जा चुकी हैं।

उक्त पुस्तक के अध्याय 5 योजना का आकार के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुल अनुमानित विनियोग 6100–6200 करोड़ रु0 का प्रस्तावित है। राज्य की पांचवीं योजना के अन्तर्गत जो मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव है उसे संक्षेप में सूचनार्थ संलग्न कर दिया गया है।

[देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 133 पर]

## इलाहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों पर घातक आक्रमण

*16––श्री रूप नाथ सिंह यादव तथा श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि 7 अक्तूबर, 1972 को सायं 9 बजे जी0 टी0 रोड, बहादुरगंज, शहर इलाहाबाद में बताशा बाजार के समीप सशस्त्र लुटेरों ने चाकू से प्रहार कर रोडवेज के दो कर्मचारियों से सरकारी धन व उनका कुछ निजी सामान छीन लिया और चोट के परिणामस्वरूप उनमें से एक की मृत्यु भी हो गयी? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और घटनास्थल से थाना पुलिस चौकी का फासला क्या है तथा उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7/8 अक्तूबर, 1972 की रात्रि को रोडवेज के दो कर्मचारी रिक्शे पर अपने घर वापस जा रहे थे तो लगभग 12 बजे जी0 टी0 रोड इलाहाबाद में शिव पार्क के सामने 4 बदमाशों ने उन्हें रोका और चाकू दिखाकर उनका निजी सामान छीन लिया। बदमाशों द्वारा चाकू से प्रहार किये जाने के कारण एक कर्मचारी की दिनांक 8-10-72 को अस्पताल में मृत्यु हो गई। कोई सरकारी धन नहीं छीना गया। घटनास्थल से पुलिस चौकी बहादुरगंज की दूरी लगभग एक फर्लांग तथा थाना कोतवाली का फासला लगभग तीन फर्लांग है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली में एक मुकदमा धारा 394/302 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत कायम किया गया। विवेचना के दौरान 4 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से एक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया है। शेष तीन अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। जिनमें से एक की शिनाख्त न होने के कारण रिहा कर दिया गया। अन्य दो की शिनाख्त की कार्यवाही होना शेष है।

## गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बस्ती के ट्रेनिंग में भेजे गये अध्यापक

*17––श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)––

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ एवं बस्ती में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों से वर्ष 1969 से जुलाई, 72 तक इन सर्विस ट्रेनिंग (एल0 टी0, सी0 टी0 आदि) में जिलेवार गये, इनमें से कितने को उनके प्रशिक्षण से संबंधित स्थान पर शिक्षण कार्य देकर उचित वेतन दिया गया तथा कितने को इस सुविधा से अभी तक वंचित किया गया और क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## शिक्षा निदेशक (महिला) की नियुक्ति की मांग

*18—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये अलग से शिक्षा निदेशक (महिला) की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय हो जाने की संभावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

*19—श्री हुकुम सिंह परिहार—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

## उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना

*20—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गढ़वाल मंडल के लिये प्रस्तावित उत्तराखंड विश्वविद्यालय को किस स्थान पर स्थापित करने जा रही है और उसकी स्थापना के स्थान का चयन करने के लिये सरकार ने क्या-क्या आधार एवं मापदण्ड स्वीकार किये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है ।

## गढवाल मंडल के विकास हेतु योजनायें

*21—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1965 से 1971 तक की अवधि में गढ़वाल मण्डल के विकास के लिये कौन-कौन से उद्योग-धंधे एवं योजनायें स्वीकार की गई हैं और वह कब से प्रारम्भ हुई है? क्या यह सच है कि पर्वतीय क्षेत्र के अलग से मण्डल (रीजन) घोषित किये जाने के बावजूद भी अभी दिनांक 28-7-72 तक वहां कोई भी मण्डलीय कार्यालय (रीजनल आफिस) की स्थापना नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों और वह कब तक स्थापित कर दिया जायगा ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

वर्ष 1965 से 1971 तक की अवधि में गढ़वाल मण्डल के विकास के लिये निम्न उद्योग धंधे एवं योजनायें उनके सामने निर्दिष्ट वर्ष में, स्वीकृत तथा प्रारंभ हुई:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ऊन उपयोगी केन्द्र .. .. .. | 1964-65 |
| 2. | कृषि उपकरण एवं धातु उद्योग सर्विस केन्द्र .. .. | 1964-65 |
| 3. | नमदा बनाने की योजना, .. .. .. | 1967-68 |
| 4. | कच्चा माल एवं सज्जा तथा क्रय-विक्रय डिपो, .. .. | 1966-67 |
| 5. | चमड़ा बनाने व चमड़ा कमाने की योजना, .. .. | 1966-67 |
| 6. | औद्योगिकरण हेतु विशेष सुविधा योजना, .. .. | 1969-70 |
| 7. | रेशम योजना, .. .. .. | 1965-66 |
| 8. | ऊन धुनने और उसे परिष्कृत करने के संयंत्र, .. | 1966-67 |
| 9. | टसर योजना, .. .. .. | 1969-70 |
| 10. | लकड़ी उद्योग की संगठित ईकाई की स्थापना, .. | 1970-71 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | सिलाई केन्द्र, | .. | .. | 1966–67 |
| 12. | टसर सिल्क उद्योग, | .. | .. | 1966–67 |
| 13. | औद्योगिक पुंज, | .. | .. | 1967–68 |
| 14. | हरिजन औद्योगिक आस्थान, | | .. | 1971–72 |

गढ़वाल मण्डल में उद्योग विभाग का मंडलीय कार्यालय (उप क्षेत्रीय) की स्थापना हो चुकी है।

*22—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

## सिठमरा (कानपुर) में चर्म शोधन उद्योग

*23—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खण्ड डेरापुर के सिठमरा गांव में चर्म शोधन उद्योग समिति के नाम से कर्ज और अनुदान दिया गया है? क्या यह सही है कि यह चर्म शोधन उद्योग समिति केवल फर्जी तौर पर कागजी खानापूरी में चल रही है और मौके पर न तो चर्म शोधन कार्यशाला ही है और न कार्य हो रहा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

उ0 प्र0 खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा कानपुर जिले के विकास खण्ड डेरापुर के सिठमरा गांव की चर्म शोधन सहकारी समिति लि0, सिठमरा को वर्ष 1969–70 में 5,662.50 रु0 ऋण तथा 1,800.00 रु0 अनुदान दिया गया है।

यह समिति फर्जी नहीं है। समिति के पास कोई अपनी कार्यशाला या गोदाम नहीं है पर इसके सदस्यों ने समिति द्वारा निर्मित गड्ढों पर कार्य किया है। वर्ष 1971–72 में समिति के सदस्यों द्वारा 84,810.00 रु0 का उत्पादन एवं 97,230.00 रु0 की बिक्री की गई।

*24—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[3रे सोमवार के ता0 प्र0 सं0 37 पर स्थानान्तरित]

## सचिवालय के अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायक

*25—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि सचिवालय के वित्त शाखा में कार्यरत 1970 के पूर्व के समस्त अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायक अब संदर्भदाता प्रवर वर्ग के सहायक पदों पर कार्य कर रहे हैं और सन् 1970 के भी बहुत से अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायक कई-कई महीनों से स्थानापन्न रूप से संदर्भदाता प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर कार्य कर रहे हैं, जब कि सचिवालय के अधिकतर शाखाओं में अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों को यह अवसर प्राप्त नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अनप्लेस्ड सहायकों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर प्रत्येक शाखा में करने पर विचार करेगी, ताकि स्थानापन्न रूप से कार्य करने का अवसर पहले वरिष्ठ अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों को प्राप्त हो? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आदेश कब प्रसारित होंग?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, परन्तु वित्त शाखा का कोई भी अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायक प्रवर वर्ग सहायक के पद पर कार्य नहीं कर रहा है। सचिवालय की अन्य शाखाओं के अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों को स्थानापन्न नियुक्ति के इतने अवसर प्राप्त नहीं हैं क्योंकि सचिवालय में अराजपत्रित अधिष्ठान कार्य विभिन्न शाखाओं में ही किया जाता है और उपलब्ध रिक्तियों में शाखा स्तर पर स्थानापन्न प्रोन्नतियां की जाती हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न शाखाओं में प्रोन्नति के अवसर का कम या अधिक होना स्वाभाविक है। इस विषमता को कम करने के उद्देश्य से यह विचार किया जा रहा है कि क्या सहायकों के कुछ अन्तर्शाखायी स्थानान्तरण कर दिये जायं।

## साहू केमिकल्स एण्ड़ फर्टीलाइजर्स, साहूपुरी, वाराणसी की एक सदस्यीय समिति

*26—श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि साहू केमिकल्स ऐण्ड फर्टीलाइजर्स, साहूपुरी, वाराणसी के कर्मचारियों का रु0 6.50 पैसा एडहाक के विषय में वन मैन कमेटी ने कोई फैसला लिया है? यदि हां, तो वह क्या है और सरकार ने इसके अनुसार क्या कार्यवाही की है ?

श्रम उपमन्त्री (श्री सोहन लाल धुसिया)—

जी हां, एक सदस्यीय समिति ने इस प्रश्न पर अपनी रिपोर्ट शासन को दिनांक 22 जून, 1971 को प्रेषित की थी। विचारोपरान्त शासन ने इस विवाद को 14 नवम्बर, 1972 को औद्योगिक न्यायाधिकरण (1) इलाहाबाद को अभिनिर्णयार्थ भेज दिया। न्यायाधिकरण का निर्णय अपेक्षित है।

## कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर (नैनीताल) में चीनी का उत्पादन एवं विक्रय

*27—श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971–72 के क्रशिंग सीजन में कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, बाजपुर (नैनीताल) में कितनी चीनी का उत्पादन हुआ और उसमें से कितनी चीनी खुले बाजार में किस-किस भाव पर बेची गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1971–72 के क्रशिंग सीजन में कुल 1,70,544 बोरी चीनी का उत्पादन हुआ, जिसमें 1500 बोरी भूरी चीनी भी सम्मिलित है। इसमें से 31 दिसम्बर, 1972 तक 61,998 बोरी चीनी खुले बाजार में 220 रु0 से 300.84 रु0 प्रति बोरी (कुन्तल) के भाव से बेंची गई। औसत भाव 253.49 रुपये प्रति कुन्तल रहा। इसमें उत्पादन शुल्क सम्मिलित नहीं है।

*28—श्री राम करन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त फैक्टरी के प्रबन्धक द्वारा खुले बाजार में स्वयं किस-किस भाव पर तथा एजेण्टों के द्वारा किस भाव पर 1 जनवरी, 1971 से 30 नवम्बर, 1972 तक की अवधि में कितने क्विंटल चीनी बेची गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

(1) उक्त अवधि में कुल 3,28,564 बोरी चीनी खुले बाजार में बेची गई।

(2) चीनी मिल द्वारा 78050 बोरी चीनी 141 रुपये से 300.31 रु0 तक प्रति बोरी के भाव पर बाहरी लोगों के लिये तथा 305 बोरी चीनी 132 से 178 रु0 प्रति बोरी के भाव से मिल के कर्मचारियों को बेची गई जिससे क्रमशः 182.01 रुपया एवं 146.30 रुपया प्रति बोरी का औसत भाव प्राप्त हुआ।

(3) एजेण्टों के माध्यम से 2,50,209 बोरी चीनी 123 रु0 से 304 रु0 प्रति बोरी के भाव से बेची गई जिससे 160.97 रुपया प्रति बोरी भाव प्राप्त हुआ।

*29--श्री हरिवंश सहाय--

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

## विनौर (कानपुर) में पुलिस रेड

*30--श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा-करेंगे कि कानपुर जनपद स्थित थाना सचेंडा के ग्राम विनौर में दिनांक 29-11-70 ई0 में श्री बलदेव सिंह, श्री भवानी सिंह के गिरोह को पकड़ने के लिये कोई रेड हुआ था? यदि हां, तो उसमें कितने लोगों की तलाश हेतु पुलिस गई थी तथा कितने गिरफ्तार किये गये? क्या इसी गिरोह में चच्चू उर्फ कृष्ण पाल सिंह, निवासी ग्राम विनौर का भी नाम था? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार कानपुर जनपद स्थित थाना सचेडी के ग्राम बिनौर में दिनांक 29-11-70 को बल्देव सिंह तथा भवानी सिंह के गिरोह को पकड़ने हेतु रेड किया गया था। 10 व्यक्तियों के तलाश हेतु पुलिस गई थी परन्तु मौके पर केवल एक व्यक्ति ही गिरफ्तार किया जा सका। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार इस गिरोह में चच्चू उर्फ कृष्ण पाल सिंह का भी नाम था परन्तु किसी अभियुक्त अथवा गवाह ने चच्चू उर्फ कृष्ण पाल सिंह के विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

## मेरठ विश्वविद्यालय अध्यापक संघ की मांगें

*31--श्री मोहनलाल कपूर--

क्या राज्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विश्वविद्यालय अध्यापक संघ द्वारा 27 नवम्बर, 1972 से क्रमिक भूख हड़ताल तथा आन्दोलन किया गया ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और वे मांग कहां तक पूरी की गईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

27 नवम्बर, 1972 को भूख हड़ताल हुई थी जो 28-11-72 से समाप्त हो गयी। मांगें संलग्न तालिका में अंकित हैं तथा प्रत्येक मांग के सम्बन्ध में स्थिति उसके सम्मुख उल्लिखित है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पष्ठ 134 पर)

## श्री सुल्तान सिंह भंडारी, सदस्य विधान परिषद द्वारा थाना कोटद्वार में रिपोर्ट

*32--श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल), श्री राम कुमार दीक्षित, श्री गिरिजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी) तथा श्री राम बिलास पाण्डेय--

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री सुलतान सिंह भंडारी, सदस्य, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश ने पुलिस थाना कोटद्वार, गढ़वाल में श्री हरीराम मिश्र चंचल, महामन्त्री, जिला कांग्रेस गढ़वाल तथा अन्य दो प्रमुख व्यक्तियों द्वारा उन पर प्राण घातक हमला तथा जान से मार डालने

की धमकी की रिपोर्ट 7 जून, 1972 को दर्ज कराई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है तथा श्री भंडारी की सुरक्षा हेतु क्या इन्तजाम किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक 7-6-72 को श्री सुलतान सिंह भंडारी, सदस्य विधान परिषद् के थाना कोटद्वार पर टेलीफोन द्वारा यह सूचना दी कि उसी दिन बड़े डाकखाने के पास श्री कृपाराम फूलोरिया, श्री सन्तन बड्थवाल एवं श्री हरीराम मिश्र चंचल ने उन्हें अपशब्द कहे, जान से मारने की धमकी दी तथा धक्का मुक्की की। इस सूचना के आधार पर थाना कोटद्वार पर एक अपराध धारा 352/504/506/500 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत अंकित किया गया और श्री भडारी को पुलिस संरक्षण में घर पहुंचाया गया। अपराध अहस्तक्षेपनीय होने के कारण पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। बाद में पुलिस ने उनसे पुनः सम्पर्क स्थापित किया। किसी विशेष सुरक्षात्मक प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*33--श्री नेतराम सिंह--

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया]

## आदर्श विद्यालय का शिक्षण शुल्क

*34--श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय आदर्श विद्यालयों की कक्षा 7 व 8 के छात्रों से किन आदर्श विद्यालयों में साढ़े चार 4.50 रु0 शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है ? क्या समस्त आदर्श विद्यालयों में शिक्षण शुल्क व अन्य राजकीय शुल्क समान लिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*35-36--श्री पारसनाथ सिंह,
,, सियाराम,
,, शचीन्द्र नाथ बख्शी,
,, कल्याण सिंह तथा
,, सूबेदार प्रसाद

[14 वें गुरुवार में तारांकित प्र0 सं0 10-11 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

## राजकीय विद्यालयों के एस०एस० ई० एस० ग्रेड के अध्यापकों का स्थायीकरण

*37--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से चुने गये एस0 एस0 ई0 एस0 ग्रेड के कितने अध्यापक दस वर्ष से अस्थाई रूप में कार्य कर रहे हैं ? उनको स्थाई न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

91 अध्यापक।

वांछित संख्या में स्थायी पदों के अभाव में।

## रत्ना शुगर मिल शाहगंज (जौनपुर) के ऊपर बकाये का धन

*38--श्री राम बचन यादव, (जिला आजमगढ़ रानी की सराय), श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) तथा श्री विजयपाल सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रत्ना शुगर मिल, शाहगंज, जिला जौनपुर पर कुल कितना गन्ना की कीमत का किन-किन वर्षों का बकाया है ? जनपद आजमगढ़ के क्रय-विक्रय समिति, निजामाबाद का उक्त मिल पर कमीशन एवं गन्ना मूल्य का कितना अवशेष है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सर्वश्री रतना शुगर मिल, शाहगंज (जिला जौनपुर) पर दिनांक 31 दिसम्बर, 1972 तक की स्थिति के अनुसार कुल रु0 0.55 लाख वर्ष 1968-69 से वर्ष 1971-72 तक के गन्ना मूल्य बकाया की ओर अवशेष था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1972-73 का गन्ना मूल्य बकाया रु0 11.24 लाख था। इस प्रकार कुल बकाया रु0 11.79 लाख था।

जनपद आजमगढ़ के क्रय-विक्रय समिति निजामाबाद का उक्त मिल पर दिनांक 30 जून, 1972 तक की उपलब्ध स्थिति के अनुसार वर्ष 1968-69 से वर्ष 1971-72 तक के गन्ना मूल्य बकाया की ओर कुल रु0 10,395.23 पैसे अवशेष थे और कमीशन की ओर कुल रुपया 31,703.84 पैसे अवशेष थे ।

*39--श्री राम कुमार दीक्षित--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

## उप निरीक्षक, पुलिस थाना हुसैनगंज, लखनऊ के विरुद्ध शिकायतें

*40--श्री ऋषिपाल सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उप निरीक्षक , पुलिस, थाना हुसैनगंज, लखनऊ के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें नवम्बर, 1972 मास में प्राप्त हुई हैं कि वे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वहां के कुछ व्यक्तियों को जान से मरवा डालने, धारा 160 में थाने में बन्द रखने आदि की धमकी देते हैं ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार संबंधित अधिकारी का तबादला करके तुरन्त जांच के आदेश देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

नवम्बर, 1972 में श्री लालता प्रसाद पाल, निवासी उदयगंज, लखनऊ का एक शिकायती प्रार्थना-पत्र जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को प्राप्त हुआ था। इसमें उन्होंने थाना हुसैनगंज, लखनऊ के एक सब इंसपेक्टर के विरुद्ध अपनी अनुपस्थिति में अपने एक साथी को मारने पीटने के बाद उसे थाने में ले जाकर बन्द रखने तथा उनकी स्त्री को अपशब्द कहने एवं मार डालने की धमकी देने की शिकायत की थी। इस प्रार्थना-पत्र की जांच उप पुलिस अधीक्षक ने की। जांच से आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

## सरकारी सेवाओं में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पदोन्नति में आरक्षण

*41--श्री सियाराम (जिला एटा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नियुक्ति विभाग के आदेश संख्या 43/90/66 "नियुक्ति 4, दिनांक 18-7-72 के अनुसार अनुसूचित जाति व स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की सीधी

भर्ती के 10 प्रतिशत का संरक्षण है, परन्तु सेवा में रहते हुए और पदोन्नति के लिये सब प्रकार की योग्यता रखते हुए भी उनकी पदोन्नति में ऐसा आरक्षण नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कथित शासनादेश के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती में 18 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक आरक्षण है और स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के लिये नहीं, वरन् उनके आश्रितों के लिये 5 प्रतिशत से 12 1/2 प्रतिशत तक आरक्षण है। ऐसी सेवाओं में जहां प्रोन्नति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभागीय कर्मचारियों तक सीमित रहती है, अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों को 18 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, साधारण प्रोन्नतियों में ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण देने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

## उपशिक्षा निरीक्षिका, शाहजहांपुर का स्थानान्तरण

*42—श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपशिक्षा निरीक्षिका, शाहजहांपुर के पद पर श्रीमती एस0 गुप्ता की नियुक्ति कब की गई और कितने माह बाद उनका स्थानांतरण किया गया? यदि यह स्थानांतरण तीन वर्ष के पूर्व किया गया है तो वह कौन से विशेष कारण थे जिनके आधार पर उनका स्थानांतरण किया गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान अभी तक रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमती एस0 गुप्ता ने उप बालिका विद्यालय निरीक्षका के पद पर शाहजहांपुर में दिनांक 31 जुलाई, 1971 को कार्यभार ग्रहण किया और लगभग 14 माह पश्चात् प्रशासकीय आधार पर उनका स्थानांतरण करना पड़ा।

उक्त पद रिक्त नहीं है।

## शिक्षा निरीक्षक कार्यालय, शाहजहांपुर के लिपिको का स्थानान्तरण आदेश

*43—श्री त्रिलोक चन्द तथा श्री प्यारेलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर शिक्षा निरीक्षक के कार्यालय लिपिक श्री मिलन शर्मा तथा श्री जैदी अख्तर के मई, 1972 से अब तक कितनी बार स्थानांतरण के आदेश हुए और बाद में रद्द कर दिये गये ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री मिलन शर्मा का स्थानांतरण दो बार एवं श्री जैदी अख्तर का स्थानांतरण एक बार किया गया था। जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति पर उक्त स्थानांतरण निरस्त किये गये।

## सेंट्रल पैडेगोजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद की सम्प्रेक्षण रिपोर्ट

*44—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या मुख्य मन्त्री सेन्ट्रल पैडेगोजिकल इन्सटीट्यूट, इलाहाबाद के अंतिम सम्प्रेक्षण रिपोर्ट (आडिट रिपोर्ट) सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे तथा क्या सरकार उक्त रिपोर्ट में बताये गये हजारों रुपये के गबन के मामले की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सम्प्रेक्षण† रिपोर्ट (आडिट रिपोर्ट) † प्रस्तुत है।

रिपोर्ट में गबन का उल्लेख नहीं है। कहीं-कहीं कुछ अनियमित व्यय का वर्णन है।

प्रश्न नहीं उठता।

## गोहन्ना (फैजाबाद), के श्री गजाधर की एस० ओ०, अकबरपुर द्वारा मारे जाने से मृत्यु

*45—श्री जयराम वर्मा (जिला फजाबाद)—

14 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न नत्थी (ग) के अट्ठाइसवें प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलावेंगे कि लाश का पोस्टमार्टम शिकायत मिलने के कितने दिन बाद और कब हुआ? क्या यह सही है कि मजिस्ट्रेट को मजिस्टीरियल जांच में इसके काफी प्रमाण मिले कि गजाधर को एस%ओ%अकबरपुर ने बहुत बुरी तरह पीटा और उसके मर जाने के बाद उसके भाई श्री राम लाल को यह सलाह दी कि वह लाश को जला दे? यदि हां, तो एस० ओ० 0, अकबरपुर के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

14-12-72 को पूछ गए तारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर में उल्लिखित राम लाल का प्राथना-पत्र दिनांक 8-8-72 जिला मजिस्ट्रेट फैजाबाद को 10-8-72 को मिला था। मृतक की लाश को 20-8-72 को खुदवाकर उसी दिन उसका पोस्ट माटंम कराया गया। मजिस्टीरियल जांच के दौरान 47 साक्षियों के बयान हुए थे जिनमें से मृतक के 3 भाइयों सहित केवल 10 साक्षियों ने गजाधर को उसकी मत्यु के 11 दिन पहले (19-7-72) को थानाध्यक्ष द्वारा मारे पीटे जाने की बात कही थी। मृतक के भाई रामलाल व श्रीराम ने थानाध्यक्ष व एक विधायक द्वारा मृतक की लाश को जला देने की सलाह दिये जाने का भी उल्लेख किया था। मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 20-7-72 को जमानत पर छूटने के बाद गजाधर द्वारा डाक्टरी न कराने और कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत न करने के कारण मृतक के भाइयों के बयान ठीक नहीं प्रतीत होते।

मजिस्ट्रेट की उक्त रिपोर्ट को देखते हुए थानाध्यक्ष के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

*46—श्री चन्द्रभान शर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

## कुल्हई की (बस्ती) प्राइमरी पाठशाला का भवन

*47—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र खुनयांवा के ग्राम सभा-कुल्हुई में प्राइमरी पाठशाला के निर्माण हेतु वर्ष 1962 से वर्ष 1970 के बीच कितना कितना रुपया नियोजन विभाग से दिया गया और वहां पर प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण हुआ या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

नियोजन विभाग द्वारा रू0 1,500 दिया गया था संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा रुपये का गबन करने के कारण भवन का निर्माण नहीं हुआ है ।

## प्राथमिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान

*48—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें पता है कि बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना और जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति के बाद से प्राथमिक शिक्षकों को नियमित वेतन नहीं मिलता ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार इस त्रुटि को दूर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। चूंकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् एक नवीन इकाई स्थापित की गई है और इसने अपना कार्य काल वित्तीय वर्ष के मध्य में संभाला है, अतः इसके कार्य संचालन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। किन्तु अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों के असहयोग के कारण वेतन भुगतान में विलम्ब हुआ। इस सम्बन्ध में समय-समय पर उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को यथा सम्भव शीघ्रता से निराकरण भी कर दिया जाता है ।

## सचिवालय के टाइपिस्टों का स्थायीकरण

*49—श्री गया प्रसाद (प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 1957 में सचिवालय में जो अवर वर्ग सहायक लोक सेवा, आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की परीक्षा पास नहीं कर पाये थे उन लोगों ने टाइपिस्ट कैडर में काम करना मंजूर कर लिया था ? यदि हां, तो उन सहायकों को टाइपिस्ट कैडर में कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। स्थायीकरण रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कथित श्रेणी के टंककों में से अधिकांश का स्थायीकरण किया जा चुका है। अवशिष्ट 15 टंककों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही उपलब्ध रिक्तियों पर उनका स्थायीकरण कर दिया जायगा ।

## राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बासगांव (गोरखपुर) में इण्टरमीडिएट कक्षा खोलने की मांग

*50—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बासगांव में स्थित राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 1972–73 के वित्तीय वर्ष में इन्टरमीडिएट कक्षा को खोलने का विचार शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## गोरखपुर जिले के जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता

*51—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत विकास खण्ड बासगांव विकास खण्ड खजनी, विकास खण्ड उरुवा एवं विकास खण्ड बेलघाट एवं विकास खण्ड कौड़ीराम के अन्तर्गत कितने ऐसे जूनियर हाई स्कूल हैं जिन्हें अब तक शासन की ओर से मान्यता नहीं प्राप्त हुई है ? और जुलाई 1971 से 10 दिसम्बर, 1972 के बीच कितने जूनियर हाई स्कूल के प्रबन्धकों ने मान्यता प्राप्ति के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर उप शिक्षा संचालक, गोरखपुर एवं माननीय मन्त्री जी के यहां प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा समितियों का गठन

*52—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर बनने वाली बेसिक शिक्षा समितियों का गठन कब तक सम्पन्न हो जायेंगे एवं उन समितियों के सदस्यों के चयन का आधार क्या होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला परिषदों के चुनाव हो जाने के उपरांत प्रश्नगत समितियों का गठन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 10 के आधार पर किया जायगा।

*53—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

## माड्ल स्कूल, गनेशपुर बाराबंकी में अध्यापकों का अभाव

*54—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत माडल स्कूल गनेशपुर में जुलाई, 1972 से एक भी अध्यापक नहीं है, यदि हां, तो क्यों और कब तक अध्यापकों की व्यवस्था हो जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

## राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल करौरा, बुलन्दशहर की स्थानान्तरित अध्यापकायें

*55—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि जिला बुलन्दशहर के राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल करौरा से मास नवम्बर, 1971 में किन-किन कर्मचारियों व अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, दनकौर स्टेशन को हुआ था ? क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित अध्यापिकायें व कर्मचारी एक-एक मास तक कार्यभार से मुक्त होने के बाद ड्यूटी पर नहीं पहुंची ? यदि हां, तो उनके खिलाफ विभाग ने क्या अनुशासनात्मक एवं आदेश अवहलनात्मक कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केवल एक अध्यापिका तथा एक सेविका का स्थानान्तरण हुआ था।

जी हां।

अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का मामला विभाग के विचाराधीन है।

## राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, दनकौर (बुलन्दशहर) की प्रधानाचार्या का स्थानान्तरण

*56—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, दनकौर स्टेशन, जिला बुलन्दशहर की प्रधानाचार्य का स्थानांतरण अगस्त, 1972 को हो जाने के पश्चात् भी चार्ज नहीं दिया और पुलिस द्वारा ताले व सेफ तोड़ने के बाद चार्ज लिया गया? यदि हां, तो इस प्रधानाचार्या के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल दनकौर की प्रधानाध्यापिका के पद का चार्ज उनके अगस्त, 1972 में स्थानांतरण के पश्चात् चिकित्सीय अवकाश पर चले जाने पर पुलिस की उपस्थिति में आलमारी के ताले तोड़कर लिया गया। उक्त प्रधानाध्यापिका अभी तक चिकित्सीय अवकाश पर हैं। उनके अवकाश से वापिस आने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

## वाराणसी के जिले के स्वतंत्रता सेनानियों का मुआवजा

*57—श्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी) तथा श्री बंशीधर पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में सन् 1942 के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों की सम्पत्ति जो लूटी गई थी स्वतन्त्र होने पर उसका मुआविजा किस-किस को कितना-कितना दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वाराणसी जिले में सन् 1942 के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों की लूटी गई सम्पत्ति का मुआविजा, स्वतन्त्र होने पर किसे किसे और कितना-कितना दिया गया, इसकी †सूचना संलग्न है।

## फर्रुखाबाद जिले में अनुसूचित जाति के थानाध्यक्ष

*58—श्री बिहारी लाल (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फर्रुखाबाद जनपद में कुल कितने पुलिस के थानाध्यक्ष नियुक्त हैं उन थानाध्यक्षों में कितने अनुसूचित जाति के हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

फर्रुखाबाद जिले में 17 थानाध्यक्ष नियुक्त हैं। इन थानाध्यक्षों में कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं है क्योंकि जिल में वर्तमान अनुसूचित जाति के पुलिस उप निरीक्षकों को थानाध्यक्ष के पद के लिये अभी उपर्युक्त नहीं पाया गया।

---

†छापी नहीं गयी।

*59--श्री भाभी यादव--

[6वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

*60--श्री सर्वसुख सिंह--

[10वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

*61--श्री इन्द्रजीत--

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

## फतेहपुर जिले में खुलने वाले नये पुलिस स्टेमन

*62--श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के अन्तर्गत 3 पुलिस स्टेशन खोले जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

हां, थानों/चौकियों की पुनस्संगठन योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत फतेहपुर जिले में तीन नये थाने खोले जाने की स्वीकृति शासन ने दे दी है। पुनस्संगठित थानों के कार्यक्षेत्र की विज्ञप्ति प्रकाशन के बाद तीनों नये थान चालू होंगे।

*63--श्री शिवकैलाश--

[4थे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## कन्हैया लाल इंटर कालेज, कर्नलगंज, गोंडा में प्रशासक की नियुक्ति

*64--श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग (क) लखनऊ न पत्र संख्या शिक्षा (क) पत्रांक का 1/939/ पन्द्रह--2001 (196), दिनांक 6 फरवरी, 1970 द्वारा अध्यक्ष, कन्हैयालाल इन्टर कालेज, कर्नलगंज, गोन्डा को कालेज के व्यवस्थापक एवं प्राधानाचार्य पर गम्भीर आरोप लगाते हुए प्रशासक नियुक्त करन हेतु नोटिस दिया था और जिसके सन्दर्भ में श्री रतन चन्द अरोरा, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या क-1/5665-पन्द्रह--2001 (196)-69-70, दिनांक 28 जुलाई, 1970 द्वारा कन्हैयालाल इन्टर कालेज, कर्नलगंज, गोन्डा में प्रशासक की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो शासनद्वारा नियुक्त प्रशासक ने उक्त प्रशासक नियुक्ति हेतु दिये गय नोटिस में आरोपों से संबंन्धित प्रिसिपल के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ? और यदि नहीं की है, तो अब भविष्य में कब तक कार्यवाही शुरू की जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

राजाज्ञा दिनांक 9 फरवरी, 70 को संस्था के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस तथा राजाज्ञा दिनांक 28-7-70 द्वारा प्रशासक नियुक्त की गई थी।

प्रधानाचार्य को आरोप-पत्र दिया गया तथा प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् उनको गम्भीर चेतावनी दी गई।

## गौरीकलां (बांदा) में पड़ी डकैती की रिपोर्ट

*65--चौधरी रामपालसिंह यादव--

विधान सभा के दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 5, नत्थी (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि घटना की थाने में रिपोर्ट न लिख जान के समय एक दरोगा भी उपस्थित थे जिनके कहने पर ही घटना की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई

और जब इस सम्बन्ध में मुद्दई ने सरकार को प्रार्थना-पत्र देकर न्याय की मांग की तो थाना इन्चार्ज ने गांव में जाकर मुद्दई से प्रार्थना-पत्र से इन्कार किये जाने का एक लिखित बयान लिया ? यदि हां, तो थाना इन्चार्ज व अन्य दरोगा के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री महाबीर सिंह निवासी ग्राम गौरी कलां थाना पैलानी, बांदा के प्रार्थना-पत्र की जांच के दौरान यह पाया गया था कि जब श्री सिंह थाने पर रिपोर्ट लिखाने गये थे वहां पर एक प्रोबेशनर सब-इंस्पेक्टर व एक हेड मोहर्रिर उपस्थित थे। थाने का हेड मोहर्रिर जो उपस्थित था ही रिपोर्ट न लिखने के लिये मुख्य रूप से उतरदायी पाया गया। उसे निलम्बित करके उसके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है। सब इंसपेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं, क्योंकि सब-इंस्पेक्टर की भी कुछ जिम्मेदारी प्रतीत होती है।

प्राप्त सूचना के अनुसार डकैती की घटना के बाद गांव में एक पंचायत हुई थी जिसमें गांव के लोगों ने अभियुक्त के पिता से कुछ रुपया महाबीर सिंह को दिला दिया था और महाबीर सिंह की ओर से पुलिस अधीक्षक को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना-पत्र प्रधान से इस आशय का लिख दिया था कि कोई घटना नहीं हुई। इस प्रार्थना-पत्र पर महाबीर सिंह ने भी निशानी अंगूठा लगाया था और यही प्रार्थना-पत्र थानाध्यक्ष को दे दिया गया था। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक से कहा गया है कि वे स्वयं श्री महाबीर सिंह का बयान अंकित करके शासन को भेजें कि क्या उन्होंने स्वेच्छा से बाद के प्रार्थना-पत्र पर निशानी अंगूठा लगाया था।

## कन्हैया लाल इंटर कालेज, कर्नलगंज, गोंड में श्री श्रीराम सिंह विधायक की भूख हड़ताल

*66—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को यह पता है कि कन्हैया लाल इन्टर कालेज, कर्नलगंज, गोन्डा के प्रांगण में कटरा बाजार विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री श्रीराम सिंह ने दिनांक 2 अप्रैल, 1971 से 5 अप्रल, 1971 तक उक्त विद्यालय में व्याप्त गड़बड़ियों को लेकर भूख हड़ताल किय था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ? और क्या इसी विषय को लेकर कोई ज्ञापन दिनांक 21 अप्रैल, सन् 1972 को दिया गया था ? यदि हां, तो उनके उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। श्री श्रीराम सिंह जी द्वारा जिलाधिकारी गोन्डा को दिये गये ज्ञापन में मांगें संलग्न सूची के अनुसार थीं। लगभग इन्हीं मांगों से सम्बन्धित 21 अप्रैल 72, को प्रार्थना-पत्र दिया जिसके अनुसार संस्था के प्रशासक को राजाज्ञा दिनांक 17-8-72 द्वारा बदल दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 135 पर)

## प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड में पलिया केन यूनियन के प्रतिनिधि

*67—श्री करन सिंह (जिला खीरी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड में पलिया कन यूनियन का कौन प्रतिनिधि है और क्या यह उक्त समिति क बाइलाज की धारा 33: 8 के अनुसार प्रतिनिधित्व करने की अर्हता रखता है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से उसे मान्यता दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि0में सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, पलिया, के निम्नलिखित प्रतिनिधि हैं:—

मर्वश्री 1—अजीत सिंह
2—हेमेन्द्र शाह
3—सरबन सिंह
4—लालजी प्रसाद पाण्डे

और ये व्यक्ति समिति को उप विधि सं0 20 एवं 33 (अ) (8) के प्राविधानों के अनुसार प्रतिनिधि बने रहने को अर्हता रखते हैं।

## फिरोजाबाद के दंगे में क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की सहायता संबंधी प्रार्थना-पत्र

*68—श्री शफीक अहमद खां—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अगस्त सन् 1972 में फिरोजाबाद के दंगे के सम्बन्ध में वहां के मरे हुए व्यक्तियों तथा क्षतिग्रस्त लोगों की सहायता के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन को प्रश्न में उल्लिखित विषय पर प्रश्नकर्ता का हस्ताक्षर रहित पत्र अगस्त, 1972 में प्राप्त हुआ था। फिरोजाबाद में जून, 1972 म हुए दंगों के फलस्वरूप मारे गये व्यक्तियों के परिवारों, क्षतिग्रस्त लोगों तथा संस्थाओं की सहायतार्थ शासन द्वारा कुल मिलाकर 5.94 लाख रुपया स्वीकृत किया जा चुका है।

## के० बी० डिग्री कालेज, माछरा (मेरठ) के विरुद्ध शिकायतें

*69—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में स्थित के0 बी0 डिग्री कालेज, माछरा (मेरठ) में भ्रष्टाचार तथा गंभीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता की सस्तुति के साथ दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 को कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई कि उप-कुलपति, मेरठ विश्वविद्यालय की सिफारिश के अनुसार उक्त कालेज के वर्तमान प्रशासन को भंग करके प्रशासक नियुक्त किया जाय तथा अनियमितताओं की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई जाये? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उस पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ विश्वविद्यालय की संस्तुति के आधार पर इस कालेज में प्रशासक की नियुक्ति की जा चुकी है।

*70-71—श्री हुकुम सिंह परिहार—,

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

## इन्सपेक्टर पुलिस की एप्रूब्ड लिस्ट

72—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सब-इन्सपेक्टर पुलिस से इन्सपेक्टर के पद पर पदोन्नति करके अगस्त, 1972 के पश्चात् कितन व्यक्तियों को सी0 आई0डी0 एवं इन्टलीजन्स म भजने क लिये एप्रूव्ड किया गया है और उस लिस्ट के बावजूद पुनः एडहाक पदोन्नति

की सूची बनाकर आदेश दिये गये हैं।? यदि हां, तो प्रथम लिस्ट के एप्रूव्ड व्यक्ति कितने हैं और उनको स्थान न देने के क्या कारण हैं तथा नई लिस्ट एडहाक (अन एप्रूव्ड) क्यों बनाई गई और इस लिस्ट के कितने व्यक्तियों को आदेश दिया गया है तथा अब तक इसमें से कितने व्यक्ति इस लिस्ट से सी0 आई0 डी0 या इन्टेलीजेन्स में गये और नहीं गये, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सब-इन्स्पेक्टर पुलिस से इन्सपेक्टर के पद पर पदोन्नति हेतु 1972 में विभागीय चयन समिति द्वारा किसी अधिकारी को सी0 आई0 डी0 एवं इन्टेलीजेन्स में भेजने के लिये अनुमोदित (एप्रूव्ड) नहीं किया गया। अतः किसी एप्रूव्ड व्यक्ति को स्थान न देने का प्रश्न नहीं उठता। समिति द्वारा पहले किये गये चयन के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप चयन समिति द्वारा चयन नहीं किया जा सका परन्तु कार्य संचालन के लिय रिक्त पदों को भरने हेत सी0 आई0 डी0 में 4 अक्तूबर, 1972 से 35 सब-इंस्पेक्टरों को पुलिस महा-निरीक्षक द्वारा इन्सपेक्टर के पद पर एडहाक पदोन्नति के आदेश दिये गये जिसमें से 28 न कार्यभार ग्रहण कर लिया।

इन्टेलीजेंस विभाग के लिये 1972 में कोई एडहाक चयन नहीं किया गया।

## जिला उद्योग अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय में अनिस्तारित प्रार्थना-पत्र

*73--श्री रामपति (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला उद्योग अधिकारी, गोरखपुर के यहां किन-किन लोगों की दरख्वास्तें बाबत कच्चा माल, आयात एवं पंजीयन हेतु दो माह से अधिक दिनों से पड़ी हुई हैं जिनका निस्तारण नहीं हो पाया है? यदि हां, तो इस पद्धति में सुधार ले आने के लिये सरकार कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

वांछित सूचना संलग्न तालिका 'क' में दी है। जहां तक वर्तमान पद्धति में सुधार ले आने का प्रश्न है, इस प्रकार का कोई मामला शासन के विचाराधीन नहीं है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 136 पर)

## कादीपुर (आजमगढ़) के श्री नरेश हरिजन के मकान का ध्वंस

*74--श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़) तथा श्री लालसा (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के कादीपुर ग्राम के भूतपूर्व जमीदारों ने नरेश हरिजन के पूरे मकान को 23 अक्तूबर, 1972 की रात्रि में गिराकर ध्वस्त कर दिया और सारे सामान को लूट ले गये बादमें ट्यूबवेल का पानी चलाकर खेत बना दिये और दूसरे व्यक्ति को कब्जा करा दिये? यदि हां, तो पुलिस ने कौन सी कार्यवाही की, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

श्रीमती मंगरी पत्नी नरेश हरिजन निवासिनी ग्राम कादीपुर थाना मुहम्मदाबाद आजमगढ़ ने थाना मुहम्मदाबाद पर 23-10-72 को इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि अमुक व्यक्तियों न 22-10-72 को रात में उसके नये मकान को गिरा दिया, सामान उठा ल गय, ट्यूबवेंल का पानी ले जाकर भर दिया, धान की फसल काट कर चरवा दी व जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इस रिपोर्ट पर थाने पर एक मुकदमा धारा 448/379/427/143 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत कायम होकर विवेचना की गई। विवेचना से ज्ञात हुआ कि नरेश हरिजन के बैलों क बांधने वाला मकान गिराया गया। रहने का मकान सुरक्षित है। गिरे मकान क स्थान पर नरेश ही का कब्जा है किसी दूसरे का नहीं है।

समुचित साक्ष्य न उपलब्ध होने के कारण कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी और विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की कई।

## बेसिक शिक्षक सघ का प्रतिनिधि मंडल

*75--श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री राम गोपाल सण्ड--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश के सहायता एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में से संलग्न बेसिक अध्यापकों की मांगों क सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि मण्डल उतर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदत्त बाजपयी की अध्यक्षता में राज्य शिक्षा मन्त्री बेसिक से उनके आमन्त्रण पर दिनांक 20 अक्तूबर, 1972 को मिला था? यदि हां, तो शासन ने उनकी मांगों के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां।

उनकी मांगें शासन के विचाराधीन हैं।

## लालू नंगला (मुरादाबाद) में सर्वश्री शहाबुद्दीन तथा इदरीस की हत्या

*76--श्री शफीक अहमद खां--

क्या सरकार को मालूम है कि दिनांक 17 दिसम्बर, 1972 को अमरोहा, जिला मुरादाबाद से ग्राम लालू नंगला की ओर जाते हुए दो नवयुवकों शहाबुद्दीन और इदरीस को गला घोट कर मार डाला गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इस प्रकार की घटना को रोकने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16/17-12-72 की रात्रि में अमरोहा, जिला मुरादाबाद से ग्राम मुनव्वरपुर जान वाले रास्ते के निकट दो नवयुवकों शहाबुद्दीन तथा इदरीस की हत्यायें की गईं। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों की मृत्यु छाती दबने के कारण हुई। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई व्यक्ति बन्दी नहीं बनाया गया है। इस प्रकार की घटना को रोकने क सम्बन्ध में इस क्षेत्र के मार्गों पर सुरक्षा हेतु गश्त का प्रबन्ध कर दिया गया है।

## स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये राजकीय सेवाओं में आरक्षण

*77--श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों क लिये सरकार शिक्षा संस्थाओं तथा राजकीय सेवाओं म कुछ स्थानों का जिस प्रकार हरिजनों अथवा सनिकों क लिय आरक्षण किया जाता है करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तथा किस प्रकार, नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

राज्याधीन समस्त सेवाओं के वर्ग 2, 3 व 4 में सीधी भर्ती के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के आरक्षण देने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। यही आदेश राजकीय शिक्षा संस्थाओं पर भी लागू है।

स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिये सेवाओ में कोई आरक्षण नहीं किया गया है ।

*78--श्री सियाराम--

[7वें गुरुवार के प्रश्न संख्या 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*79--श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

[4थे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या 70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*80--श्री मन्जूर अहमद--

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

## अतारांकित प्रश्न

### थाना नगराम (लखनऊ) के अन्तर्गत अपराध

1--श्री जगन्नाथ राव--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में थाना नगराम में जनवरी, 1972 से नवम्बर, 1972 तक क्रमश: अलग-अलग चोरियां, डकैतियां, कत्ल, आगजनी, राहजनी, नकबजनी इत्यादि की घटनायें घटित हुई तथा उनम अलग-अलग क्या कार्यवाहियां की गईं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ,' आगे पृष्ठ 138 पर)

### कालिका (पिथौरागढ़) की बजानी पेय जल एवं गूल योजना

2--श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पिथौरागढ़ के कालिका ग्राम सभा में बजानी पेय जल एवं गूल योजना के निर्माणार्थ 86 हजार रुपये की स्वीकृति पिछले 5 वर्षों में हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामवासियों के द्वारा 5 हजार रुपये की धनराशि एकत्रित कर दी गई थी उन्हें वापिस करने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

पिथौरागढ़ के कालिका ग्राम सभा में बजानी पेयजल एवं गूल योजना के नाम से पिछले पांच वर्षों में 86 हजार रुपये की लागत की कोई योजना स्वीकृत नहीं की गयी है ।

वर्ष 1967-68 में सिंवाई गूल के नाम से दो चरणों में 9444.38 रुपये व 8,965.25 रुपये की लागत से जिनक लिय विकास खण्ड द्वारा 3,700 रु0 तथा 3,750 रुपय क्रमश: अनुदान के रूप में स्वीकृत किया गया और बाकी रुपया ग्रामवासियों न स्वयं श्रमदान एवं चन्दे क रूप म योजना की पूर्ति पर व्यय किया, कार्यान्वित की गयी । ग्रामवासियों की कोई धनराशि विकास खण्ड कार्यालय में एकत्रित नहीं है । अत: उसकी बापसी का प्रश्न नहीं उठता ।

## कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर (नैनीताल) के शीरे की बिक्री

3—श्री रामकरन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग के नियन्त्रण में संचालित तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रबन्धित बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर (नैनीताल) के प्रबन्धक द्वारा क्रशिंग सीजन 1971–72 में बना शीरा (मौलासेज) कुल कितना क्विन्टल कितने मूल्य पर बेचा गया? और उपरोक्त फैक्टरी द्वारा वर्ष 1971–72 के सीजन में कितना गन्ना पेरा गया और उसका कितना प्रतिशत शीरा बना तथा पिछले सीजन 1969–70 व 1970–71 में क्रमशः कितना गन्ना पेरा गया था और उसका कितना प्रतिशत शीरा क्रमशः बना?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बाजपुर सहकारी चीनी मिल (नैनीताल) में वर्ष 1971–72 में कुल 54,510.63 क्विंटल शीरा बना था, जिसमें से 54,249.85 क्विंटल शीरा उत्तर प्रदेश शीरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1964 में निर्धारित मूल्यों के अनुसार 34,763.34 रुपये में बेचा गया।

वर्ष 1969–70, 1970–71 व 1971–72 में पेरे गये कुल गन्ने तथा उसके प्राप्त शीरे के प्रतिशत का विवरण निम्न प्रकार से है:—

| वर्ष | कुल पेरे गये गन्ने की मात्रा (क्विंटल) | शीरे का प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1969–70 .. .. | 32,36,574.80 | 3.51 |
| 1970–71 .. .. | 27,99,696.30 | 3.90 |
| 1971–72 .. .. | 17,06,173.40 | 3.15 |

## प्रदेशीय स्तर पर योजना आयोग का गठन

4—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेशीय स्तर पर योजना आयोग का गठन किया है? यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

सदस्यों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 139 पर)

## हिन्दी समिति माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद का पारित प्रस्ताव एवं हाई स्कूल एवं इण्टर का परीक्षाफल

5—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी समिति माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद क द्वारा हिन्दी की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों (हाई स्कूल व इन्टर) के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव व संस्तुति शासन को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध म अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। शासन ने हिन्दी पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकारकर लिया है तथा तदनुसार अधिनियम एवं विनियमों में संशोधन तथा स्टाफ आदि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश परिषद् को दिया है।

6—श्री मोहन लाल कपूर--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल व इन्टर 1972 की वार्षिक परीक्षा के उपरान्त कितने विद्यार्थियों का परीक्षाफल किस-किस कारण से रोका गया? अब तक कितने विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया और शष का परीक्षाफल कब तक घोषित हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

रोके गये परीक्षाफलों के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है ।

शेष अनिर्णीत विषयों में अधिकांश के सम्बन्ध में जांच आदि की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा शीघ्र निर्णीत हो जान की आशा है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 140 पर)

## चीनी मिलों की औसत रिकवरी

7--श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री बांके लाल--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1971-72 के पेराई सीजन में उत्तर-प्रदेश को प्रत्येक चीनी मिल की औसत रिकवरी चीनी की क्या थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वर्ष 1971-72 के पेराई सीजन में उत्तर प्रदेश की प्रत्येक चीनी मिल की औसत रिकवरी (परता) चीनी सलग्न तालिका में दर्शायी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 142 पर)

## फर्रुखाबाद जिले में फायर आर्म्स के लाइसेंस

8--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के वर्तमान जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 11 दिसम्बर, 1972 ई0 तक फायर आर्म्स के कितने लाइसेन्स स्वीकृत अथवा निलम्बित अथवा रद्द किये? क्या सरकार तीनों प्रकार स्वीकार किये गये निलम्बित लाइसेन्सों का पूरा ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वर्तमान जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 11दिसम्बर, 1972 तक फायर आर्म्स के 82 लाइसेंस स्वीकार तथा 161 लाइसेंस निलम्बित किये। उक्त निलम्बित लाइसेन्सों में से 65 लाइसेंस रद्द किय जा चुके हैं तथा शेष 96 लाइसस अभी निलम्बित चल रहे हैं। समस्त स्वीकृत, निलम्बित व रद्द लाइसेन्सों का पूरा ब्योरा संलग्न‡ तालिकाओं में दिया गया है।

---

‡छापी नहीं गयी।

## उर्दू पुस्तकों का प्रकाशन एवं विक्रय

9—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन प्रकाशकों से उर्दू की पुस्तकें कितनी-कितनी संख्या में, किस-किस कक्षा की राजकीय पाठ्य पुस्तक अधिकारी के द्वारा 1971–72 में छपवाई गई ? तथा 1971–72 में उर्दू की कितनी पुस्तकों की बिक्री हुई तथा कितनी शेष बचीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

विवरण तालिका संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 144 पर)

## माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश का मेरठ स्थित कार्यालय

10—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश का विकेन्द्रीयकरण करके मेरठ में उसका कार्यालय खोल दिया गया है ? यदि हां, तो मेरठ कार्यालय परिषद् ने किन कार्यों को कर रहा है तथा कितने अधिकारी व अन्य कर्मचारी वहां कार्य कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, फरवरी 1972 में मेरठ में परिषद् का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। इस कार्यालय में मरठ एवं आगरा मंडलों क परीक्षार्थियों के 1973 की परीक्षाओं के आवेदन-पत्रों से सम्बन्धित सभी मुख्य कार्य एवं मान्यता सम्बन्धी आंशिक कार्य सम्प्रति किया जा रहा है। इसके पूर्व 1972 की पूरक परीक्षाओं का काय भी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कराया गया है। वहां पर एक अतिरिक्त सचिव (अधिकारी) एवं 33 सहायक तथा 1 चपरासी इस समय कार्य कर रहे हैं।

## थाला (चमोली) में राम गंगा नदी का गार्डर पुल

11—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद चमोली के विकास क्षेत्र गैरसैण के रामगंगा नदी पर थालां नामक स्थान म गाडर पुल का निर्माण कार्य कब से और क्यों बन्द है और उसको पूरा करन की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्नगत पुल पर निर्माण कार्य बन्द नहीं है। उसके एक्टमेन्ट और पहुंच मार्ग पूरे हो गये हैं। अब पुल के निर्माण (इरक्शन) का अनुबंध तैयार हो रहा है।

## आटागाढ़ (चमोली) का स्वीकृत पैदल पुल

12—श्री शेर सिंह दानू—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद चमोली के क्षेत्र कर्ण प्रयाग के आटा-गाढ़ में स्वीकृत पैदल पुल का निर्माण कार्य कब और किस स्थान म किया जा रहा ह ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सम्बन्धित पुल का निर्माण 1964 से कर्णप्रयाग से 8 किलोमीटर की दूरी पर गैरसैण की तरफ देवलवाट पर आटागाढ़ नदी पर किया जा रहा है। पुल क बृढ़ीकरण तथा निर्माण (इरक्शन) का कार्य प्रगति पर है।

## चमोली जिले का प्रस्तावित थराली डुंगी घाट मोटर मार्ग का निर्माण-कार्य

13—श्री शेरसिंह दानू—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद चमोली में प्रस्तावित थराली-डुंगी घाट मोटर माग का निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायगा ? क्या उक्त मार्ग का प्रारम्भिक इस्टीमट शासन को भजा गया है ? यदि हां, तो उसके अनुसार कार्य आरम्भ न किये जान का क्या कारण ह ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रस्तावित थराली डुगी घाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 17.236 लाख रु0 की लागत का आगणन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सीमांत), सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश न शासन को दिनांक 20 जनवरी, 1973 को भेजा है। आगणन पर बिचार किया जा रहा है। अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि सड़क का निर्माण-कार्य कब आरम्भ किया जायगा।

## गवर्नमेंट नार्मल स्कूल, ददरौल (शाहजहांपुर) के अध्यापकों के देय

14—श्री सरदार सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमट नार्मल स्कूल, ददरौल, (शाहजहांपुर) मे कितने अध्यापकों ने शिक्षा सत्र 1970-71 में इस्तीफा दिया और उनमें से किस-किस की वार्षिक वृद्धि एव भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया और कब तक भुगतान हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केवल एक अध्यापक।

वेतन वृद्धि तथा भविष्य निर्वाह निधि के भुगतान हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

## लखनऊ में नियुक्त पी०सी०एस० कैडर के अधिकारीगण

15—श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री तिरमल सिंह, (जिला एटा), श्री धर्मवीर सिंह, श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव) तथा श्री बश गोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी0 सी0 एस0 कैडर के कितने अधिकारी ह जो पिछले दल वर्षों या उससे अधिक समय से लखनऊ में नियुक्त हैं ? उनके क्या नाम हैं और किस-किस पद पर इस समय कार्य कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसे अधिकारियों की संख्या 4 है। उनके बारे मे विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 146 पर)

## सुल्तानपुर के थाना बल्दीराय के अन्तर्गत खड़ी फसल काटने की घटनायें

16—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के थाना बल्दीराय के अन्दर दिनांक 1 अक्तूबर, 1972 से 15 अक्तूबर, 1972 के बीच खडी फसल को काट लेने आदि की कितनी घटनायें हुई थीं और उनके आधार पर अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाहियां की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 1 अक्तूबर, 1972 से 15 अक्तूबर, 1972 तक की अवधि में थाना बल्दीराय, जिला सुल्तानपुर में खडी फसल काट लेने की दो घटनाओं की सूचना मिली थी। दोनों घटनाओं के सम्बन्ध में थाने पर धारा 379 भा0 दं0 विधान के अन्तर्गत 2 मुकदमें कायम करके जांच की गई। एक मुकदमें की जांच से यह पाया गया कि उभय पक्षों के बीच दीवानी अदालत में फसल वाले खेत के सम्बन्ध में मुकदमेंबाजी हो रही है और दूसरे मुकदमें की जांच से फसल वाली भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा पाया गया। अतः दोनों मुकदमों म अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।

## बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों की सी० टी० वेतन-क्रम में नियुक्तियां

17—श्री शेरसिह दानू—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों को नव-नियुक्त अध्यापक के रूप में सी0 टी0 वेतन-क्रम में नियुक्त करना नियमानुकूल है ? यदि हां, तो इसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं, यह नियमानुकूल नहीं है।

## कानपुर से प्रकाशित दैनिक "बमबम" समाचार-पत्र का विज्ञापन

18—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सूचना राज्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन किन-किन आधारों पर दिया जाता है और कानपुर से प्रकाशित दैनिक 'बमबम' को विज्ञापन देना किस आधार पर बन्द कर दिया गया है ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

सरकारी विज्ञापन केवल उन्हीं दैनिक-पत्रों को दिये जाते हैं जो निम्नलिखित शर्तों की प्रति पूर्ति करते हैं—

1—पत्र नियमित रूप से चार पृष्ठों में प्रकाशित होता हो।

2—पत्र का आकार 50×38 सेन्टीमीटर हो।

3—पत्र की सशुल्क प्रसार संख्या कम से कम 1,000 प्रतियां प्रतिदिन हों।

4—पत्र में अश्लील तथा व्यक्तिगत आक्षेप वाली सामग्री प्रकाशित न होती हो तथा

5—पत्र साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलाने वाले समाचार प्रकाशित न होते हों।

दैनिक "बमबम" को उसके अनियमित प्रकाशन और अश्लील, सनसनीखेज और व्यक्तिगत आक्षपवाली सामग्री के कारण विज्ञापन देना बन्द किया गया था।

## बछुवावाण (चमोली) का पुल निर्माण-कार्य

19––श्री शेरसिंह दानू––

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद चमोली के विकास क्षेत्र गैरसेण के वछुवावाण नामक स्थान में पुल निर्माण कार्य की क्या प्रगति है और कब तक उक्त कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

यह पुल मेहलचौरी-वछुवावाण अश्व-मार्ग का भाग है । सड़क का कार्य पूर्ण हो गया है । केवल पुल की ऊपरी रचना का कार्य बाकी है क्योंकि लोहे के पार्ट्स अधूरे प्राप्त हुए हैं और कुछ पार्ट्स बनाये जा रहे हैं । आशा है कि पुल का निर्माण कार्य जून, 1973 तक पूर्ण हो जायेगा ।

## इलाहाबाद डिवीजन में स्कूलों के बालिकाओं की क्षति पूर्ति का रुपया

20––श्री बिहारी लाल तथा श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद डिवीजन में ऐसे कौन-कौन जूनियर तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं जिनको नि:शुल्क पढ़ने वाली बालिकाओं की क्षति-पूर्ति का रुपया सन् 1971–72 का नहीं मिला है ? क्या उन स्कूलों को उनको मिलने वाला रुपया शीघ्र दिला दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## आजमगढ़ जिले के हायर सेकेंड्री स्कूलों के भवन निर्माण-कार्य व विज्ञान हेतु सहायता

21––श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़)––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सन् 1966, 1967 व 1968, 1969, 1970 में हायर सेकेन्डरी स्कूलों को भवन निर्माण कार्य व विज्ञान के लिये कितनी-कितनी सहायता सरकार ने प्रति वर्ष दी है ? क्या उन विद्यालयों की एक सूची मय विवरण सहित सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

वांछित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 147 पर)

## भूतपूर्व सदस्य श्री पितई राम तथा श्री चन्द किशोर तिवारी के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––

माननीय, हमारे दो ऐसे साथी जो पहले विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं उनका गत फरवरी माह में निधन हो गया । यह माननीय सदस्य हैं श्री पितई राम और श्री चन्द्र किशोर तिवारी । श्री पितई राम 1962–67 तक विधान सभा के सदस्य रायबरेली के सलोन निर्वाचन क्षेत्र से चुन गये थे और सार्वजनिक कार्यकर्ता थे विशेषकर दबे हुये लोगों,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हरिजनों और पिछड़े हुये लोगों में उनकी सेवायें थीं । श्री चन्द्र किशोर तिवारी 1967–68 में फतेहपुर से खादा निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य चुनकर आये थे । यह भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर चुन गये थे और श्री पितई राम जी सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर थे ।

तिवारी जी पुराने कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता संग्राम में भी उन्होंने जेल यातनायें भोगी थीं वर्धा में उन्होंने भी हिन्दुस्तान प्रचार समिति में कार्य किया था। कम्युनिस्ट पार्टी क भी कार्यकर्ता रहे। बाद में रिपब्लिकन पार्टी में चले गये और उसी के टिकट पर चुनकर आये थ । उनका भी फरवरी मास में देहान्त हो गया । ये दोनों सार्वजनिक कार्यकर्ता थे । वे विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं और उनके निधन से हम लोग दुखी हैं । हम भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करते हैं और आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारी संवेदना और सहानुभूति उनके संतप्त परिवार तक पंहुचा दें ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)––

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री पितई राम और स्वर्गीय श्री चन्द्र किशोर तिवारी के निधन के सम्बन्ध में, माननीय नेता सदन ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री पितई राम जी रायबरेली के निवासी थे और वह सलोन निर्वाचन क्षेत्र से इस विधान सभा के सन् 62 से 67 तक सदस्य थे। ये बहुत मिलनसार व्यक्ति थे और उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। वह हरिजनों और गरीबों में प्रिय व्यक्ति थे और अछूतोद्धार के काम में काफी दिलचस्पी रखते थे। उनके उठ जाने से हम सभी को बहुत दुख है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी और मेरे दल की संवेदना सन्तप्त परिवार तक पंहुचाया जाय । श्री चन्द्र किशोर तिवारी फतेहपुर के निवासी थे और खागा से 67-68 में इस सदन के सदस्य थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था, और जेल की यातनायें भोगी थीं। वह हिन्दी प्रचार समिति के कार्य में भी, जो वर्धा से चलता था, बड़ी दिलचस्पी लेते थे और उसके वह मंत्री थे। उनको पत्रकारिता में भी बडी दिलचस्पी थी और कई पत्रिकाओं के वह सम्पादक थे । वह काफी मिलनसार व्यक्ति थ और सेवा कार्य में बराबर लगे रहते थे। उनके उठ जाने से भी उस जिले को काफी क्षति पंहुची है । हमारी भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और आपसे अनुरोध है कि मेरी और मेरे दल की संवेदना और सहानुभूति उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दें ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)––

मान्यवर, स्वर्गीय पितई राम और स्वर्गीय चन्द्र किशोर तिवारी जी के बारे में मुख्य मंत्री और माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने और अपन दल को सम्बद्ध करता हूं । हम सभी उनके निधन से बहुत दुखी है । परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दोनों व्यक्तियों की आत्मा को शांति मिले। आपसे यह अनुरोध है कि आप हमारी भावनायें उनके सन्तप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)––

मान्यवर, श्री पितई राम जी और चन्द्र किशोर तिवारी जी के निधन पर जो भावनायें नेता सदन तथा अन्य नेताओं न व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । सन् 1962–67 के बीच श्री पितई राम जी के साथ काम करने का अवसर मिला । उन स्मृतियों को ध्यान में रखन के बाद स्वतः मुझे बहुत कष्ट अनुभव हो रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों की भावनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संन्तप्त परिवारों को इस कष्ट को बर्दाश्त करने की क्षमता प्रदान करें ।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

स्वर्गीय श्री पितई राम जी और श्री चन्द्र किशोर तिवारी जी के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेता विरोधी दलों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्री पितई राम जी हमारे दल से सन् 1962 में रायबरेली की सलोन कांस्टीट्यूऐंसी से चुनकर विधान सभा में आये थे और सन् 1967 तक लगातार इस सदन के सदस्य रहे । वे समाज सेवी थे और छोटे वर्गों में काम करते थे और इसका बड़ा शौक था । ऐसे अच्छे समाज सेवी के उठ जाने से अपूर्ण क्षति हुई है ।

यही स्थिति स्वर्गीय श्री चन्द्र किशोर जी की भी है। इन दोनों महानुभावों का उठ जाने से बहुत क्षति हुई है । उनके प्रति हम हार्दिक संम्वेदना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी और हमारे दल की संवेदनाय उनके सन्तप्त परिवारों तक पहुंचा दें ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

स्वर्गीय श्री पितई राम जी और श्री चन्द्र किशोर तिवारी जी के बारे में जो भावनायें नेता सदन व अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, ये दोनों महानुभाव दलित वर्ग के थे । दलित वर्ग के उत्थान के लिये उन्होंने हमेशा संघर्ष किया जैसे कि देश की आजादी के लिये बलिदान दिया था । मान्यवर, मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी और हमारे दल की भावनायें उनके सन्तप्त परिवारों तक पंहुचान की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

कल दो शोक सन्देश थे और आज फिर 2 व्यक्तियों के बारे में दुखद सूचनायें हमें प्राप्त हुई हैं, श्री पितई राम जी और श्री चन्द्र किशोर तिवारी जी के विषय में । उनकी सूचना माननीय नता सदन के आपके सामन रख दी और उनके कार्य और उनके बारे में उन्होंन जिक्र कर दिया । दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी अपनी भावनाय व्यक्त कीं । नेता सदन ने जो भावनायें व्यक्त की वही विरोधी दलों के नेताओं ने भी व्यक्त कीं । सदन में जो भावनाएं व्यक्त हुई हैं उनसे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं । उन भावनाओं से सम्बद्ध करते हुये मैं यह जरूर आवश्यक समझूंगा कि उनके सम्बन्धियों के पास हमारे सदन का शोक सन्देश भेज दूं । इस बीच हम दो मिनट के लिये उठें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति दे ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये ।)

## कतिपय सदस्यों द्वारा लाभ पद धारण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब ने नियम 301 में एक विषय उपस्थित किया है । उसका सम्बन्ध कुछ सदस्यों के बारे में हैं जो कि वह समझते है कि उन्होंन जो कार्य किये हैं वह संविधान के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ श्री अध्यक्ष ]

हिसाब से ठीक नहीं है और अर्हता उनको दी नहीं गयी थी । ऐसी हालत में इसके ऊपर वह चर्चा करना चाहते हैं । मैं उनसे कहूंगा कि यह विषय ऐसा है जिसमें हमें कुछ करना नहीं है । इसमें सदन को निर्णय नहीं लेना है, इसमें गवर्नर को निर्णय लेना है और जो सूचना या जानकारी आप दे रहे हैं उसको उनके पास भेजने का जरूरत पड़ेगी । वह मैं भेज दूंगा और जो वह निर्णय देंगे उसको हम स्वीकार करेंगे लेकिन चौधरी साहब के पास इसके अतिरिक्त जो सूचना है वह भी उनको भेज दें और सरकार के पास जो जानकारी हो वह भेज द और जो निर्णय वह देंगे, वह उनका अन्तिम निर्णय होगा। यहीं संविधान के अनुसार होगा । यह नियम 192 (1) है:—

"192 (1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान मंडल का सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

इसमें क्या लिखा है वह तो पढ़कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष—

अनर्हता के बारे में इसमें प्रश्न है कि कुछ लोग ऐसी कमेटियों में आ गये हैं जिनके बारे में कोई कानून पास नहीं किया गया है तो वह अनर्ह होंगे ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

यह एजेन्डे का कौन सा आइटम आप ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह नियम 301 के अन्तर्गत चौधरी चरणसिंह ने भेजा है और इसलिये चर्चा उसकी सदन में नहीं होगी । मैं उसको गवर्नर को भेज दूंगा क्योंकि उनको इसमें निर्णय करने का अधिकार है । वह अधिकार न इस सदन को है और न मुझे है, इसलिये यहां पर अब चर्चा नहीं होगी ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

यह तो शायद मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपका निर्णय है वह तो अंतिम निर्णय है ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है । जब आपने एक आदेश दे दिया और रूलिंग दे दी कि चौधरी साहब ने जो विषय उठाया है उसको आप गवर्नर के पास भेज दें रहे हैं तो अब आप चर्चा चलाने की इजाजत चौधरी साहब को कैसे दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको चर्चा की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री चरण सिंह—

मुझे चर्चा नहीं करनी है लेकिन जैसा कि मैंने आपको सूचना दी है और जो नोट आपके पास मेरा है 301 के मातहत उसको सदन की सूचना के लिये भेजा है । तो आपने मुख्तसर कुछ तो बतला दिया लेकिन मैं नहीं समझता कि सदन के सारे माननीय सदस्यों को उसका

आशय स्पष्ट हो गया हो । इसलिये उसपर बहस मुबाहसा न हो लेकिन मैं उसको केवल आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं । यह आपके इन्टरेस्ट में भी है क्योंकि वह माननीय सदस्यों के हित में है और आप भी इस पिक्चर में आते ह इसलिये मैं चाहतां हूं कि आप स्वयं इसको पढ़कर सदन में सुना दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं उसे राज्यपाल जी के पास भेज दूंगा ।

श्री चरण सिंह--

आप ही पढ़कर सुना दें । उस पर कोई बहस न होवे ।

श्री कल्पनाथ सिंह-

अध्यक्ष जी, जिस पत्र का आपने जिक्र किया है कि वह आपके पास पहुंचा है वह अब इस सदन की प्रापर्टी है । उस पत्र को आप कृपा करके पढ़ दें जिससे हम लोग भी जान लें कि पत्र में क्या लिखा है । आपने नियम 301 का हवाला दिया है वह विषय ऐसा है कि जो सदन की जानकारी म आना चाहिये क्योंकि सदन के सदस्य उस विषय से ताल्लुक रखते हैं, इसलिये आप कृपा करके सदन की जानकारी के लिये वह पत्र पढ़ दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मैं श्रीमन्, इसमें एक शब्द और जोड़ देना चाहता हूं जो बात माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कही है । हमें यह मालूम होना चाहिये कि चौधरी साहब क्या कहते हैं, जो फैक्टस हैं वे सदन के सामने आवें । यह सही है कि उस पर निर्णय गवर्नर साहब देंगे और ऐसा प्राविधान है तो मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन यह वह उसे अवश्य जानना चाहता है कि तथ्य क्या हैं और वह सही है या नहीं है । लेकिन तथ्य की जानकारी तो हमको होनी ही चाहिये ।

पढ़कर सुना दिया जाय ।

श्री बंशीधर पांडे (जिला वाराणसी)--

डिस्क्वालीफिकेशन का बिल लाना चाहते हैं तो हम अवगत तो रहें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नित्य प्रति आपके सामने बहुत से प्रश्न आते रहते हैं, आप उनमें से प्रत्येक को पढ़कर तो सुनाते नहीं हैं । आपने इसमें निर्णय ले लिया है तो पढ़ने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जगन्नाथ खन्ना--

यह बतला दिया जाय कि इसमें लिखा क्या है ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

नियम 301 में यह जानकारी दी गई है। आप इसको पढ़ लें । जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहें, जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देंगे, जिसमें संक्षप में उस विषय को बतलावेंगे जिसे वह सदन में उठाना चाहते हों । आप इसमें देख सकते है कि यह विषय सदन में उठना चाहिये । ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिय दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें ।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

श्रीमन्, चौधरी साहब को इस निगम के अन्तर्गत पूरा अधिकार है और आपको यह अधिकार है कि आप किसी दूसरे समय पर और तिथि पर चौधरी साहब को विषय उठाने की अनुज्ञा दें। आप इजाजत देंगे तो बहस होगी लेकिन इस मामले में कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा और राज्यपाल महोदय को भेज दिया जावगा।

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा है उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित कर।

पहले मैं इजाजत दे दूं इसको उठाने की तभी यह आ सकता है। मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री बंशीधर पांडेय—

301 के पहले 300 पढ़ लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आपके कहने से मैं दूसरी चीज नहीं पढ़ूंगा। 301 में दिया है और उन्होंने कहा है कि अमुक सदस्य को यहां बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिये। यह चीज मेरे अधिकार के बाहर है इसलिये मैंने कहा था कि यह केवल गवर्नर को अधिकार है। तो मैं गवर्नर के पास इसको भेज दूंगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

यह प्रस्ताव आप अपने कमरे में पारित कर देते तो मैं कुछ नहीं कहता लेकिन आपने यह बात यहां कही है तो सुनाने में क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष—

इसको मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। मैंने यह कहा है कि यह मेरे अधिकार के बाहर है और संविधान के अनुसार इस पर गवर्नर को फैसला करना चाहिये।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

सुनाने में क्या आपत्ति है, आप खारिज कर दें।

श्री अध्यक्ष—

जब फैसला आ जावेगा तो मैं दे दूंगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

आप पढ़कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं गवर्नर के पास भेज दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत देंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने फैसला दे दिया है।

श्री रामधारी शास्त्री—

मैं दूसरी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । मेरा कहना यह है कि नियम 301 के अन्तर्गत जो माननीय चौधरी साहब ने प्रस्ताव रखा उसके बारे में अगर आप सदन म कोई चर्चा न करते तब तो कोई बात नहीं थी । लेकिन 301 नियम की मंशा यह है कि जब कोई प्रस्ताव सदनके समक्ष आये तो सदन इस बात से अवगत हो जाय कि क्या वजह है उस चीज को रखने की और अगर इस तरह से आप जानकारी न करायें तो मैं समझता हूं कि यह अन्याय होगा क्योंकि अकेले यह निर्णय कर लेना उचित नहीं होगा। क्या माननीय सदस्य इस पर विचार नहीं कर सकते कि जो प्रस्ताव है वह इस लायक है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

सदन के अधिकार के बाहर की चीज है और मेरे अधिकार के बाहर की चीज है । तो उस पर यहां चर्चा नहीं होगी ।

श्री रामधारी शास्त्री—

जैसा आपने कहा कि उसमें कुछ ऐसी बातें है जिनका सीधा संबंध इस सदन के माननीय सदस्यों से है तो क्या हम यह विचार नहीं कर सकते कि कुछ सदस्य इस सदन के माननीय सदस्य रह सकते हैं या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर उसका डिस्कशन नहीं होगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक बड़ा मौलिक प्रश्न आज आपने इस सदन के सम्मुख उपस्थिति कर दिया है और मैं आपक माध्यम से आदरणीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि यह देखते हुए कि विधान सभा के कुछ सदस्यों के बारे में मौलिक प्रश्न उपस्थित हो गया है उस पर ठंडे दिल से विचार करें । जो भी चौधरी साहब ने लिखा है आप इस नतीजे पर पहुंचे है कि 301 के अन्तर्गत नहीं आता और आपने अनुज्ञा नहीं दिया है । लेकिन हम जो एतराज है वह आपके दूस वाक्य पर है । आपने यह कहा है कि मैंने गवर्नर के पास भेज दिया है ...

श्री अध्यक्ष—

भेज नहीं दिया, भेजूंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

यही मैं पूछना चाहता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत, संविधान की किस धारा के अन्तर्गत आप इसे गवर्नर के पास भेज देंगे । हम लोग गवर्नर के नौकर नहीं हैं । हम लोग कांस्टीट्यूशनल राइट से इस असेम्बली में बैठे है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमसे संबंधित कोई प्रश्न आप गवर्नर के पास भेज दें। अगर आप आश्वस्त नहीं हैं तो आप खारिज कर दें, लकिन जो यह आश्वासन आप दे रहे हैं, कि गवर्नर के पास भेज देंगे यह आप वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे गवर्नर से रोज कंटेक्ट करने का अधिकार है, उनको लिखने का अधिकार है, सब तरह का अधिकार है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

अभी उस दिन एक बिल लाये थे कि इतने तरह की अनर्हतायें जोड़ी जायेंगी । वह हुआ में इसलिये आया कि मेम्बर्स की डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में इस सदन को और

[श्री बंशीधर पाण्डे]

पार्लियामेंट अपने मेम्बर्स के लिये चीजें जोड़ती है, नियम बनाती है रेप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के अन्तर्गत। तो जैसा कृष्णानन्द राय जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। वह तो एक रुटीन का काम है। कोई मेम्बर डिस्क्वालिफाई हो जाता है मेम्बर हो जाने के बाद अपने कुछ कृत्यों के कारण तो वह तो लिखा हुआ है कि गवर्नर को प्रतिवेदन जायेगा और वह जांच करके उसको डिस्क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन इस सदन के अन्तर्गत यह हमारा पूरा राइट है क्योंकि हम डिस्क्वालिफिकेशन के क्लाजज को जोड़त हैं, घटात हैं। उस वरचू से मेरा अधिकार है इस बात को जानने का कि कौन मेम्बर डिस्क्वालिफाई हो गया, जिस तरह से हमारी पावर है डिस्क्वालिफाई को क्वालिफाई करे करने की। आपने देखा होगा एक बिल आ रहा है जिसम 28 क्लाजेज जोड़ दिय। वह क्यों आ रहा है? इसलिये कि सदन ही सक्षम ह। जब तक हम कानून पास नहीं करते तबतक मेम्बरशिप को धारण करने के बाद डिस्क्वालिफाई हो जाता है। अगर बाइ वर्चू आफ डैट पावर, कोई सदस्य उन चीजों को ग्रहण कर लेता है तो जब तक हम रिट्रास्पेक्टिव इनैक्टमेंट से उसको ठीक नहीं करत, वह मेम्बर डिस्क्वालीफाई हो जायेगा। माननीय कृष्णानन्द राय जी न जो कहा है वह ठीक ही कहा है। आप पोस्ट बाक्स की हैसियत से काम न कीजिये (व्यवधान) हमें यह अधिकार है कि हम उन मेम्बरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और यह जान सकें कि कौन-कौन अपने किन-किन कुकृत्यों के कारण डिस्क्वालीफाई हो या ताकि हम लोग भी वसी गलती न कर सक।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं अपना फैसला दे चुका हूं। मैं अब किसी का इजाजत नहीं दे रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

आप गवर्नर को नहीं भेज सकते, मुझे सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रस्ताव ले आइये कि नहीं भेज सकते।....(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपने मुझे बोलने के लिये पुकारा भी था। मं यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ी गलत परम्परा पड़ जायेगी अगर आपने जो निर्णय लिया वह कायम रह गया। आपका निर्णय किसी जुडीशियल चीज पर आधारित होना चाहिये। ऐसे बहुत से विषय आपके सामने आये हैं जिसका निर्णय सदन में नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी चर्चा करने की अनुमति दी है। दूसरी बात यह है कि जब यह चोज सदन के सामन आ गयी और कुछ सदस्यों स वह संबंधित है, तो सारे सदन को उसकी जानकारी होनी चाहिये। सारे सदन को अवगत कराने के लिमे उसको पढ़ने की अनुमति आपको दे देनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक नहीं है।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन की अनुज्ञा के बिना आपने किस अधिकार से इस प्रकार की घोषणा की। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न पर विचार करने के लिये

न्यायालय ही सक्षम है । (व्यवधान) आपके अधिकार क्षेत्र की परिधि के वह बाहर है । (शोर) आप अपनी घोषणा को संशोधित करें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। मे इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

एक व्यवस्था का प्रश्न यह होगा । मैं समझता हूं कि आप....

श्री अध्यक्ष—

देखिये मैं आपके सामने संविधान के अनुच्छेद 192 को पढ़े देता हूं —

"192(1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान मंडल का सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने के पूर्व राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।"

श्री बंशीधर पांडेय—

श्री राममूर्ति अंचल, त्रिवेणी राय, गंगा प्रसाद (गोंडा) तीन आदमियों के बारे में प्रस्ताव आया है, आप उसे देख लें । उन्हें यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है । क्योंकि वह बिल आयेगा । तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे अधिकारों का हनन आप न करें । वे एम0 एल0 एज0 उस कारपोरेशन के सदस्य हैं ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

आप बतायें आप क्यों भेज रहे हैं, क्यों खारिज किया है, उसे यह भी बतायें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित कर दूंगा । अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह मामला बहुत गम्भीर है । इस पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा । जब चौधरी साहब ने नियम 301 में दिया है, तो हमें अवसर मिलना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह—

मझे आप एक बात कहने का मौका दें । मैं आपके घर पर उपस्थित हुआ था । मैंने बताया था कि मैं इस तरह की नोटिस ला रहा हूं । तो आपने मुझसे यह नहीं कहा कि इजाजत नही दूंगा । आपने यह भी बात की कि प्रश्नों के बाद खड़े होना तो आपको बोलने की इजाजत देंगे । लेकिन आपने मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं दिया और आपने फौरन अपनी रूलिंग दे दी ।

श्री अध्यक्ष--

आपने गवर्नर साहब के पास भेजने के लिये कहा था । यह नहीं लिखा कि जो उनका फैसला होगा, वह अंतिम होगा । वह भेजने के लिए कहा है ।

श्री चरण सिंह--

आपने स्वयं कहा कि गवर्नर को अधिकार है। मैंने कहा हाउस की सूचना में लाकर गवर्नर को भेजना होगा, क्योंकि माननीय सदस्यों से यह संबंध रखता है और पब्लिक इम्पार्टेंस का विषय है । आप उस पर राजी हो गये ।

श्री अध्यक्ष--

मैं मानता हूं कि आप खड़े होकर कह सकते हैं । इस बात के लिये मैंने आपको इजाजत दी, लेकिन इस बात के लिये नहीं दी कि इस पर चर्चा हो ।

श्री चरण सिंह--

आपने मुझे उसे पढ़ने भी नहीं दिया, चर्चा न होती ।

श्री अध्यक्ष--

तो चर्चा भी होती ।

श्री बंशीधर पान्डेय--

इस संबंध में एक बिल भी आने वाला है, उसमें चर्चा होती। मेम्बर की डिस्क्वालीफिकेशन को रिमूव करने का बिल आने वाला है जो कार्य-मंत्रणा समिति में भी आ चुका है । तो इस खतरे को लेकर सरकार इससे बचना चाहती है । जो मेम्बर्स डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं उनको यहां बैठने का राइट नहीं है। आपको उन मेम्बरों को आदेश देना चाहिए कि उन्हें अब यहां बैठने का अधिकार नहीं रह गया है ।

श्री अध्यक्ष--

यह फैसला कौन करेगा ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह फैसला अपन आप हो गया है ।

श्री अध्यक्ष--

इसका फैसला तो गवर्नर करेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय--

वह फसला हमारी बात को ही सुनकर करेंगे । गवर्नर करेगा लेकिन रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट के अन्तर्गत तो वह करेंगे । मेम्बर वह हैं हीं नहीं ।

श्री जगन्नाथ खन्ना--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कहा कि गवर्नर तय करेंगे । हम लोग नये आते हैं । कल को कोई सदस्य को किसी कमेटी में रख दें, तो किस कमेटी में आ जाने से डिस्क्वालिफाई होता है कमसे कम हाउस को बता दें कि कितने मेम्बर हैं, किस कमेटी में गये जिसके कारण डिस्क्वालिफाई हो रहे हैं । आप हाउस में बता दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं चर्चा करने के लिये जब इजाजत नहीं दे रहा हूं तो कैसे . . . .

(व्यवधान) (शोर)

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

चर्चा का विषय न बनायें, पढ़कर तो सुना दें ।

(शोर) दो मिनट का मामला था अगर आप पढ़ कर सुना देते ।

श्री बंशीधर पांडेय---

अध्यक्ष जी, हो सकता है कि सदन प्रस्ताव पास कर दे कि इन तीन सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाय, जब चर्चा का विषय बने, तो सदन किसी सदस्य को एक दिन के लिये, दो दिन के लिए, पूरे सदन के समय के लिये भी निकाल सकता है। यदि आप इसको लाइट में न आने देंगे तो सदन के अधिकार का हनन करने का अधिकार दे देंगे जिसमें हो सकता है गंगा प्रसाद, त्रिवेणी राय और राममूर्ति अंचल की लाभ का पद धारण करने के कारण सदस्यता समाप्त हो गई, हो सकता है कि यह सदन प्रस्ताव पास कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

जो सदन में बैठेंगे अगर उनको निकाल दिया गया तो वह रिस्क, लेंगे पांच सौ रुपय प्रति दिन देना पड़ेगा ।

श्री बंशीधर पान्डेय---

आप पांच सौ रुपये जुरमाना कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

अगर अनर्ह नहीं हुए....

श्री बंशीधर पान्डेय---

मैं आपसे प्रस्ताव करता हूं कि ये तीन आदमी सदन के सदस्य नहीं हैं। उन पर पांच सौ रुपये फी घंटा जुरमाना किया जाय ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

व्यवस्था दीजिये प्रस्ताव पर। पिछले सदन में आपके सामने चौधरी साहब की एक चिट्ठी दी थी। आपने खुद कहा था कि डिस्क्वाइलिफाई हो गये, अगर इनफार्मेशन आ जायगी....

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

(सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति से ) आप बोलना नहीं चाहते हैं ?

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलते रहने पर)

मैं 15 मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर सदन स्थगित हुआ और 12 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री बंशीधर पान्डेय (जिला वाराणसी)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपके पहले इस कुर्सी पर अध्यक्ष जी बिराजमान थे। एक विषय नियम 301 के अन्तर्गत आदरणीय चौधरी साहब न उठाया था और उन्होंने चौधरी साहब का नाम भी पुकारा था। उस विषय में इस सदन के तीन माननीय सदस्यों के डिस्क्वालिफाई होन को बात थी। अध्यक्ष जी ने उस प्रश्न को टाल दिया यह कहकर कि यह मामला इस सदन का नहीं है। इसे गर्वनर साहब तय करेंगे। गवर्नर साहब की रिपोर्ट चीफ इलेक्शन

[श्री बंशीधर पांडेय]

कमिश्नर के पास जायगी और उसके बाद इस पर निर्णय होगा। हमने कहा कि चूंकि 301 के अन्तर्गत आपने इसे लिया था, नाम भी पुकारा है लिहाजा आप इस पर अनूज्ञा दे या न दे सदन में पेश करने की लेकिन 301 के अन्तर्गत जो माननीय सदस्य विषय को लाये हैं उस सदस्य को अपनी मंशा सदन के अन्दर जाहिर करने का अधिकार होना चाहिये। लेकिन अध्यक्ष जी ने ऐसा नही होने दया ।

चौधरी साहब ने ध्यान आकर्षित किया था। जनता का भी कोई आदमी किसी एम0 एल0 ए0 के डिस्क्वालिफाई होने पर पिटीशन गवर्नर को दे सकता है और माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी जनता का आदमी उसे भेज सकता है। यह बात यहां उठी तीन ऐसे सदस्य हैं सदन के जो डिस्क्वालिफाई हो चुके हैं उन्होने एक कारपोरेशन की सदस्यता ग्रहण कर ली है और उसने डिसक्वालिफिकेशन को हटाने के लिये एक बिल इस सदन में आलरेडी आ चुका है। प्रश्न यह है कि इन विषयों पर यह सदन विचार कर सकता है जब कि किसी माननीय सदस्य ने उस संबंध मे नोटिस दे दिया हो और माननीय अध्यक्ष ने उनका नाम भी पुकार लिया हो। इसमें तीन चीज निहित हो गई हैं। मेम्बर की पहले राइट दिया जाय कि वह बोले। उसके बाद आप अनुज्ञा देते हैं या नहीं देते हैं और उसे पढ़ दिया जाय। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मान्यवर, इस प्रश्न पर मैं सदन में चर्चा नहीं करूंगा कि चौधरी साहब का क्या लेख प्राप्त हुआ और उन्होंने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है और न मैं यह कहना चाहता हुं कि जिन सदस्यों के संबंध में चौधरी साहब ने लिखा कि किस प्रकार से उन सदस्यों ने अनर्हता प्राप्त कर ली है या नहीं कर ली है क्योंकि वह बहुत बिवादास्पद विषय है और इस पर बहुत चर्चा की जा सकती है। एक चीज जरूर अर्ज करूंगा कि मान्यवर के आने से पूर्व अध्यक्ष महोदय नियम 301 के अन्तर्गत एक निर्णय ले चुके हैं मैं उस नियम 301 को पुनः इस सदन के समक्ष पढ़ देना चाहता हूं जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय लिया उसे वह ले सकते थे या नहीं ले सकते थे और यदि उन्होंने कोई निर्णय ले लिया है तो उसका क्या प्रभाव अब आगे हो सकता है? नियम 301 इस प्रकार है "जो सदस्य सदन की जानकारी मे कोई ऐसा विषय लाना चाहे, जो औचित्य का प्रश्न नही हैं तो वह सचिव को लिखित रूप से सूचना देंगे, जिसमें संक्षेपम उस विषय को बतायेंगे जिसे वह सदन मे उठाना चाहते हों तथा साथ मे कारण भी बतायेंगे कि वे उसे क्यों उठाना चाहते है और उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये ही दीजायगी जो अध्यक्ष निश्चित करें"।

मैं केवल इसमें यह जोर देना चाहता हूं कि इसमे जो लिखा है "उन्हे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा संम्मति दिये जाने के बाद ही, इसमे "बाद ही" लिखा है, तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जापेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें। मान्यबर, अध्यक्ष ने संम्मति नहीं दी और जब संम्मति नहीं दी तो इस प्रश्न को उठाने की कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। इसके साथ ही एक बात के बारे में मैं और चर्चा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्रस्ताव या बिल की ओर इशारा किया। मैं यह नही कहना चाहता हूं कि जो लिखकर आप के पास आया है या अध्यक्ष जी के पास आया है, उसमें क्या लिखा है, सरकार का क्या निर्णय उस पर और राज्यपाल का उस पर क्या निर्णय है। मेरा सदन स आपके द्वारा यह निवदन था कि यह प्रश्न इस सदन में काफी दर स चल रहा है और इस पर चर्चा भी हुई। हमारे माननीय मित्र पान्डेय जी ने इस प्रश्न को दुबारा उठा दिया जिसके बारे में बार-बार चर्चा होती रहीं। जब एक बार प्रश्न उठ चुका है और उसमें निश्चय भी हो चुका है . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशीधर पान्डेय--

मैंने तो रिजोल्यूशन भी रख दिया कि ये व्यक्ति इस सदन के लिये स्ट्रेन्जर के रूप में है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

यह कहना इतना आसान नही है जितना माननीय सदस्य समझ रहे हैं। यह तो माननीय सदस्यों के आधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में माननीय सदस्य दोनों ओर बैठते हैं। यदि कोई चोज गलत हो गई हो तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

मान्यवर, इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि गल्ती हुई है।

श्री बंशीधर पान्डेय--

आपने गल्ती कबूल कर ली है। मैं इसको प्वाइंट आउट करना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मने तो सिद्धान्त की बात कही है। सदन के सदस्यों के कुछ अधिकार हैं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

आपके दल ने यह स्वीकार कर लिया है कि इन्होंने गल्ती कर ली है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैंने स्वीकार नहीं किया है। मैंने तो यह कहा कि सदन के माननीय सदस्यों के अधिकार बहुत विस्तृत हैं। दोनों ओर माननीय सदस्य बैठते हैं। उनके कुछ अधिकार ह। उन पर कुठाराघात नहीं करना चाहिये। यह इतना सहल मसला नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य भी शामिल है।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

जो माननीय पांडेय जी का मोशन है वह तो एक अलाहिदा मोशन होगा। यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसी में एक संशोधन यह कर दूं कि सदन गवर्नर को रिकमेंड करता है कि अमुक-अमुक साहबान डिस्क्वालिफाइड हो गये और इस पर कार्यवाही करें। मैंने जो स्पीकर साहब को लिखकर दिया है उसके बारे में मैं उनके मकान पर गया था और उनसे यह बात तय हुई थी कि प्रश्नों के बाद वे मझे इस प्रश्न को उठाने की इजाजत दें। लिहाजा मैं उठा और उन्होंने मेरा नाम भी लिया लेकिन इस बीच बहुत से माननीय सदस्य खड़े हो गये। होना यह चाहिये था कि वे सबको इजाजत देते और जो सूचना मैंने उन्हें दी थी उसे पढ़कर सदन को सुना दें। उन्होंने उस संबंध में थोड़ी सी बात कही और उसे पूरा नही पढ़ा और बाद म कहा कि मैं आपको इजाजत नही देता। उनकी रूलिंग डिसाइडिंग नहीं है कन्फ्यूजिंग है। मैं अपकी बात पूरी तरह से नहीं कह पाया क्योंकि काफी लोग खड़े थे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं ठीक है, इसमें चर्चा नहीं होनी चाहिये लेकिन यह मामला इस सदन के, माननीय सदस्यों के और डेमोक्रेसी की स्वच्छता से सम्बन्ध रखता है। उन्ह मुझ इजाजत दे देनी चाहिये थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

तो यह सूरत आपके सामने है, तो मैं अर्ज करता हूं कि आपने कई बार ऐसा तय भी किया है मैं स्पीकर साहब उस चीज को साफ नहीं कर सके हैं तो अगर आप इजाजत दें तो उसे मैं साफ कर दूं और आप उस चीज को पेश कर दीजिये । मेरा तो यही निवेदन है कि आप उसे पढ़कर सुना दें या मझे पन्ने की इजाजत दें । अगर यह बात भी स्पीकर न हो तो श्री बंशीधर पांडेय जी का जो एक स्वतंत्र मोशन है, उसी पर यह सदन तय कर दे कि अमुक अमुक व्यक्तियों ने यह गल्ती की है, लिहाजा गवर्नर साहब इस पर विचार करें ।

*मुख्य मंत्री (कमलपति त्रिपाठी)--

मान्यवर, इसमें दो तीन प्रश्न हैं। एक तो यह कि एक रूलिंग हो चुकी हमारे स्पीकर महोदय की उन्होने अपनीं समझ-बूझ से यह रूलिंग दी कि नियम 301 में है ऐसा प्रश्न उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो और जब तक उनकी अनुज्ञा न हो जाय और तिथि वे निर्धारित है न कर दें तब तक प्रश्न नहीं उठ सकता। उन्होंने रूलिंग दी और इस प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं दी ।

दूसरी बात जो श्री वंशीधर पान्डेय जी कह रहे थे कि अनर्हता हो गयी लिहाजा वे निकाल दिये जाय। तो अनर्हता हुई या नहीं इसका फैसला करने के लिये कांस्टीट्यूशन में प्रोसीज्योर है और रूल भी बना हुआ है कि उसे गवर्नर करेगा। कोई भी आदमी जब कोई भी जुर्म करता है। हमारी या किसी की आंख के सामने करता है तब भी उसको जो सजा देगा वह कोई कम्पिटेंट कोर्ट ही सजा देगा। इसी तरह से इस मामले में फैसला करने का अधिकार केवल गवर्नर को आपके संविधान में दे रखा है। कोई भी व्यक्ति विधान सभा का या बाहरी व्यक्ति भी यह सवाल उठा सकता है कि इन-इन कारण से विधान सभा के इन-इन सदस्यों ने अनर्हता प्राप्त कर ली है परन्तु उन्हें अनर्हता प्राप्त हुई या नहीं इसका फैसला गवर्नर ही करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गवर्नर अगर चाह तो एलेक्शन कमिश्नर से राय ले सकते हैं और राय लेने के बाद कोई फैसला देंगे। शायद संविधान के आर्टिकल 192 में है कि इसके लिये यह दंडात्मक प्राविधान है और वह दंड उनके ऊपर लागू हो जाता है। तो यह इस सदन के जूरिस्डिक्शन के बाहर की बात है और इसीलिये इस प्रश्न के लिये माननीय अध्यक्ष ने कह दिया कि औचित्य के प्रश्न के नाम पर हम इसको स्वीकार नहीं करत और यह यहां नहीं उठाया जा सकता है। गवर्नर के यहां भेज दिया है तो उसके पश्चात चर्चा का कोई विषय नहीं रहता है। अनर्हता हुई या नहीं हुई इसका फैसला गवर्नर करेंगे। वे चाहे तो एलेक्शन कमिश्नर की राय ले सकते हैं, चाहे तो उसकी राय नहीं ले सकते हैं। उनका फैसला ही अन्तिम होगा जो सदन और सदन के माननीय सदस्यों को बतला दिया जायगा।

श्री चरण सिंह--

मान्यवर मैं भी इससे सहमत हूं कि गवर्नर महोदय ही इस पर अपना निर्णय देंगे लेकिन मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न क्या है यह तो सदन को मालूम हो जाय। उन्होंने संक्षेप में कुछ बतलाया लेकिन पूरा नहीं बतलाया। तो यह तो आप ही पढ़ दें या कह तो मैं भी उसे पढ़कर सुना दूं। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वही मैं कह रहा था कि वह प्रश्न यहां पढ़कर सुनाया जाय या नहीं उसे यहां उठाया जाय या नहीं इसमें औचित्य क्या है इस पर फैसला देने का जहां तक सवाल हमारे स्पीकर महोदय ने तो फैसला दे दिया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं संविधान की धारा 192 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। उसे आप बहुत साव-धानीपूर्वक पढ़ लें —

"192(1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान मंडल का सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।"

और जो बातें कही गयी हैं उनमें मैं नहीं जाना चाहता। संविधान में साफ है कि यदि कोई प्रश्न उठता है, कहां उठता है, विधान सभा में या बाहर कहां उठता है हमारे सोचन की जरूरत है। लेकिन चूंकि सारांश बताया गया है अनुज्ञा दी है या नहीं दी है इन सब बातों को हमें समझना होगा इसीलिये मैं व्यवस्था को अभी सुरक्षित रखता हूं।

श्री बंशीधर पान्डेय—

आपकी व्यवस्था का आदर है लेकिन एक मिनट सुन लें आपने जो बात कह दी कि प्रश्न कहां उठता है सदन में या बाहर इस में आप देखें कि यह मामला गवर्नर को रिफर किया जायगा और उनका अन्तिम फैसला होगा। यह प्रश्न पहले विधान सभा में उठ चुका है . . .

श्री उपाध्यक्ष—

हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे और देखेंगे कि सारांश क्या बताया है, इस में अब इतनी आतुरता नहीं होनी चाहिये . . .

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जब प्रश्न उठा है और यह हुआ कि गवर्नर आखिरी फैसला करेंगे तो उनके सामने अगर आप वह चीज ही पेश न करेंगे कि क्या मामला है तो वह निर्णय ही क्या लेंगे। यह भी हम मान लें कि न रखें लेकिन उसके पढ़ने में क्या दिक्कत है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कल मैंने एक प्रश्न नियम 51 में और 56 में दिया था जिसको कि 51 में स्वीकार भी किया गया है। मैं यह कह रहा हूं कि ब्लैक दिसम्बर वाले हमारे माननीय सदस्य श्री मोहनलाल कपूर के पास धमकियां भेज रहे हैं और वह उन्हें मिल रही हैं ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर आप चर्चा तो करा देंगे लेकिन जांच का कोई भी प्रबन्ध नहीं हुआ है। यह मामला शाहनवाज वाला संसद में भी आया था और यह उसी से जुड़ा हुआ है। इसीलिये मेरठ में . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप हमारी बात सुनें इतने अधीर न हों। अभी असरार साहब ने भी वह बात कहीं मैं व्यवस्था दे चुका हूं कि अभी मैंने इस पर व्यवस्था सुरक्षित रखी है। . . . (व्यवधान)

यह भी विचारणीय है कि कौन उठाये, यह भी है कि जो जिस जगह है जैसे विधान सभा के सदस्य अपनी अनर्हता के बारे में बात करें, यह दूसरी बात है . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं तो दूसरी बात कह रहा था . . . (व्यवधान) . . . (सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति को पुकारे जाने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं . . . (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने सदन के माननीय सदस्य मोहनलाल कपूर की सुरक्षा की बात कही थी . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सुरक्षा तो सबकी होगी

श्री नित्यानन्द स्वामी—

2–3 दिन से उन को रोज धमकियां मिल रही है मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मसला उठा रहा हूं । सदन के एक सदस्य की जान का खतरा है और आप आगे बढ़ रहे हैं . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर दें । . . . (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हमारी दिक्कत यह है कि आप सुनना भी नहीं चाहते हैं इसको आप अनर्हता के मसले के साथ क्यों जोड़ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें मैंने सभापति प्रनिनिहित विधायन समिति को बुलाया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

51 की बहस 3 दिन के बाद है और माननीय सदस्य मोहनलाल कपूर की जान का खतरा है . . .

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है आपने ध्यान दिला दिया है और अपने ढंग से कर्तव्य का पालन किया अब आप बैठें, इस तरह से नहीं हो सकता है । आप बैठें । . . . (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप सदन को इस तरह से नहीं चला सकते . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप इतना महत्वपूर्ण समझते थे तो आपने इसके बारे में लिखकर क्यों नहीं दिया ? इस तरह से मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सदन के सदस्य की सुरक्षा का प्रबन्ध कराना आपकी जिम्मेदारी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से मैं इजाजत नहीं देता । अगर आप इस तरह से महसूस करते थे तो मैं कहूंगा कि आपने लिखकर क्यों नहीं दिया...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप ऐसे प्रश्न को नजरअन्दाज नहीं कर सकते एक माननीय सदस्य जो मुख्य सचेतक हैं उन की जान का खतरा है...(व्यवधान)

## पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन†

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1972 तथा उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 के सम्बन्ध में समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि इन नियमावलियों को सदन के पटल पर रखने में अनावश्यक बिलम्ब किया गया । इन नियमावलियों में अनधिकृत शुल्क एवं शास्ति आरोपित की गई है जिनकी ओर समिति ने इस प्रतिवेदन में सदन का ध्यान आकृष्ट किया है ।

इस नियमावली में बिना कारण बताये आवेदन-पत्र अस्वीकार करने का प्राविधान है जो प्राकृति न्याय और साम्य के सिद्धांतों के विरुद्ध है । इन त्रुटियों की ओर इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ।

इन शब्दों के साथ प्रतिनिहित विधान समिति का मैं इकतीसवां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

## उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम की धारा 14 में संशोधन के लिये याचिका

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम (सं0 13, सन् 1972) की धारा 14 में संशोधन करने के लिये श्री कृष्ण चन्द्र पांडे पुत्र स्व0 श्री राम लखन पांडय, निवासी संगत संदोहन देवी मंदिर, चौपटियां, लखनऊ, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

## कथित बजट लीकेज के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने उठाया था । इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अस्वीकृत सुनने के पश्चात् । ऐसा मालूम होता है कि आपको सुनने का मौका दिया होगा ।

---

† छापा नहीं गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

कल मुझे सुनने का मौका नहीं दिया गया । मुझसे कहा गया कि आपको सुनने का मौका कल दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें ऐसा है कि सुनने के पश्चात अस्वीकृत किया है । अगर आपको बोलने का मौका नहीं मिला है तो आप कह सकते हैं ।

*श्री नित्यानन्द स्वामी--

निर्णय वाली जो बात है, उसको आप सुरक्षित रखें । 2 समाचार-पत्रों में एक दैनिक जागरण और डेली एक्शन जो दोनों 2 मार्च, 1973 के हैं कानपुर के हैं, इनमें एक समाचार छपा है, वह एक साधारण सी सूचना नहीं है, बल्कि 14 सूत्री जो कर लगाये जा रहे हैं, वे दिये गये हैं । इनमें यह लिखा है कि 50 करोड़ के कर लगाये जायेंगे । मेरा निवेदन यह है कि यह बजट का लीकेज हो जाता है और यह कहां से होता है । यह मंत्रि-मंडल के लेबिल से होता है और इसके अलावा और कहीं से नहीं हो सकता है । जो बजट कल पांच बजे पेश होगा आज से 6 या 7 दिन पहले कैसे समाचार-पत्रों को ज्ञात हो गया ? इसका सीधे-सीधे मतलब यह हो गया है कि मंत्रि-मंडल के वरिष्ट सदस्य ने, मैंने तो माननीय वित्त मंत्री लिखा है, लीकेज किया है । सदन में यह परम्परा रही है कि अगर, यह तो बजट है; कोई भी वक्तव्य दिया जाय तो पहले वह सदन में दिया जायगा तब बाहर दिया जा सकेगा लेकिन बजट तो ऐसी चीज है कि इसके बारे में तो 2 राय हो ही नही सकती है । इसमें लिखा है कि 50 करोड़ से अधिक का टैक्स लगाया जायगा । इस समाचार में 14 सूत्री फार्मूला भी दिया गया है कि किस-किस आधार पर ये टैक्स लगाये जायेंगे । या तो हमारी सरकार इस बात का खंडन करे कि ये सब समाचार जो छपे हैं, गलत है और 50 करोड़ का टैक्स नहीं लगने वाला है या जो आधार है वह गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो माननीय सदस्य से बजट का लीकेज हुआ है । बजट तो है नहीं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन् एक गम्भीर बात है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आप कल तक अपनी रूलिंग को स्थगित कर दें तो आपको मालूम हो जायगा कि मेरी बात में ज्यादा वजन है । यदि बजट में 14 सूत्री फार्मूला एप्लाई किया गया है और 50 करोड़ के टैक्स लगाये जा रहे हैं तो आप समझ लेंगे कि मेरी सूचना, जो समाचार-पत्रों के आधार पर है, वह सही है और अगर नहीं है तो और अफवाहें होती है, वैसे ही यह होगी । इसमें अभी आप रूलिंग न दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

बजट के लीकेज का अर्थ आप क्या समझते हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, बजट एक ऐसी चीज है जो मंत्री जी और उनके 2-4 सहकर्मियों जो हैं सेक्रेटेरिएट लेबिल पर, उनसे बाहर वह नहीं जायेगी, मंत्रि-मंडल से बाहर नहीं जायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

लीकेज कहां से हुई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, समाचार पत्रों में छपा है कि 50 करोड़ के ऊपर का टैक्सेशन है इन 14 प्वाइन्ट के आधार पर ।

श्री उपाध्यक्ष—

समाचार पत्रों में सम्भावना शब्द का प्रयोग किया है । आप अभी इसे कैसे कह सकते हैं ? अभी बजट है नहीं । अभी अस्वीकृत किया जाता है । बजट आयेगा तो उठाइयेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने प्रिमेच्योर अस्वीकृत कर दिया । फिर मुझको सुनने की क्या जरूरत थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

अस्वीकृत है क्योंकि समय से पहले कहा है । सरकार कैसे कह सकती है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर बजट के अन्दर बात है, तो स्वीकृत करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम आगे चलते हैं...

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अभी चौधरी साहब ने जो विषय उठाया था...

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं हो सकता है...

श्री त्रिवेणी सहाय—

आप मान्यवर, मुझको सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको सुनना है तो बाद में सुना दीजियेगा ।

## उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973

(सामुदायिक विकास मंत्री) श्री बलदेवसिंह आर्य—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973, को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा दी जाय ।

(विभाजन की मांग होने पर)

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, इसमें हम लोगों को विरोध का मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कैसे दे सकते हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अगर वे मस्ती करते रहेंगे तो सरकार काहे की ? इसके मायने यह हुआ कि हम बैठे रहें और वे मस्ती करते रहें ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो आप कह सकते हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में नियम 123 देख लें । अभी प्रतियां दी गयी हैं, इसमें अनुज्ञा की इजाजत कैसे श्रीमन्, देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

क्या है नियम 123 ?

श्री रामधारी शास्त्री—

नियम 123 : नियम 114 के अधीन रहते हुये किसी भी विधेयक के पुरः स्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुये उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा, जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गयी हों ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब वोट ले लिया और आपने कहा कि डिवीजन, तो प्रश्न नहीं उठता ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अभी वह प्रक्रिया पूरी नहीं हुयी । अगर एक नियम है, तो उसका पालन होना चाहिये । क्या मंत्री महोदय नहीं चाहते कि नियमों का पालन हो ?

एक मर्तबा मुझे स्मरण है कि प्रश्न आया था जब कि बोट लिये जा रहे थे और उस समय यह रूलिंग हुई थी कि अगर लोगों को देरी से मिला है तो दूसरे दिन पुरः स्थापित किया जाय । तो फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि यह देरी से प्रश्न उठाया गया । यह तो आफिस का कर्तव्य है कि वह यह बताये और मंत्री महोदय को स्वयं कानून जानना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

चुनाव का भी महत्व होता है और एक नियम है । यदि चुनाव में 'हां' और 'न' कहलवा दिया तो डिवीजन मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप इस पर व्यवस्था दें कि अगर आपको यह मालूम हो जाय कि नियम के विरुद्ध हुआ है तो क्या आप मतदान करा देंगे अपने इनीसिएटिव पर ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक हाईपोथेटिकल प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

कार्य-मंत्रणा समिति में भी यह तय हो गया था कि अगर दो दिन पहले पिजन-होल में नहीं रखा जायेगा तो कोई अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि यह बात उस समय उस स्टेज पर उठाई होती तो ठीक था, लेकिन यह कहां नियम है कि यदि 'हां' और 'न' कहलवा दिया गया और डिवीजन मांगा है तो इस बीच में आपत्ति उठाई जा सकती है । जब तक कि बोट नहीं लिया जाता इस बीच में कोई व्यवस्था की बात नहीं उठाई जा सकती ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं यही प्रश्न आपसे पूछता हूं कि 'हां' और 'न' हो गया हो तो यह कहां लिखा हुआ है कि व्यवस्था नहीं उठाई जा सकती ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है तो बोट की व्यवस्था के सम्बन्ध में बात उठाई जा सकती है । यह बात इसके पूर्व उठाई जा सकती थी । अब तो दूसरा स्टेज आ गया ।

नियम 114 के अधीन रहते हुये किसी भी विधेयक की पुरः स्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुये उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों ।

यह चीज 'हां' और 'न' के पूर्व कहना चाहिये ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

मान्यवर, अभी तो सदन काफी दिन चलेगा और यह तो किसी भी दिन पुरः स्थापित किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो केवल इन्ट्रोड्यूस ही कर रहे हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी—

यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि इसको तो किसी भी समय इन्ट्रोड्यूज कर सकते हैं । अगर सदन आप समाप्त कर रहे होते तो यह बात भी सोची जा सकती थी कि आज ही हो जाय ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, यह बिल तो कन्सीडर भी नहीं हो सकता । या तो आज की कार्यवाही इसी स्टेज पर रहने दिया जाय अन्यथा इसको पहली या दूसरी मई को रखा जाय । आज की जितनी कार्यवाही हुई है उतनी पर रोक दी जाय और बाकी कार्यवाही को चलने दिया जाय । पहली और दूसरी मई को ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम यह है कि एक दफा वोट लिया । किसी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम स्वीकार नहीं करते और डिवीजन चाहते हैं तो मैं फिर वोट लूंगा ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

यह बिलकुल हार गये हैं । यह चुनाव 74 तक नहीं करायेंगे । अपनी पार्टी में इन्होंने बड़ी डांट खायी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय । इस पर दो बजे मतदान होगा ।

## श्री मोहन लाल कपूर की सुरक्षा के संबंध में प्रश्न

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अभी माननीय नित्यानन्द स्वामी ने एक प्रश्न उठाया था और बड़ा गम्भीर विषय था लेकिन आपने कह दिया कि लिख कर देंगे तो लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं स्पष्ट कर दूं । जब माननीय सदस्य सदन के अन्दर आये तो उन्ह आभास लगा कि हमारे माननीय सदस्य की जान खतरे में है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आभास नहीं लगा । सूचना मिली और वह किसी भी स्टेज पर मिल सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यही कहा कि लिखित दे दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

लिखित तो देंगे । लेकिन ऐसे गम्भीर विषय आ सकते हैं जिसमें हमारे किसी माननीय सदस्य के जीवन को डर है । क्या आप उस विषय की गम्भीरत को देखते हुये यह कहकर टाल देंगे कि लिखकर देंगे तो विचार कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप मेरी पहली बात मान गये तो यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

लेकिन उन्हें उस वक्त तक पता नहीं था । उन्होंने जबानी कह दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन तो सुरक्षा करता नहीं । वह काम मुख्य मंत्री और शासन करता है । जब कभी भी वे दे देते तो हम अविलम्बनीय कार्यवाही, तुरन्त कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करते ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

ऐसे अवसर आये हैं कि जब आपके सामने ऐसा विषय रहा है तो मुख्य मंत्री और गृह मंत्री ने हमें सतुष्ट करने के लिये सेटिसफैक्ट्री उत्तर दिया है । अगर आप ऐसा कहकर टाल देंगे तो वह कुछ नहीं करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मुख्य मंत्री जी उस समय खड़े होने वाले थे । अभी गृह मत्री, गोस्वामी जी बैठे हुये हैं । आप यह व्यवस्था दे दें कि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

बैठने को तो सब बैठे हैं, पूरे सदस्य बैठें हैं । आप लिखकर देंगे तो हम कार्यवाही करेंगे । हर मंत्री को समय होता है, जब बयान देना चाहें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं बयान की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस विषय पर कुछ कहें । वह कुछ कहने वाले हैं लेकिन आप उन्हें रोक देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी वह क्या कहेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय—

ब्लैक दिसम्बर ने मुख्य मंत्री और हम लोगों को धमकियां दी हैं । रेड मार्च एक आर्गेनाइजेशन बन गया है । उसने बेनी सिंह जी को धमकी दे दी है ।

और रेड मार्च ने तो बेनीसिंह जी अवस्थी को भी कहा है कि उनके प्राण सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि गल्ले की कमी है, चीनी मिल नहीं रही है तो मंत्रि-मंडल से इन मंत्री जी की सुरक्षा के लिये भी कह दीजिये ।

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज 7 कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें मेरे सामने हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मेरा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका भी है दूसरों का भी है । पहले मैं उनको पढ़ दूं । यह तो आप लोग जानते ही हैं कि अध्यक्ष जी इस पर निर्णय करते हैं । 51 के अधीन जो आते हैं उनको तो मैं देखता हूं लेकिन नियम 56 के अधीन जो सूचनायें होती हैं उन पर अध्यक्ष जी लिखकर आदेश दे देते हैं । तो मैं पहल उनको रख दूं । पहला नित्यानन्द जी स्वामी का है कि प्रदेश की पुलिस, पी0ए0सी0 द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रति दुर्व्यवहार से तोड़-फोड़ तथा अशांति का वातावरण है ।

[श्री उपाध्यक्ष]

दूसरा है माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री मोहन लाल कपूर तथा श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी का कि खाद्यान्नों एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के अभाव से भुखमरी की काली छाया है।

तीसरा श्री राम गोपाल संड का है कि रोडवेज के कर्मचारियों तथा राज्य कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में सामूहिक हड़ताल करने की धमकी दी गयी है।

चौथा माननीय बंशीधर जी पान्डेय, माननीय कल्पनाथ सिंह, अमरनाथ जी दुबे तथा सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी का है जिसमें बाराणसी जिले में सर्वाधिक हत्या, डकैती तथा लूट से सारा जनजीवन आतंक ग्रस्त है।

पांचवां माननीय सुरेन्द्र बिक्रम जी का है कि राजकीय सेवा के समस्त पी0 एम0 एस0 एवं मेडिकल कालेज के डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबंध लगाने से प्रदेश में भयंकर स्थिति पैदा हो गयो है।

छठवां श्री कल्पनाथ सिंह जी, माननीय राम बिलास जी पान्डेय और सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी का है जिसमें महंगाई एवं जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण तथा बिजली की कटौती से जनता में घोर असंतोष व्याप्त है।

सातवां श्री रामधारी जी शास्त्री और श्री बांके लाल जी का है जिसमें खरीफ की फसल नष्ट होने से तथा रबी की फसल पिछड़ने के कारण देवरिया जनपद अकाल की स्थिति पर है। इन सभी को माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकृत किया है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैंने श्रीमन्, जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा है वह बड़े महत्व का है। यह बात तो सही है कि इसपर पहले चर्चा हो चुकी थी लेकिन गत दो महीनों मे स्थिति और भी बदल गयी है। आज चीजों की कीमतें बाजार में इतनी ऊंची हो गई हैं कि साधारण व्यक्ति के बस के बाहर की बात हो गयी है कि वे उनको खरीद कर जीवन चला सकें। खाद्यान्न मिल नहीं रहे हैं। राशन की दूकानों पर अनाज नहीं है और उन दूकानों पर जो आटा मिल भी रहा है उसमें कीड़ा मिला रहता है और खाने लायक नहीं होता। लखनऊ की राशन की दूकानों में अनाज नहीं है। देहातों के इलाकों में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली नहीं गयी हैं। इसपर ट्रेडर्स ने कल से हड़ताल करने का निश्चय कर लिया है। तो कल से ही कितनी गंभीर स्थिति होगी इसका आप अनुभव कर सकते हैं। अब अगर इस पर भी ऐडजर्नमेंट मोशन एलाऊ नहीं होगा तो इस पर ढाईघंटे की चर्चा ही आप अलाऊ कर दें क्योंकि इससे महत्वपूर्ण विषय पर देश और प्रदेश में कोई है नहीं जिस पर इस समय चर्चा चलाई जा सक।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय; यह जी कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसके सम्बन्ध में आप स्वयं देख रहे हैं कि सारे प्रदश में खाद्यान्नों की कमी है ही दूसरी तरफ जीवनोपयोगी सभी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और लोगों को कोई भी सामान उचित मूल्य पर नहीं मिल पा रहा है। इस महंगाई के फलस्वरूप चारो तरफ प्रदर्शन और हड़तालें हो रहीं हैं। दूसरी तरफ बिजली की कटौती की नीति से किसान बाध्य हो गया है कि वह अपना उत्पादन ठीक ढंग से न कर सके तो जो स्थिति इस प्रदेश में उत्पन्न हो गयी है मैं उस पर यह समझ पा रहा हूं उपाध्यक्ष जी कि आज इस सदन में इस विषय पर अगर कामरोको प्रस्ताव नहीं उपस्थित किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगा तो वह कौन सा शुभ महुर्त होगा कि जब इस सरकार के विरुद्ध कामरोको प्रस्ताव आयगा। इसलिये मैं एक बात बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी ने अस्वीकार कर दिया। आप कह देंगे कि उसको तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हमारी दिक्कत है कि अस्वीकार करें वे और सूचना दें आप और फिर आप अपनी मजबूरी जाहिर करें। हमको आप कोई रास्ता बतायें क्योंकि हमारी परेशानी यह है कि सारे प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है। यह सच्चाई है। आप रोज देख रहे हैं किसी को कोई खतरा है कहीं किसी को वह खतरा है। कहीं लाठीचार्ज, गोली चार्ज, जलूस और प्रदर्शन यह सब हो रहा है। यह सब इस सरकार की देन है।

मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कि इस पर बहस हो और मैं इस बहस का श्रीगणेश करूं। आप अगर इजाजत नहीं देते हैं तो जैसी मजबूरी है कि अध्यक्ष जी ने आदेश दे दिया बसे ही हमारी भी मजबूरी है कि सदन के बाहर बैठी हुई जनता ने हमको आदेश दे दिया है कि जब तक इस पर बहस न हो और जब तक अपने तर्कों के जरिये, तथ्यों के जरिये, इस सरकार को उखाड़ न फेंके तब तक इस सदन में अपनी बात कहते रहो। श्रीमन्, आपकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है कि हमको जनता ने हुकुम दिया है और आपको अध्यक्ष जी ने हुकुम दिया है। मैं आपसे श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिये कामरोको प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये इजाजत दीजिए। आप देखें किस कदर महंगाई बढ़ रही है। इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आप मुझे इस प्रस्ताव को रखने की इजाजत दीजिए ताकि हम इस सरकार को गिरा सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको तो सरकार को गिराने का रोज मौका है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

नहीं है, नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारे वाले का क्या हुआ। मझे चर्चा के लिये अनुमति दीजिये। गवर्नमेन्ट को गिराने की बात तो हम बाद को सोचेंगे।

श्री बंशीधर पान्डेय—

हमें तो तब भी मौका नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ सिंह ने तो साफ बात कह दी लेकिन उनकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

इस समय प्रदेश में खाद्यान्न के दाम कितने बढ़ रहे हैं और सस्ते गल्ले की दूकानों पर लोग लाइनें लगाये खड़े हैं और कहीं पर कुछ नहीं मिला पा रहा है। सरकार की नीति क कारण व्यापारियों ने गहूं की खरीदोफरोख्त बन्द कर दी है। बदायूं में सहसवान में सस्ते गल्ले की दूकानदारों न कहा कि यह कहा गया है कि 10–10 नस बन्दी के केसेज लाओ तब चीनी और मैदा मिलेगा। जनता में त्राहि-त्राहि मच रही है। अगर आप इस कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंग तो हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे। आप हमें यहां पर जनता की भावनाओं को प्रज्वलित करने का अवसर दें।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर मेरा भी कामरोको प्रस्ताव है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले पान्डेय जी का सुन लें ।

श्री बंशीधर पान्डेय—

त्रिपाठी जी ने तथा हमारे साथियों ने कहा है कि यह मामला बड़ा ही गंभीर है। यह कहकर टाल दिया जाता है कि बजट में भी मौका मिलेगा। एक बात मैं निवेदन कर दूं कि बजट म तो कभी किसी का बजट और कभी किसी का बजट होता है। तो कानूनी तरीके से हम संगठित रूप से प्रयास नहीं कर पायेंगे सरकार के सामने। बजट में कभी इक्साइज का बजट आवेगा और कभी रेवेन्यू का आवेगा। तो उस समय मौका नहीं मिलता है। आपने कहा कि बहुत से मौके मिलेंगे तो मैं निवेदन कर दूं कि अब आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। कल मैंने पेपर में देखा कि प्रेसाईडिंग आफिसर के बयान को उड़ीसा में वहां के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने चैलेंज कर दिया कि जो संख्या बीजू पटनायक की लिखी गई है वह गलत है। तो मौका मिलने की बात नहीं है। डेमोक्रेटिक डिक्टेटर हिटलर से भी ज्यादा खरतरनाक साबित होता है। यह सरकार जनता को आश्वासन दे देगी कि गल्ला पानी मिलेगा लेकिन कल ही मैंने कहा था कि रुपये की कीमत 11 पैसे रह गई है और यह सरकार कहती है कि 39 पैसे है । आप मौका दें तो मैं साबित करूं कि रुपये की कीमत 11 पैसे ही रह गई है और यह सरकार बड़े शर्म के साथ 39 पैसे कहती है। लिहाजा कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। किसान तो मूर्ख है। यदि वह संगठित होता तो इन्दिराजी को पता लगता ।

श्री शिव कुमार पान्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

जब उधर क लोग 15, 15 मिनट का समय लेंगे तो हमारी पार्टी को कैसे मौका मिलेगा ?

श्री बंशीधर पान्डेय—

मान्यवर, इस सरकार की जिन्दगी ही ऐसे चापलूसों पर निर्भर है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यदि ऐसे लोग इस सरकार में चापलूसी नहीं करेंगे तो यह कैसे चलेगी ।

श्री शिव कुमार पान्डेय—

आप किसी के बारे में ऐसा कहें, यह ठीक नहीं है ।

श्री बंशीधर पान्डेय—

मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपनी कांसटीचुएन्सी में रिफेन्डम करा ल। आप कह दें कि गल्ला और बिजली की यह कीमत सही है। यह कीमतें सही तरीके से बढ़ गयी हैं।

श्री शिव कुमार पान्डेय—

यह तो आप जनरल डिबेट में भी कह सकते हैं। कौन सी ऐसी बात है जिसको आप उसमें नहीं कह सकते हैं।

श्री बंशीधर पान्डेय—

आप लोग यहां कुछ कहते है और अपनी कांसटीचुएन्सी में सरकार के खिलाफ बात करते हैं यही अब चरित्र रह गया है ।

उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूं कि अगर अध्यक्ष जी ने खारिज करके उसको आपके सर मढ़ दिया है तो आप इसमें ढाई घंटे का विवाद स्वीकार करके उसको सचिव के पास भेज दीजिये।

मैंने वाराणसी के बारे में कामरोको प्रस्ताव रक्खा था। गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार की रिपोर्ट पढ़ी होगी कि उत्तर प्रदेश में क्राइम में पिछले वर्ष में टाप किया है। पर कैपिटा इन्कम में तो यह प्रदेश एक को छोड़कर सबसे पीछे हैं लेकिन क्राइम में सबसे आगे है। मेरे जिल के मुख्य मंत्री हैं लेकिन वाराणसी जिले में सबसे अधिक क्राइम हो रहे हैं। किसी भी दिन आज अखबार को उठाकर देख लीजिये। कमलापति जी के निवास स्थान चन्दौली थाने पर ही डकैती पड़ गई। चोलापुर में, बड़ा गांव में, सारी जगह पर हुआ। बनारस में ही मुख्य मंत्री को धमकी दे दी गयी कि आप फलां तारीख तक इस्तीफा दे दीजिये नहीं तो लखनऊ-इलाहाबाद और बनारस के पानी में जहर मिला दिया जायेगा सारे लोग मर जायेंगे। जब मुख्य मंत्री को धमकी दे सकते हैं तो बनारस मे क्राइप टापर पर है। इस बात स और अफसोस होता है कि गृह मंत्री बनारस के मुख्य मंत्री बनारस के। दूसरे जिलों में तो क्राइम और बढ़ गया है। लिहाजा आप मेरे वाले पर ढाई घंटे का विवाद करा दीजिये। इससे मुख्य मंत्री को भी एक अवसर मिलेगा अपनी बात साबित करने का।

*श्री राम गोपाल संड—

मान्यवर, मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है वह माधव बाबू और बंशीधर पान्डेय के कार्य-स्थगन प्रस्ताओं से मिलता जुलता है। प्रधान मंत्री 16 तारीख को इलाहाबाद आयी थीं। तो इस बात के लिये प्रदर्शन हुआ था कि सस्ते गल्ले की दूकानों पर अनाज नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। माध्यमिक अध्यापकों ने 20–21 तारीख को रोडवेज कर्मचारियों की हसानभूति में हड़ताल की थी। इस सरकार ने 147 रोडवेज कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, डेढ़ सौ को सेवा से बरखास्त कर दिया और लाखों लोगों ने जो इसलिये छुट्टी ली थी कि सस्ते दामों पर गल्ला मिले या महंगाई भत्ता बढ़ाया जाय उसके उत्तर में राज्य सरकार ने धमकी दी थी कि हम तुम्हारी सेवायें भंग कर देंगे और लाखों लोगों ने जो दो दिन की छुट्टी ली थी उनका दो दिन का वेतन काट लिया गया। आने वाली 12 तारीख से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर लाखों कर्मचारी चले जायेंगे तो उसका प्रभाव सस्ते गल्ले की दुकानों पर भी पड़ेगा। इसलिये मैं आपसे मांग करता हूं कि कम से कम सरकारी कमचारियों और अध्यापकों के बारे म विचार करने के लिये ढाई घंटे का समय दें ताकि ठंढे दिल से उनकी समस्याओं पर विचार किया जा सके ताकि वह ठीक प्रकार से सेवा कर सकें और इस प्रदेश की तरक्की हो।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मने एक कामरोको रखा है। वह दो बातों पर मुनहसिर है। यह तो सभी जानते है कि दवरिया जिला इस प्रदेश का सबसे गरीब और कमी वाला क्षेत्र है। वहां खरीफ की फसल मारी गयी और रबी की फसल तैयार होने में अभी डेढ़ महीने की देर है। यह सरकार जो कहती थी कि हम गल्ला निर्यात करने की स्थिति में हैं बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि देहात में किसी भी दुकान पर एक छटांक गल्ला आज तक इन्होंने नहीं दिया वहां क जिलाधिकारी ने कई बार वायरलेस किया। सबसे आश्चर्य तो यह है कि जब मैंने मंत्री जी से कहा तो इनके सामने डिप्टी सेक्रटरी ने कहा कि चावल देहात के लोगों को खाने के लिये नहीं दिया जा सकता है मक्का का कोई इन्तजाम करेंगे। लेकिन कोई भी इन्तजाम नहीं किया। वहां भुखमरी की स्थिति है। 1.80रु0 सबसे खराब चावल वहां बिक रहा है। तो इस पर भी बहस की इजाजत आप न दें तो कम से कम इन मंत्रियों से वक्तव्य देने के लिये तो कहें। अगर आप यहां भी वक्तव्य की इजाजत न दें तो हम क्या करें ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मैं एक यह तोहफा राशन की दूकान के आटे का माननीय खाद्य मंत्री श्री बेनी सिंह जी को देना चाहता हूं। इसमें आधी मिट्टी मिली हुई है। मैंने इस विषय पर चर्चा के लिये नियम 52 के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव दिया है। उस पर आप ढाई घंटे की चर्चा स्वीकार कर लें। सारे सदन की भावना भी यही है। जो आटा राशन की दूकानों पर मिल रहा है वह बड़ा ही निकृष्ट है। मेरे प्रस्ताव के अन्तर्गत ही माननीय माधव प्रसाद जी माननीय बंशीधर पान्डेय तथा माननीय रामधारी शास्त्री जी आदि सभी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आ जायेंगे। इसलिये इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर आप ढाई घंटे की चर्चा स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

माननीय मंत्री जी को तो हमें धन्यवाद देना चाहिये कि यह विधेयक लाये हैं। आपने कहा है कि कलेक्टर वगैरह को आदेश दे दिये हैं कि वे प्राइस को कंट्रोल करें मगर आज जिले के सारे अधिकारी तो लगे हैं नसबन्दी में खाने की वस्तुओं के मामले को कोई देख हीं नहीं रहा है। तो इस चीज को डिस्कशन के लिये आप स्वीकार कर लें। ढाई घंटे की चर्चा आप इस पर करा दें। हम लोग भी अपनी बात कह लेंगे सरकारी पक्ष वाले भी अपनी बात कह लेंगे और जनता को भी मालूम हो जायेगा कि यह सरकार क्या कर रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपने हमारे प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया। अभी हमारे माननीय साथी ने जो नसबन्दी वाली बात बतायी श्रीमन्, वह कितनी घृणित है। इसलिये आप इस पर इसे स्वीकार कर चर्चा कराने का समय दें। जैसा माननीय बंशीधर पान्डेय जी ने कहा बजट के समय अन्य कई मसलों पर हमें अपनी बात कहनी होती है उस समय हम इस विषय पर अधिक चर्चा कैसे कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आप सभी माननीय सदस्यों की बातें सुन लीं माननीय अध्यक्ष ने आदेश दिया है..

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष जी ने तो जो सवेरे रूलिंग दी उसे हमने देख लिया यह तो आपके अधिकार की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

अपने आदेश को माननीय अध्यक्ष ही अपने चैम्बर में यदि चाहें तो...

(व्यवधान)

नियम 51-52 का समय जब आयेगा तो उसमें देखा जाएगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप बता दें कि आप नियम 52 में ले लेंगे स्पष्ट बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये अभी इसका अवसर नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप इस पर टालमटोल कर रहे ह। मेरा आप स्वीकार नहीं करते हैं ऐसा मालूम पड़ता है कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिये मैं इसके विरोध में 5 मिनट के लिये अपने दल के सदस्यों के साथ इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्यागकर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें एक शर्त है कि विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का होना चाहिये जो की नहीं है।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

एक चीज आपने मेरे पास भेजी है। इस पर मैंने उनसे कहा कि वह दुकान का नाम पता बतायें तथा यह भी बता दें कि कहां-कहां ऐसा सामान और मिल रहा है तो मैं समुचित ऐक्शन ले लूंगा। लेकिन वह दुकानदार का नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि वह तो उनके हल्के का है। वह कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो फिर कैसे हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह मैं आपको बता दूंगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

इस पर तो आप कुछ कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। अब वह करेंगे नहीं।

## उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1973, (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालीन व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 149 पर)

## उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में प्रस्तावित संशोधन (क्रमागत)†

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह जो विषय पहले से ही सदन में चल रहा है और उसमें सदन में प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि सभा के उपवेशन जो हों वह वर्ष में 3 बार और कम से कम 90 दिन अवश्य हों। इसमें मान्यवर, मेरे भाई लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने एक संशोधन पेशकर दिया है।

† 20 जनवरी, 1972 की कार्यवाही से।

[श्री बंशीधर पांडेय]

मैं तो उनसे यही अनुरोध करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें । क्योंकि इस सदन का जब प्रस्ताव हुआ और जब प्रस्ताव के बाद नियम समिति म गया तो वहां भी उनकी शकाओं को अध्यक्ष जी द्वारा दूर किया गया था । अध्यक्ष जी ने सब पर विचार करने के बाद अपनी रूलिंग दे दी थी और नियम समिति ने उसको स्वीकार करके नियम को अंगीकार कर लिया था । जो बातें आचार्य जी ने उठाई थीं वे नियम समिति के सामने आई थीं और नियम समिति में अध्यक्ष जी ने उन सबको रूल्ड आउट कर दिया था और उसे ऐज इट इज स्वीकार कर लिया था । अब आप कहते हैं 'साधारणतया' ।

मैं कहता हूं कि असेम्बली को 90 दिन करने में भी आपको एतराज है । आखिर जनतंत्र इस देश में रहा है । डिक्टेटरशिप भी रही है, दुनिया के देशो में हिटलर ने जनता से वोट प्राप्त करके कह दिया जेंटिलमैन आप अपने घर जाइये, पार्लियामट को रद्द कर दिया और सब को हटा दिया लिहाजा एक डिक्टेटरशिप बन गये । उसका इतिहास सारा संसार जानता है । वहां जनतंत्र को हत्या हो गयी । जनतंत्र का पहला तकाजा है—विचारों की अभिव्यक्ति । हम जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं, उनमें से बहुमत दल सरकार बनाता है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे लोग जनता के प्रतिनिधि हैं उनका कर्तव्य है कि जनता की सारी बातों को रखें । मैं मानता हूं कि अध्यक्ष जी को कठिनाई रहती होगी, कि कब समय मिले कब डिस्कशन करवायें, लेकिन दूसरी ओर हमें भी जनता प्ररित करती है, जो इतनी मंहगाई हो गयी है उस पर चर्चा करने के लिए हमें अपनी बातों को सदन में रखना पड़ेगा और सदन जो सरकार होगी उसके सामने सारी चीजें आ जानी चाहिये । 10 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता एक साथ बैठ कर निर्णय ले ले वह तो हो नहीं सकता । तो असेम्बली में रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ही बहस होगी । उसके लिये भी समय कम होगा तो आप देखतें हैं कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि हर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करें ।

माननीय शिवराज सिंह अच्छी चीज कमेटी में करके लाते हैं । आप यहां पर उनको बुला लेते हैं । वह पढ़ देते हैं—8वां, 29वां प्रतिवेदन पेश कर रहा हूं । सदन के माननीय सदस्य मूक दर्शक की तरह देखते रह जातें हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता अपनी रिपोर्ट पर बहस करने का । पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है, कारपोरेशन की रिपोर्ट है, ए0जी0 की रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट आती हैं । कमेटियों की रिपोर्टें के लिये कभी मौका नहीं मिलता है । बहुत मुश्किल से कोआपरेटिव वर्ग रहकर एक रिपोर्ट पर बहस करने का मौका मिला । मैं माननीय लक्ष्मी नारायण आचार्य से निवेदन करूं, आप उस सभा में रह चुके हैं जब 110 दिन मीटिंग होती थी । 1952 से 1957, 1957–1962, और 1962–1967 देख लीजिये, दिनोंदिन सभा के उपवेशन कम किये जाने लगे । उसका एक परिणाम होता है । जनता की आवाज दबती है । जनता के प्रतिनिधियों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का मौका नहीं मिलता । इसी लिये हड़ताल, प्रदर्शन, दुनिया के बवाल होते हैं । पुराने जमाने में, मैं उस जमाने में सदस्य नहीं था, पंत जी बाहर कहा करते थे । कि खूब बोलने दो, बोलते-बोलते अपने आप थक जायेंगे । वह पार्टी की मीटिंग में उपस्थित रहते थे । उस जमाने में 430 में मुश्किल से 30 आदमी विरोधी दल में थें ।

मेरे साथी बताते है । वह 390 शुरु करके बैठे रहते थे, सब मेम्बर कहते जा रहे हैं, जब कोई वक्त नही रह गया तो कह दिया कि पास कर दिया । कुछ इधर से विचार सुने, कुछ उधर से विचार सुने, मंत्रिगण सदन में न भी हमारे बात को मानेंगे तो अपनी संतुष्टि के लिये उसको ठीक करते हैं, भले ही न कहें कि मैं मानता हूं । लेकिन जब विचारों को रखने का मौका ही न मिले, सभा के उपवेशन कम होते हैं तो सरकारें पलटने का इतिहास रू हो गया, 1967 के बाद से (अस्थायित्व आ गया) हर सरकार डर के मारे चाहती है,

ज्यादा दिन का उपवेशन न हो । ताकि किसी तरह से बजट पास करके उठ जाया जाय डर यह रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार उलट जाय। इस डर से सभा का उपवेशन कम होने लगा । लेकिन नन्दिनी सत्पथी जिस रास्ते जून में आई थीं उसी रास्ते अब लौट गईं । इसी प्रकार 100 आदमी जिस रास्ते मार्च के दल में आये थे उसी रास्ते वे वापस लौट भी सकते हैं और राजा साहब ने जनता की भावनाओं के अनुरूप ही भाषण दिया था कि मिड टर्म पोल इन यू0 पी0 इज नाट रूल्ड आउट । वह जनता के हृदय की झंकार थी लेकिन यहां चीफ मिनिस्टर के डर के कारण उन्होंने उसका खंडन कर दिया।

(व्यवधान)

आप देखें कार्य मंत्रणा समिति में क्या होता है ? पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स के मिनिस्टर टाइट प्रोग्राम ले कर आते हैं और हमको मौका नही देते । उनको कभी यह विधेयक लाना होता कभी वह विधेयक लाना होता है । उदारता तो यह होनी चाहिये कि हमको पूरी बातें कहने का मौका दिया जाये उनको जो जनता के प्रतिनिधि हैं । एक ट्रडीशन आपने और पैदा कर दिया । पहले सरकारी पक्ष के लोग वाद-विवाद में काफी हिस्सा लिया करते थे लेकिन कब आपका डंडा चल गया और क्योंकि बहुत से दलबदलू विधायक उधर बैठे हुये हैं, दल बदलने से उनकी आत्मा मर चुकी है, उनको हिम्मत नहीं पडती अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की । सन् 62 की बात बतलाता हूं जब चायना का आक्रम हुआ उस समय मैं और धर्म दत्त जी वैद्य पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी थे अथवा जो भी सदस्य उस समय रहे होंगे उनको अच्छी तरह से विदित होगा कि लैंड रेवेन्यु सरचार्ज चार आने बढ़ा था । पार्टी में उस पर मीटिंग हुई और उसके बाद सदन में चार पांच सदस्यों ने सरकार की तरफ के थे उन्होने सरकार का खुल कर विरोध किया और आज की तरह से उन पर अनुशासन का डंडा नही चलाया गया और उस समय विचारों की अभिव्यक्ति होने दी गयी ।

लेकिन आज क्या होता है ? महत्वपूर्ण विषयों पर भी अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो गर्दन उसकी चांप दी जाती है । कोई सदस्य उधर खड़ा हुआ और मुख्य मंत्री जो की भृकुटि टेढीं हुई तो मेम्बर डर गया और वह कभी बोल नहीं पाता है । इस तरह से जनतंत्र का निर्माण नहीं हो सकेगा । इसलिये अनुरोध यह किया जा रहा है कि सदन का उपवेशन कम से कम 90 दिन हो । 52, 57 तथा 62 में अगर आप देखेंगे तो सदन के उपवेशन 110, 125 तथा 150 दिन तक हुए हैं । आप उस समय का एवरेज निकाल लीजिये और जो सबसे अधिक एवरेज आये उतने ही दिन रख दीजिये 110, 112 अथवा 120 दिन आयेगी । आप कहते हैं कि कांस्टीट्यूशनल कठिनाई बढ जायगी । मैं कहता हूं कि आपको किस बात की चिन्ता है ? स्पीकर साहब हमारी बातों को सुन कर यहां रूलिंग दे देते हैं । हमारी बातों को सुन कर अगर स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी कि यह प्रस्ताव इन आर्डर है, नियम समिति ने भी उसे पास कर दिया तो फिर क्या कोई सदस्य कोर्ट में जायगा ? विधान सभा का शायद ही कोई सदस्य ऐसा होगा जो कोर्ट में जायगा कि साहब क्यों गवर्नर की पावर कटकर दी गयी ? कोई बुद्धिमान विधायक कभी ऐसी बात सोच भी नहीं सकता ।

[श्री बंशीधर पांडेय]

हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अधिवेशन हो । इसलिये मैं माननीय आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने इस प्रस्ताव को वापस लें क्योंकि जो आपने इसमें लिखा है वह बड़ा घातक है । इससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है । उससे न गवर्नर की पावर कटती है और न ही कोई बात खिलाफ में होती है । अगर किसी को करना ही होगा तो वह हाई कोर्ट से करेगा । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि नियम समिति तथा हाउस द्वारा जो प्रस्ताव पहले हो चुका है वह नियमतः ही हुआ है और जो प्रस्ताव आलरेडी पास हो चुका है उस पर यह आचार्य जी का प्रस्ताव एक अड़ंगे के रूप में लगता है । इसे वे वापस करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले मैं यह बता दूं कि इस विषय पर कौन-कौन से लोग बोल चुके हैं- श्री त्रिवेणी सहाय, श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री रामधारी शास्त्री, श्री इन्द्रमणि बडौनी तथा श्री मैनेजर सिंह व श्री गोविन्द सिंह नेगी । अब श्री बलवीर सिंह जी को मैंने बलाया है ।

*श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक नियम बना था कि विधान सभा के कितने अधिवेशन हों, किस प्रकार से हों और किन-किन दिनों में हों । मुझे याद है जो नियम इस वक्त है, जिसके लिये माननीय आचार्य जी संशोधन लाये हैं, वह उन्हीं लोगों का लाया हुआ था जो सरकार की तरफ बैठे हैं । मुझे याद है कि इस प्रकार के प्रस्ताव को श्री रामचन्द्र विकल लाये थे और उसमें आप सभी का समर्थन प्राप्त हुआ था । हमने भी उसको मंजूर किया था । उस वक्त हम लोगों की सरकार थी । उसे सभी ने ठीक माना था और उस समय इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था तथा कोई नाराजगी जाहिर नहीं की गयी थी यह बहुत ठीक बात थी । माननीय आचार्य जी चले गये । वे बड़े लायक और काबिल वकील हैं उन्होंने इसमें संशोधन रखकर अपनी काबलियत का नमूना पेश किया है । उनके संशोधन लाने की मंशा यह है कि जिससे वह इन्फेक्टिव हो जाय । उनकी मंशा यह है कि सदन उतने दिन चलना चाहिये जितने दिन तक सरकारी पक्ष उसे चलाना चाहता है । हो सकता है, मैं किसी की नीयत पर सुबहा नहीं करना चाहता कि कोई सदस्य चाहे कि सदन कम से कम दिन चले ।

मैं कहता हूं कि आखिर किस लिये यह असेम्बली और पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाते हैं । ये रिप्रजेन्टेटिव जो हैं वे डिमोक्रेटिक फार्म आफ गवर्नमेंट किस लिये है । उसकी मंशा केवल यही है कि असेम्बली और पार्लियामेंट ज्यादा से ज्यादा दिन बैठे और अपनी जनता का प्रतिनिधित्व कर सके । इसीलिये वे चुने जाते हैं । यह डिमोक्रेटिक फार्म आफ गवर्नमेंट के लिये बहुत जरूरी है । कहीं भूख की स्थिति है, कहीं अकाल की स्थिति है, कहीं वर्षा ज्यादा होती है, कहीं वर्षा कम होती है, कहीं अराजकता फैल जाती है और अलग-अलग तरह की समस्या अलग-अलग जगह पर अलग अलग समय में पैदा हो जाती है । तो ये सारी समस्यायें ऐसी नहीं हैं जो कि किसी एक खास दिन में पैदा हों । यह तो चलने वाली घटनाये हैं और इन बातों को सरकार के कानों तक पंहुचाना जरूरी होता है इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि सदन को ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिये इसमें आचार्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी ने एक होशियारी बरती है । मैं उनकी काबलियत को दाद देता हूं । उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है । उन्होंने कहा है, जो पहला नियम है उसमें है कि प्रत्येक वर्ष में सभा के कम से कम तीन अधिवेशन होंगे ।

मैं इस ओर सदन की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि वे इस हवा में न बहें । यह संशोधन प्राइवेट है, गवर्नमेंट का नहीं है लेकिन इशारा गवर्नमेंट का हो सकता है । मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि वे इसे इन्डेपेन्डेंट समझें और आचार्य जी की तरफ से समझें । उन्होंने मूल प्रस्ताव में जो लिखा था कि अनिवार्यत: होंगे, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि साधारणतया होंगे । मैंने इसे पढ़ने की कोशिश की है । क्योंकि वही शब्दावली वही शब्द जो नीचे दिये हुये हैं कि फरवरी से मई, जुलाई से सितम्बर और नवम्बर से दिसम्बर तक ये अधिवेशन होंगे । तो यहां वही सब बातें लिखी हुई हैं तो क्या फर्क था । आखिर में मुझे पता चला कि शब्द "अनिवार्यत:" को हटा कर शब्द "साधारण" इसीलिये रखा गया है कि जब चाहे सदन का अधिवेशन बुलावें और जब चाहें सदन का अधिवेशन न बुलावें । शब्द "अनिवार्यत:" रहने से सरकार पर सदन की राय एक तरह से इमपोज होती कि नैतिकता के आधार पर सदन की राय को वह माने । नहीं माने तब भी शायद सदन के पास कोई चारा नहीं होगा कि वह जबरदस्ती उनसे अपनी बात को मनवावे लेकिन नैतिकता का तकाजा यही है कि वे उसको मानें। फिर क्या तकलीफ पहुंची ? तकलीफ यह हुई कि कल जो प्रोग्राम इस सरकार का आने वाले दिनों के लिये मिला और जिस तरह से इस सदन की कार्यवाही शुरू हुई उससे इस सरकार के दिमाग का नक्शा जनता के सामने आ चुका है ।

प्रजातंत्र का माने है रूल आफ ला, कानून का शासन लेकिन हमारी सरकार का इरादा कानून और रूल्स के बिलकुल विपरीत मालूम होता है । मुझे माफ किया जाय । यदि मैं यह कहूं कि सरकार की कोशिश शायद यह भी रहती है कि आपके ऊपर भी प्रभाव डाल कर अपने ही हक में कानून के सम्बन्ध में फैसला करवा लें । अगर ऐसा ही अपने मन में रखते हैं तो कानून क्या है ? कानून स्पष्ट है । मुझे मौका नहीं मिला, उस वक्त अध्यक्ष महोदय थे, बाद में आप पीठासीन हुये, मैं इस पर बहस करने के लिये तैयार था कि आज जो अधिवेशन शुरू किया जा रहा है और वह भी राज्यपाल के अभिभाषण के बगैर, वह बिल गलत है । यह रूल्स के ही नहीं, कांस्टीट्यूशन के भी कतई खिलाफ है । कांस्टीट्यूशन में है कि पार्लियामेंट में पहले राष्ट्रपति का भाषण होना चाहिये, उसके बाद अधिवेशन शुरू हो और यहां राज्य में राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिये, और उसके बाद अधिवेशन शुरू हो । यह कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल 176 में बिलकुल साफ है ।

मैं इस प्वाइन्ट पर ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कल मुझे समय नहीं मिला लेकिन कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 176 में इसका प्राविजन है और आर्टिकिल 175 में तो यह प्राविजन है कि राज्यपाल जब चाहे तब भाषण दे सकता है । लेकिन स्पेशल सेशन में तो राज्यपाल का अभिभाषण देना लाजिमी है । फिर उनके अभिभाषण के बाद यह अधिवेशन क्यों नहीं शुरू कराया गया । किसी सड़क पर चलते-फिरते आदमियों ने इस प्राविजन को नहीं रखा है, बहुत सोच समझ कर इसे रखा गया है । इसमें लिखा हुआ है कि आने वाले साल के बजट में क्या प्रोग्राम है और सरकार की नीति क्या है उसके बारे में राज्यपाल स्पष्ट घोषणा करें। चाहे राष्ट्रपति का भाषण हो या राज्यपाल का अभिभाषण हो, उसमें यही तो कहा जाता है कि हमारी सरकार की आने वाले साल के अन्तर्गत क्या-क्या स्कीम हैं या जनता के हित में क्या-क्या किया जायेगा ? जनता के हित के लिये यह किया जायेगा या हरिजनों के लिये यह किया जायेगा, इससे सरकार की पालिसी स्पष्ट होती है ।

[श्री बलबीर सिंह]

राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 दिन जेनरल चर्चा करने के लिये मिलता था, लेकिन उनका अभिभाषण न होने के कारण 4 दिन तक डिस्कशन का हमारा अधिकार भी समाप्त हो गया । पता नहीं जुलाई, अगस्त, सितम्बर, में अधिवेशन हो या न हो जिससे हमें चर्चा करने का मौका मिले या न मिले । हो सकता है कि पहले ही सदन खतम हो जाय और इस पर हमें चर्वा करने का मौका ही न मिले सरकार की पालिसी पर । सरकार अपनी पालिसी बतलाना नही चाहती और उससे बचने के लिये उसने यह तरकीब निकाली कि अभी केवल बजट पास होगा और राज्यपाल का अभिभांषण बाद में होगा । इसलिये सरकार कानून की परवाह नहीं करती । यही मेरे कहने की मंशा थी । किसी न किसी तरह से यह सरकार कानून से बचना चाहती है और उसके खिलाफ काम करना चाहती है । जिस सरकार का ऐसा इरादा हो और जो आचार्य जी के द्वारा ऐसा संशोधन यहां लाये तो उससे इसकी पुष्टि जरूर होती है कि क्या उनके मन में है । मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि इससे कोई मतलब हल नहीं होगा बल्कि इससे सरकार की इमेज और तसवीर जनता में खराब होगी कि यह सरकार कानून का और संविधान का उल्लंघन करती है । जो नियम बिलकुल इन्नोसेंट है और जिससे कोई तकलीफ नहीं पंहुचती है तो उसको संशोधित करने की क्या आवश्यकता है ? मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें और अपना नाम इसमें न सानें तो बड़ा अच्छा होगा ।

*श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहूंगा कि इस प्रकार का प्रस्ताव हमारे पुराने साथी श्री रामचन्द्र विकल जो अब संसद सदस्य हैं इस सदन में लाये थे और सारे विरोधी दल के लोगों ने सर्वसम्मत से उनका समर्थन किया था यह मानकर कि कम से कम 90 दिन सदन चलेगा । उस समय इस नियम में शब्द "अनिवार्यतः" रखा गया था जिसको अब "साधारणतया" किया जा रहा है । मैं आचार्य जी की व्यक्तिगत रूप से बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि "साधारणतया" कर देने से कोई भी सरकार रहे वह मनमाने ढंग से चलेगी और जब चाहे सदन बुलायेगी या नहीं बुलायेगी । इससे जो प्रजातंत्र का स्वरूप है वही प्रकट न हो सकेगा । यह जो सारिणी में 3 अवधियां फरवरी से दिसम्बर तक की दी हुई हैं उनमें 3 अधिवेशन और 90 उपवेशन न हो सकेंगे और उसके बाद सरकार मनमाने ढंग से आर्डिनेन्स पास करेगी और जो चाहेगी करेगी ।

जब पिछली बार यह सदन 24 जनवरी को स्थगित हुआ था उसके बाद बहुत अधिक मंहगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल चली, प्रदेश के कर्मचारियों की 2 दिन की कैजुअल लीव चली, राशन की दुकानों से गल्ला न मिलने की स्थिति आई, नहरों से पानी न मिलने और विद्युत संकट आया लेकिन सदन न बुलाने के कारण यहां यह प्रश्न नहीं आ सके । यहां प्रश्न तरह -तरह से उठाकर हम सरकार को चेतावनी देते हैं, हर तरह से उससे आग्रह करते हैं कि वह ढिलाई में कम करें, हम जन प्रतिनिधि होने के नाते जनता की तकलीफ यहां तक लाते हैं और सरकार सुनती भी है और उस पर कार्य भी करती है क्योंकि उन्हें भी तो जनता के सामने जाना रहता है ।जो मंशा इस नियम को लाने की श्री रामचन्द्र विकल की और सदन की थी उस सब को यह 'साधारणतया' शब्द समाप्त कर देता है । लोकसभा में आपको ज्ञात होगा कि उपवेशन की निश्चित तिथियां दी हुई हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा कि इसी प्रदेश में जब यहां स्वनाम धन्य राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टंडन अध्यक्ष थे और अन्य लोग थे तो यह सदन साल में 5 साढे 5 मास चला ही करता था मैं इस सरकार से प्रार्थना करुंगा कि समाजवाद लाने के लिये और प्रजातंत्र की अक्षुण्ण बनाय रखने के लिये यह राम कृष्ण का प्रदेश टंडन जी और पंत जी का प्रदेश,नेहरूजी और शास्त्री जी का प्रदेश अबाध्य रूप से प्रजातन्त्र की छाया में आगे बढ़ना चाहिये। उपवेशन के दिनों को घटाना प्रजातंत्र के अधिकारियों को लेना है और इस 'साधारणतया' शब्द पर हमें घोर आपत्ति है मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वह शब्द "अनिवार्यत:" कर दें ताकि जो प्रदेश में समय समय पर सूखे की, बाढ़ की, विद्यार्थियों की, उनकी परीक्षा की, नहरों की बिजली की, बेरोजगारी की समस्यायें हमारे सामने आती हैं उन्हें हम सदन में सरकार के सामने ला सकें और उसमें विलम्ब न हो। इसलिये आचार्य जी कृपा करके "साधारणतया" शब्द को हटाकर "अनिवार्यत," रखने की घोषणा करें क्योंकि यह कोई दल का प्रश्न नहीं है वरन् यह प्रजातंत्र के आदर्श रूप को बनाये रखने का प्रश्न है

*श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)–

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय आचार्य जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है जिस में "अनिवार्यत:" के स्थान पर वह शब्द "साधारणतया" रखना चाहते हैं उसे देखकर मे आश्चर्य तो हुआ ही और साथ ही मुझे ऐसा लगा कि अब आचार्य जी की भी आस्था जनतंत्र से डगमगा गयी है और प्रजातंत्र की जो मान्यतायें और परम्परायें हैं उनके दल के लोग उन्हें छोड़ रहे हैं इधर से उधर जाने के बाद वह भी उन्हें छोड़ने के लिये उसी रास्ते पर चल पड़ें।

मैं यह नहीं समझ पाया कि लोकतंत्र का विकास कैसे होगा और लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी किसी देश में। क्या किसी देश में आर्डिनेंन्स के द्वारा रक्षा हो सकती है। कम से कम आर्डिनेंन्स देश में निकलें, इस प्रकार की स्वस्थ परम्परा देश में पड़नी चाहिये, तब लोकतंत्र की रक्षा होगी और लोगों का इसमें विश्वा स जमेंगा लेकिन मेरा ऐसा विश्वाश है कि यदि आप पिछले दो वर्षों के रिकार्ड को देखें कि विधान सभा का सत्र कितने दिन चला तो आप पायेंगे कि आप का जो 90 दिन बैठने का संकल्प था, वह पूरा नहीं हुआ। हम तो ऐसा देखते हैं कि आप कतरा रहे हैं, बचना चाहते हैं, उस चीज का सामना करने से जो विधान सभा के सत्र के समय आपको सामना करना पड़ता है। यदि आपको उससे बचना है या बचना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट घोषणा करनीं चाहिये कि आपका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और आप उत्तरोत्तर तानाशाही की ओर अग्रसर होना चाहते हैं और उसकी रक्षा के लिये जो कानून बने हैं, उनको तोड़ेंगे। यदि आप यह घोषणा नहीं करते हैं तो फि क्या औचित्य है कि इन संशोधनों को लाकर आप को मौका मिले कि इस प्रकार से आप आर्डिनेंस जारी करें। चूंकि आप इन्हें बिल के रूप में एसेम्बली में पेश नहीं करना चाहते हैं इनसे आप प्रदेश के जनमत को दबाकर रखना चाहते हैं।

इसका एक दूसरा भी पहलू है। आखिर यह सारा का सारा संविधान इस देश का है और उसके अन्तर्गत जो हमने परम्पराये मान रखी हैं उन्हीं के आधार पर हमें प्रजातंत्र को इस देश में चलाना है। क्या आपने अपने संशोधन से अपनी प्रक्रिया से पार्लियामेंन्ट्री डेमोक्रेसी को बढ़ाने का कोई प्रयास किया है, क्या आपने इनके द्वारा संविधान में जो प्राविधान है उनके संरक्षण के लिये कोई चीज ढूंढ रखी है? मुझे आशा थी आचार्य जी जैसे व्यक्ति से कि वे अवश्य ऐसी बात रखेंगे और जो 90 दिन का संकल्प है, उसको दृढ़ बनाने के लिये शब्द अनिवार्य रूप से सत्र 90 दिन चलेगा अवश्य रखेंगे। शासन में कोई भी लोग रहें लेकिन जो कानून बन रहें हैं वे सारे प्रदेश के लिये बना रहे हैं किसी पार्टी विशेष के लिये नहीं। जो नियम आप बनाने जा रहे हैं, उनका क्या परिणाम होगा, हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिमे। यदि हम उन्हें छोड़ते हैं तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम कुमार दीक्षित]

मूल बिचारों से दूर जाते हैं। इसमें लिखा है कि उक्त तीन अधिवेशन साधारणतया निम्नलिखित सारिणी के अनुसार किए जा सकेंगे। पता नही कि वे शब्द साधारणतया उपवेशन में जोड़ना चाहते हैं या सारिणी में जोड़ना चाहते हैं।

इस उपवेशन को 3 क्रमों में रखा है। इन 3 क्रमों की रद्दोबदल की जो बात है वह तो दूसरी है लेकिन अगर आप 90 दिन से उपवेशन का समय घटाना चाहते हैं तो यह अन्याय है। आप साफ-साफ कहिये कि आप निश्चित रूप से जनतंत्र की मान्यताओं को समाप्त करना चाहते हैं इस देश और प्रदेश से। यदि आपका ऐसा विचार नहीं है तो मैं माननीय आचार्य जी से जो एक बहुत योग्य वकील है, प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर सोचें।

उनका इस प्रकार का संशोधन कहां तक औचित्य पूर्ण है, इसका लाभ क्या होगा ? किस दृष्टि से उन्होंने इसको रख दिया ? क्या उन्होंनें इसे एक वकील के नाते रखा है, कि जैसे वकील की बुद्धि होती है कि वह अपने तर्क से बचाव निकालने का करता है, वह कार्य उन्होंने इसके द्वारा कर दिया है ? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वह बचाव भले ही न्यायालय मे ठीक हो-किन्तु इस जनता के न्यायालय में उसको वह न करें। जनता के न्यायालय न हमें और न आचार्य जी को क्षमा करेगा। इस जनता के न्यायालय में जो बैठकर काम करते हैं अगर वह उस तरह से कर दिया जाय, तो उसके बड़े खराब परिणाम होंगे। यह आज आम चर्चा है कि आप तानाशाही की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपके ऊपर यह चार्ज है। इस चार्ज से बचने के लिये यह आवश्यक है कि आप इस जनता के न्यायालय में ऐसे काम न करें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आचार्य जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कि यह जो इसमें साधारण शब्द रख दिया है, उसको हटा दें और जैसा सभी विरोधी पक्ष के लोगों ने स्वीकार किया है और जैसा विकल जी ने प्रस्ताव रखा है, उसी आधार पर स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)

उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के प्रस्तावित नियम 14 में माननीय आचार्य जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। श्रीमान जी, यह सभी को ज्ञात है कि नियम का यह रूप इस सदन के एक पारित प्रस्ताव के आधार पर हुआ है जब सदन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय की सरकार में आज जो रूलिंग पार्टी है, उसके लोग भी शरीक थे और जब यह प्रस्ताव पास हुआ था तो सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव सदन में पारित हुआ था और जब नियम समिति में यह विचार के लिये आया, उस समय भी मौजूदा रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे। नियम में यह जो रूप रखा गया प्रस्ताव के आधार पर रूलिंग पार्टी की सहमति के आधार पर रखा गया। उनकी कोई असहमति नहीं थी। सदन का प्रस्ताव था। नियम समिति में जो रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि थे, उनकी सहमति से यह नियम बनाया गया। तो इस तरह से सदन के प्रस्ताव सेआधार पर नियम समिति में जो रूलिंग पार्टी के सदस्य थे, उनकी सहमति से कोई नियम बने और फिर अन्त में अपनी संख्या के आधार पर उसको उलटने की कोशिश की जाय, तो यह बात मुनासिब नहीं। इसका अर्थ यह हो जायेगा कि फिर कोई नियम चलने नहीं पायेगा और रूलिंग पार्टी अपनी संख्या के आधार पर अपनी सुविधा के अनुसार नियमों को तोड़ने-मरोड़ने को कोशिश करेगी।

नियमों में हमेशा बात ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी पाबन्दी निश्चितरूप से निर्धारित की जा सके। इसलिए नियम में अनिवार्यत: शब्द रखा गया था कि अनिवार्यत: 3 अधिवेशन होंगे और कम से कम 90 दिन उपवेशन होंगे। अब माननीय आचार्य जी उसको अनिवार्यत: शब्द की जगह साधारणतया करना चाहते हैं और साधारणतया दोनों में जुड़ जाता है--तीनों अधिवेशन के लिये भी और 90 दिन के लिये भी। उसका अर्थ यह हो जाता है कि साधारणतया तीन अधिवेशन होंगे और साधारणतया 90 दिन के उपवेशन होंगे। यानी सरकार के

ऊपर कोई पाबन्दी नहीं रह जाती है कि कितने दिन उपवेशन यहां पर हों और कितने अधिवेशन हों। इन नियमो में संशोधन करके सब अधिकार सरकार को दे देना चाहते हैं। इस प्रकार की बात उचित नहीं होती। सरकार के ऊपर नियम की पाबंदी होनी चाहिए। सरकार नियमों से बचना चाहे, तो फिर बात मुनासिब नहीं होती। प्रजातन्त्र तो नियमों का राज्य होता है .....।

नियम के अनुसार सारी कार्यवाही होती है और नियमों में ऐसी छूट नहीं होती है कि सरकार जो भी करना चाहे कर ले और कहती रहे कि हम तो नियम के अनुसार कर रहे हैं और इस तरह की छूट देकर और 'साधारणतया' शब्द जोड़कर हम यह छूट देने जा रहे हैं कि सरकार के पास कोई पाबन्दी नहीं रह जाती। चाहे वह 90 दिन के बजाय 45 दिन का उपवेशन करें, वह यह कह सकते हैं कि हम तो नियम के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हमेशा कानून में एक निश्चित भाषा, निश्चित बात और निश्चित जिम्मेदारी और अधिकार दिये जाते हैं। निश्चित जिम्मेदारी को अनिश्चित कर देना किसी तरह से ठीक नहीं है। आचार्य जी बड़े अच्छे वकील हैं और रोज वकालत हाईकोर्ट में करते होंगे।

एक सदस्य--

चलती नहीं है।

श्री जयराम वर्मा--

उनको भी कानून की कोई ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती होगी जिसके कोई निश्चित अर्थ न निकाले जा सकें और कोई भी कार्यवाही की जा सके। यहां जो भी कानून बनते हैं उनकी भाषा ऐसी रखी जाती हैं जिसके कोई अर्थ निश्चित निकल सकें, बिलकुल अनिश्चित मालूम न हो और यहां तो मामला बिलकुल अनिश्चित कर दिया गया है। नियम समिति के फैसले की इस तरह से अवहेलना करना मेरे ख्याल में सरकार के लिये किसी तरह से उचित नहीं है। नियम समिति में सरकारी पक्ष के केवल मंत्री ही नहीं थे, कई और भी सदस्य थे और जो मेरे ख्याल में नियम समिति में सरकारी पक्ष का ही बहुमत है और बाद में कोई बात और विचार में आ गई हो और उससे हटने की कोशिश करना कोई ठीक बात नहीं है। इस तरह से किसी समिति के फैसले का कोई अर्थ ही नहीं रह जायगा क्योंकि अगर कोई समिति निर्णय लेती है तो आप अपनी संख्या के बल पर उसको बदल सकते हैं अगर आप अपनी जिद्द पर आना चाहें, लेकिन वह जनतंत्र के लिये बहुत अच्छा नहीं होगा।

जनतंत्र में आपको अपने को बांधना चाहिये और अपने ऊपर एक निश्चित बात लानी चाहिये। अपने को इस तरह की छूट नहीं होनी चाहिये कि जो चाहें करते रहें और कोई नियम हो लागू न हो। इसलिये मैं यह कहूंगा कि नियम समिति में बहुत सोच विचार करके सदन के प्रस्ताव के आधार पर यह शकल रखी है और उस शकल को बदलना ठीक नहीं है। अगर सदन के 3 अधिवेशन अनिवार्यतः होंगे तो कौन सी परेशानी सरकार को हो जायेगी, अगर 90 दिन का उपवेशन होगा तो कौन सी परेशानी सरकार को हो जायेगी। सरकार क्यों अपने बहुमत के आधार पर 90 दिन के उपवेशन नहीं करना चाहती और क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है।

आज तरह-तरह के प्रश्न पैदा हो रहे हैं और जिस प्रकार की समस्यायें आज हमारे सामने आ रही हैं उनके निपटारे के लिये यह जरूरी है कि समय अधिवेशन में सदन का ज्यादा लेंगे ताकि सदन में बैठकर उन समस्याओं पर विचार करके एक निर्णय लिया जा सक। समस्यायें, कठिनाइयां, परशानियां बढ़ती जा रही हैं और यह नहीं मालूम होता कि हम किधर

[श्री जयराम वर्मा]

जा रहे हैं कितनी ही मुसीबत पैदा होती जा रही है, तो उस मुसीबत को हल करने के लिये सदन का सहयोग अगर लिया जाय तो इसमें क्या कठिनाई है उससे भागने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिये मैं माननीय आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि उनको अपना संशोधन वापस ले लेना चाहिये और सदन के निर्णय का आदर करना चाहिये और नियम समिति के जिसमें उनके दल का बहुमत था निर्णय का आदर करना चाहिये ।

*श्री भामी यादव (जिला आजमगढ़)---

उपायक्ष महोदय, आचार्य जी का जो संशोधन है मैं उसका घोर विरोध करता हूं । यह बात सबको विदित है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ और विधान सभायें बनी तो जनता समझती थी कि विधान सभा में हमारा प्रतिनिधि जाकर हमारी बात कहता है, हमारी समस्याओं को रखता है । सदन से यह बात सर्वसम्मत पास हुई थी कि कम से कम 3 अधिवेशन अनिवार्यतः होंगे और 90 दिन से कम नहीं होंगे । लेकिन अब यह संशोधन लाकर इस बात को अनिश्चित क्यों किया जा रहा है । यह सरकार ही ऐसी है जिसका न कोई निश्चित उसूल है और न निश्चित सिद्धांत है । हमेशा इसकी अनिश्चित पालिसी रहती है । जब यह चीज पास हो गयी कि कम से कम तीन अधिवेशन होंगे और 90 दिन के होंगे तो फिर उसमें संशोधन की बात समझ में नहीं आती । जब विधान सभा चलती है तो हर सदस्यों को यहां मंत्रियों से मिलने का मौका मिलता है । लेकिन यह मैं साफ कहना चाहता हूं कि क्या इनको कम दौरा करने का मौका मिलता है, कम भत्ता लेने का मौका मिलता है जो यह तीन महीने की विधान सभा नहीं चलाना चाहते । यह तो डिक्टेटरशिप की बात होगी । क्या आप हिटलर बनना चाहते हैं और प्रजातंत्र का हनन करना चाहते हैं । यह बिलकुल अनर्गल संशोधन है और यह नहो होना चाहिये ।

आपने इसमें साधारणतया कहा है जिसका मतलब है कि तीन महीने न चलकर एक ही महीने सदन चले और 90 दिन की जगह तीस दिन ही चले । अगर बहुमत के बल पर डिक्टेटरशिप चलाना चाहते है तो फिर कोई जरूरत नहीं है । आपका सारा कानून मंत्रिमंडल बनाये, वही बजट पास करे । सारे प्रदेश को एक ही आदमी के हाथ में सौंप दीजिये । लेकिन यह सब करके आप गांधी जी की कही हुई बात के विपरीत चल रहे हैं आपका समाजवाद का जो नारा है वह झूठा है और एक ढोंग है । आप कई काम ऐसे करते है जिनसे देश और प्रदेश कराह रहा है । आचार्य जी एक विद्वान आदमी हैं । हो सकता है कि आप वकालत भी करते है । लेकिन उसमें कोई ज्यादा हर्जा नहीं होगा । आपको नौ महीने का टाइम मिल जाता है । आप बहुमत के बल पर इस अनर्गल संशोधन को पास कराने की चेष्टा न करें नहीं तो जनता इसको बरदाश्त नहीं करेगी । मैं हाथ जोड़ कर आचार्य जी से कहना चाहता हूं कि वह इस संशोधन को वापस ले लें । अगर मेरी कही हुई बात में कोई कड़ा शब्द लगा हो तो वे मुझे क्षमा करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, मुझे भी कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह परम्परा खराब होगी कि एक ही विषय पर आप दो बार बोलें ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

इस पर तो काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न 20-1-72 को कार्य-सूची में आया था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सशोधन तो अब आया है । संशोधन पर तो बोलने दीजिये।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

हमें ही अवसर दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है और इस पर सबके मत बनगये हैं । अब इस पर काफी कहना बाकी नहीं है। अब हम दो-दो मिनट देते हैं ।

श्री जगन्नाथ खन्ना--

ये तो कुछ कहेंगे नहीं; बोलना तो हमें ही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सदन का मामला है । यह सरकार और विपक्ष का नहीं है । यह नियम का मामला है । हो सकता है कि वे आपके पक्ष में बोलें ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन आया है यह बड़े महत्व का है क्योंकि इस सदन के समय को बिना परिस्थितियों को ध्यान रखे बांधना बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी । पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि हिन्दुस्तान की विधानं सभाओं में भिन्न-भिन्न परिस्थितियां आयी हैं। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है जबकि 60 दिन के बाद ही हम न बैठ सकें नहीं साधारणतया का यह मतलब नहीं है कि हमने यह इरादा कर लिया है कि 90 दिन बैठेंगे ही नहीं । साधारणतया बड़ा ही लचीला (फ्लेक्सिबिल) शब्द है । हो सकता है बजाये 90 दिन क हम 89 या 85 दिन ही बैठें और बजाये 3 अधिवेशनों के दो ही अधिवेशन हों और फिर प्रेसी डेंटरूल हो जाये या ऐसी परिस्थिति आ जाये कि जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के बीच में मतभेद हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा करके आसन ग्रहण करें । आप तो बोल चुके हैं । यह छपा हुआ है, आपको स्मरण होगा । अब लिखा नहीं जायेगा । ये सब बोल चुके हैं ।

श्री बसंत लाल शर्मा--

मान्यवर, आपने 2 मिनट का समय दिया । बोलने वाले तो निकल गये, अब तो समय बढ़ा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष --

यह मामला ऐसा है कि जल्दी आज तय हो इधर या उधर बहुत दिनों से चल रहा है ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, नियम समिति ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें अनिवार्य रूप से और कम से कम 90 दिन रखा है । आचार्य जी का तो मैं बड़ा आदर करता हूं । व तो कानून के पंडित हैं । उन्होंन जो शब्दावली दी है उसको आप पढ़ें और देखें।

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

इस "साधारणतया" शब्द के जोड़ देने से तो फिर इसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। मैं कहता हूं कि विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली बनाना तो सदन का अधिकार है, सरकार का नही है। सरकार के इनेगिने लोग जो कार्यपालिका के हेड हो जाते हैं कि प्रदेश की जनता द्वारा जो चुने हुए लोग आते हैं वे यहां बैठा करते हैं जिनका यह सदन है उनके भी कुछ अधिकार हैं। हमारी परम्परा रही है कि हम बजट समय से सदन में रखते रहे हैं अब धीरे-धीरे ऐसी परम्परा होती जाती है कि वोट आउन एकाउन्ट पहले पास करा लिया जाता है। क्योंकि अब यह नहीं जसा कि पहले था कि काफी पहले से बैठकर 31 मार्च पहले-पहले बजट को पास करा लिया जाता हमारे आचार्य जी आज सरकार के अन्दर नहीं हैं लेकिन वह इसके पहले रहे हैं और इसीलिये शायद वह यह भूल जाते हैं कि इस समय वे केवल सदस्य हैं मंत्री नहीं फिर भी वे पता नहीं क्यों अपने अधिकारों का हनन करने जा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपने संशोधन को वापस लें क्योंकि अगर "अनिवार्यत:" शब्द नहीं जोड़ते हैं तब तो इसका कोई अर्थ हीं नहीं रह जाता।

माननीय रामचन्द्र जी विकल ने जब यह प्रस्ताव रखा था तब वे विपक्ष में थे। अकेले वे अपने दल के थे और उस समय इस सदन ने 90 दिन अनिवार्यत: स्वीकार किया था। और चूकि आचार्य जी उस समय थे और उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया था इसलिये "मैंने स्वयं स्वीकार लक्षणम्" अर्थात् वे मौन रहे अथवा बोले नहीं इस मसले पर तो ऐसी स्थिति में अब इधर से उधर चले जाने मात्र से ही क्या वे अपने मत को बदल सकते हैं जब कि वे कानून के पंडित कहे जाते हैं। और जब वे इस तरह से अपने मत को बदल सकते हैं तब तो फिर अन्य साधारण सदस्य क्या करेंगे ? ऐसी स्थिति में मैं उनसे पुन: नम्र निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपने संशोधन को वापस ले लें और "अनिवार्यत:" को मान लें। राज मंगल जी ने यद्यपि आपन कहा था कि उनका भाषण लिखा हुआ नहीं माना जायगा निकाल दिया जायेगा क्योंकि पहले बोल चुके थे, कहा कि इस बात मे बुद्धिमत्ता नहीं है कि अनिवार्यत: रखा जाय। तो इससे क्या अर्थ लगाये जायं, कि लोग सभा में बुद्धिविहीन लोग बैठे हुए है जब कि वहां भी उन्हीं के लोग अधिक हैं। आज वहां पर भी ऐसी ही बात है कि अनिवार्यत: वहां सत्र के दिन निश्चित होते हैं। अत: आचार्य जी कृपया इस अपने संशोधन को वापस लें और हम लोगों का जो अधिकार है सरकार पर उचित दबाव डालने का उसको सरकार पर यहां डालने दें।

*श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, आचार्य जी ने जो संशोधन रखा है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, सबसे प्रथम बात तो यह है कि जिस समय यह प्रस्ताव यहां हाउस में आया था उस समय चाहे मा0 पान्डेय जी हों चाहे आचार्य जी हों यहां तक कि सारा हाउस इससे सहमत था कि इस प्रदेश के अन्दर यह हाउस 90 दिन अनिवार्यत: चले और इसके तीन शेसन होने चाहिये। मैं यह नहीं समझ पाया कि सरकार अब घबड़ा क्यों रहीं है, यह भी नहीं है कि वह डगमगा रही है। जो शब्द "साधारणतया" आया है उससे ऐसा लगता है कि सरकार डगमगाने वाली है लेकिन ऐसा दीखता नहीं है। जब डिगनेवाली नहीं है तो फिर इसके पीछ मंशा क्या है केवल एक ही मंशा हो सकता है कि इस प्रदेश का राज्य वह आर्डिनेंस के जरिय स चलाना चाहते हैं। जितने सेशन कम होंगे सरकार उतने अधिक आर्डिनेंस निकालती चली जाय और सदन का कम से कम विरोध मिले। यह इस सदन को हक है। प्रदेश के अन्दर जनता जनार्दन को यही एक अवसर मिलता है कि वह यहां पर सरकार की गलती नीतियों के विरोध में अपना रोष प्रकट करे और सरकार की खींचातानी करे। ये इससे बचना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दसरी बात है कि 90 दिन इस प्रदेश के लिये ज्यादा भी नहीं है। भारतवर्ष के अन्दर यह सबसे बड़ा प्रदेश है, इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं है, इसमें 54 जिले हैं और इसलिये यहां की विधान सभा की बैठकों को 90 दिन से कम करना उचित बात नहीं है खासतौर से जब सर्वसंमति से यह बात तय हो चुकी है। उस समय इसका किसी ने विरोध भी नहीं किया था इसलिये ये लोग मारली बाउन्ड हैं इस चीज के लिये 90 दिन ही हो। आचार्य जी अपने को बड़े उच्च कोटि के नेता कहते हैं और जिस चीज को वो पास कर चुके हैं उसको परिवर्तित करना उचित नहीं है चाहे वे इधर बैठे हुए सदस्य हों चाहे उधर बैठे हों। आपने कहा है तो अपनी बात पूरी करें और जो प्रस्ताव रक्खा है उसको वापस लें।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मुझे यह देखकर खेद हुआ कि वह विवाद कुछ आदरणीय विरोधी दल और सरकार के बीच होता जा रहा है। वास्तविकता यह है कि इस तरह का विवाद नहीं है जिसमें सरकार पक्ष एक ओर बोले और विरोधी पक्ष एक ओर बोले। नियम समिति में आप भी हैं और वह इस सदन की समिति है। वह इन सभी बातों पर विचार करती है। यह जो 90 दिन का प्रस्ताव है, तो नियम समिति इस सदन के एक प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में इस निर्णय पर पहुंची है। श्रीमन्, मैं यह भी कहता हूं कि जब सदन ने यह प्रस्ताव रक्खा था तो हमारे प्रदेश की ही नहीं सारे देश की विधान सभायें बहुत कम चल रही थीं। आपको जानकारी थी कि हाउस आफ कामन्स जो दुनियां की पार्लियामेंन्टों की मदर है, वह वर्ष भर लगातार बैठती है और कम से कम 220 या 230 दिन अवश्य बैठती है। इसी प्रकार हमारी जो लोक सभा है वह वर्ष में 120 दिन या 4 महीने अवश्य बैठती है। श्रीमन्, हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी कि यह विधान सभायें 30 दिन भी बैठती हैं, 45 दिन भी और 54 दिन भी बैठती हैं।

हमारी विधान सभाओं में अव्यवस्था इसी कारण होती है कि विधान सभायें कम बैठती हैं और ऐसे समय बैठती हैं जब सरकारी काम टाइट रहता है और सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलता है कि वह अपनी भावनायें व्यक्त कर सकें। तो हाउस आफ कामन्स और लोक सभा की बैठकों के बारे में देखकर नियम समिति ने यह प्रतिवेदन देन का प्रयास किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह विवाद कुछ ऐसा हो गया है कि यदि इस पर मत विभाजन हो तो ठीक नहीं होगा। आप भी नियम समिति उपाध्यक्ष हैं और सदन के सभी सदस्यों की भावनायें आपन सुन ली है तो नियमों में कोई बाधा नहीं है। आप पुनः नियम समिति को प्रतिवेदन वापस कर दें और जो विचार यहां व्यक्त किय गये हैं उन पर वह विचार कर लें। यदि सचमुच कोई ऐसी बात है कि 90 दिन करने से अगर कोई कठिनाई सरकार महसस करती है तो वह उस कठिनाई को नियम समिति को बतला द। तो आपके माध्यम से पांडेय जी से निवेदन करता हूं कि सदन की नियम समिति में पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स के मंत्री और सभी पक्ष के लोग रहते हैं तो उसमें इसको रक्खें जिससे मत विभाजन का प्रश्न न आवे। अगर आप पुनः इसको नियम समिति में भेज देंगे तो नियम समिति पुनः इस पर विचार कर लेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो बात कही है उस विषय में मैं यह बताना चाहता हूं कि एक बार हम लोगों ने पास किया, फिर आया, फिर गया। अब रास्ता कोई निकलता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मान्यवर, मैं अत्यन्त अनुग्रहीत हूं अपने मित्र बलबीर सिंह जी का और अन्य मित्रों का भी कि कोई नीयत खराब है मेरी ऐसा कोई आरोप उन्होंने नहीं लगाया। और मैं अपने मित्र कृष्णानन्द जी की राय से सहमत हूं कि यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें सरकारी पक्ष या गैर सरकारी पक्ष का कोई भेद या विभेद उत्पन्न करने की चेष्टा करें। मैं यह भी स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि 90 दिन सदन न बैठे ऐसी कोई बात मेरे मस्तिष्क में नहीं है बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत मेरे मस्तिष्क में यह है कि निश्चित रूप से सदन 90 दिन बैठे कम से कम। कारण क्या है जिसकी वजह से मैंने यह संशोधन रखा। मैं स्वयं उपस्थित था जिस दिन रामचन्द्र विकल जी ने 90 दिन की बात सदन में रखी थी। और यह भी सही है कि जब यह नियम समिति में आया तो इसके संबंध में वहां चर्चा हुई। मैं इसलिये इस चीज की चर्चा कर देना चाहता हूं कि प्रतिवेदन के पृष्ठ 16 पर यह अंकित है कि इसका जो वैधानिक रूप है वह एक कठिन परिधि के अन्तर्गत कैद है। यही नहीं, एक सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार का कोई निमय हमारी नियमवाली में लाया जा सकता है।

एक दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस नियम को इन्फोर्स किया जा सकता है वैधामिक रूप से। मेरे मित्रों ने चर्चा भी की थी, शर्मा साहब चले गये, कि इस प्रकार का नियम बनाने में कठिनाई क्या है। मैं निहायत अदब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके यह देख लें कि हमारे देश की किसी विधान सभा की नियमावली में इस प्रकार का नियम नहीं है। यद्यपि परिपाटी के अनुसार लोक सभा का एक निश्चित तिथि में अधिवेशन होता है, एक निश्चित तिथि में समाप्त होता है, निश्चित दिनों तक होता है, किन्तु यह नियम वहां की नियमावली में भी नहीं दिया जा सका। मैं आज जब कि इस चीज की चर्चा करना चाहता हूं तो यह बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि किसी की यह नियत नहीं है। और मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यदि जनतंत्र की परिपाटी सुपल्लवित हो, आने वाली पीढ़ियां उससे सुवासित हों और नयी-नयी परिपाटियों के अनुरूप हम लोग यदि जनतंत्र की परिपुष्टि कर सकें, इसमें यदि मेरे मित्रों की इच्छा है तो मैं उनसे भी किसी भी प्रकार से कम नहीं हूं।

लेकिन दो तीन कठिनाइयां उनके सामने रखना चाहता हूं। पहली कठिनाई तो यह है कि अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत राज्यपाल को यह अधिकार है कि जब चाहे सदन को सत्रावसान करे, जब चाहे सदन को आहूत करे। ऐसी हालत में यदि इस नियम को हम सम्मिलित कर लेते हैं तो उससे राज्यपाल के अधिकारों को हम निर्बन्ध नहीं रहने देते बल्कि उनको किसी प्रकार से हम बांधते हैं जो कि सदन के लिये संभव नहीं है। यही कारण है कि बावजूद इसके कि लोक सभा में इस प्रकार की परिपाटी है वह नियमों मे सम्मिलित नहीं किया गया। और यही कारण है कि सारे देश में भी इस प्रकार का नियम कहीं नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका। अनुच्छेद 208 में लिखा है कि "(1) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया के तथा अपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिये नियम बना सकेगा।"

अनुच्छेद 174 में है "राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधान मंडल के सदन को या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जैसा वह उचित समझे अधिवेशन के लिये आहूत करेगा किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक और अगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच 6 मास का अन्तर न होगा।"

अब मान्यवर, यह राज्यपाल का निश्चत अधिकार है कि वह जब चाहे सत्र को बुलाये, न चाहे न बुलाये। इसके अतिरिक्त राज्यपाल भी अनुच्छेद 163 व 164 के अन्तर्गत कार्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर। तो यह जो हमारे नियम हैं इसमें दो चीजों की ओर में ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो नियम 14 है " प्रत्येक वर्ष में सभा के कम से कम 3 अधिवशन अनिवार्यत: होंगे जो निम्नलिखित सारिणी के अनुसार साधारणत: होंगे " इसमें शब्द साधारणत: लिखा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

शब्द "अनिवार्यत:" के क्या मतलब हैं। उस पर आपको क्या एतराज है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

उसमें मुझे एतराज नहीं है। प्रश्न एतराज का नहीं है। मैं तो इसके विपरीत यह कहता हूं कि 90 दिन से भी अधिक होना चाहिये। प्रश्न यह है कि क्या नियम आप बना सकते हैं ? या परिपाटी द्वारा ही उसे कर सकते हैं। एक परिस्थिति और भी आ सकती है। राजनैतिक अस्थिरता अथवा अकाल अथवा भुखमरी आदि के कारण ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जब कि माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में रहना पसन्द करें और अधिवेशन न हो सके। वैसे आज राजनैतिक अस्थिरता नहीं है, लेकिन अन्य कारणों से भी कभी यह नौबत भी आ सकती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आपत्तिकाल में नियम तो सस्पेंड भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नियम की धारा के अन्तर्गत हम काट दिये जायेंगे। लेकिन जब तक नियम नहीं हो इस विधान सभा की बैठक 90 दिन करने का प्रयत्न ही नहीं किया जायेगा। इसलिये हम इस पर आग्रह करना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, मेरे मित्र ने बीच में टोका, ठीक किया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही नहीं है कि हम नियमों की तलवार की धार के नीचे बैठेंगे, पर जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो उन नियमों का निलम्बन मात्र ही तो एक उपाय है। जब सदन ही नहीं बैठेगा तो नियम का निलम्बन कौन करेगा ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

हाउस करेगा। जब सदन बैठेगा तो जो नियमों के विपरीत हो गया है उसको कन्डोन करेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

जब हाउस बैठेगा तभी तो करेगा, नहीं तो कैसे उसका निलम्बन करेगा।

श्री बलवीर सिंह--

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण मैं भी चाहता हूं। आचार्य जी ने संविधान के आर्टिकिल 174 का हवाला दिया है और उसके संदर्भ में यह कहा है कि नियम बन जाने से गवर्नर का जो अधिकार है प्रवोक और एडजर्न करने आदि का उस पर प्रतिबन्ध लग जाएगा। अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नर साहब स्वयं अपने आप सब काम करते हैं या वह यह सारे कार्य आन दि एडवाइस आफ दि चीफ मिनिस्टर करते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण अचार्य--

यह तो मैंने पहले ही कहा वह केवल आन दि ऐडवाइस आफ दि चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि मंत्रिमण्डल की सलाह से काम करते हैं। लेकिन यह उनका अधिकार है और कुछ चीज एसी हैं उनमें उनका अधिकार निर्बाध है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अगर इस संविधान सभा ने, इस विधान सभा ने मंत्रिमण्डल को यह आदेश दिया कि 3 सत्र करने हैं तो मन्त्रिमण्डल को भी वही राय देनी पड़ेगी गवर्नर महोदय को। इसलिए इसमें कोई कांफिलिक्ट नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

आचार्य जी ने कहा कि कभी युद्ध और अकाल की परिस्थिति हो सकती है जब हम बैठ नहीं सकते हैं। मैं यह भी कह सकता हूं कि क्या कोई ऐसी भी परिस्थिति है जब विधान मंडल अपना बजट भी न बनाए।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

वह मैंने परिस्थितियों का प्रश्न उठाया था। परिस्थितियां बहुत प्रकार की हो सकती हैं जब सदन आहूत न किया जाय। नेगी जी ने जिस चीज का जिक्र कर दिया...।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मैं तो यह आपको बताना चाहता हूं कि सूखा, अकाल आदि की विषम परिस्थितियों में विशेषकर के हाउस बुलाया जाता है कि प्रदेश की भीषण परिस्थिति पर सदन में विचार किया जाए, स्थिति पर चर्चा की जाए।

श्री जगन्नाथ खन्ना---

केवल एक परिस्थिति हो सकती है जब हाउस न बुलाया जाय। अर्थात् जब सरकार की स्थिति डांवाडोल हो और मुख्य मंत्री जी सदन को बुलाकर खतरा न लेना चाहें।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

नियम रहेगा तो सदन पर बैठने के लिये एक प्रकार की अनिवार्यता रहेगी और जब परि स्थितियां अनुकूल नहीं होंगी तो उस समय नियम सस्पेंड हो जाएगा। इसमें कौन सी आपत्ति जनक बात है।

श्री रियासत हुसैन---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, जब से इस विषय पर विकल जी प्रस्ताव लाये थे तब से आज तक इस विषय पर सभी पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है और प्रायः सभी सदस्य बोल चुके हैं। अतः इसके ऊपर क्लोजर मूव किया जाए।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यह सारे विचार या इन सारे विचारों का एक बड़ा हिस्सा नियम समिति के सामने आया था। नियम समिति में अध्यक्ष महोदय को यह बताया गया कि क्या ऐसा सम्भव है कि नियम बना दिया जाए और उनको इन्फोर्स न किया जा सके। मैं उनकी ही सम्मति को सदन के सामने पढ़कर सुनाए देता हूं---"यदि कोई नियम बनाया जाए, तो वह इन्फोर्स करने क लिये बनाया जाए। यह ठीक है। लेकिन कुछ नियम तो ऐस होते हैं और कुछ एस होते हैं जिनको एनफोस करन के लिय सदन उनके सहारे फोर्सफुली कह सकता है।" अर्थात् उनके मस्तिष्क में इस चीज का प्रश्न आया क्या इसको एक नियम बनाया जा सकता है। मैं कहना नहीं चाहता था यहां, मुझे आज कहना पड़ेगा, ऐडवोकेट जनरल और हमारे यहां के विधि वेत्ता लोग भी इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि यह नियम नहीं बनाया जा सकता। और उसका कारण 176, 163 और 164 है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अगर ऐडवोकेट जनरल ने फरमाया है तो ऐडवोकेट जनरल को बुलाया जाय उनकी राय ली जाय ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

वह तो अलग बात रही ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सदन किसी की राय से बंधा हुआ नहीं ह । जो विषय यहां उठेगा वह सदन का होगा । सदन का हिस्सा राज्यपाल भी हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

लेकिन सदन ऐडवोकेट जनरल की राय ले सकता ह ।

श्री उपाध्यक्ष---

लेकिन हमको जरूरत नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी----

आपको जरूरत न हो, सदन को हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको जरूरत होगी तो आप बात कर लीजियेगा । जो ऐडवोकेट जनरल या विधि-परामर्शी हैं उनकी बुद्धि व्याख्यात्मक होती है, हमारी बुद्धि सृजनात्मक है ।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

वह तो हमारी ताकत से ऐडवोकेट जनरल बनते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

आचार्य जी को सम्मति दें कि वह वापस ल ल ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैंने उस चीज की चर्चा किसी दूसरे कारण से नहीं की । इसका जो विधिसम्मत रूप ह, जो वैधानिक कठिनाइयां हैं उनको सदन के सामने रखा । एक चीज और है । यह सही है कि हमारा सदन "इज दि कोर्टस् आफ आल ऐंड इज दि सुप्रीम मोस्ट कोर्ट" और इस सदन के द्वारा जो कानून बनाये जाते हैं वह अन्तिम कानून होते हैं । यहां के जितने कानून हैं उनको कानूनों का एक ही रूप होता है वह स्टेटुटरी इंस्ट्रमेंट्स आफ दि रिपब्लिक आफ इंडिया है जो स्टटुटरी इंस्ट्रमेंट आफ दि रिपब्लिक आफ इंडिया हो यह बड़ी चीज होनी चाहिए । यदि किसी नियम में रिजिडिटी आ जाय, फ्लेक्सिबिलिटी समाप्त हो जाय तो निश्चित रूप से नियम का अंग नहीं बन सकता है । यह सदन विश्वास करे, मेरे शब्द अंकित होंगे, मेरी नीयत यह है, मैं कहता हूं कि साधारणतया अनिवार्य रूप से 90 सदन के सत्र बठने चाहिए । यही नहीं बल्कि मेरी इच्छा यह भी है कि तीन क बजाय चार सत्रों में बैठ सकें । मैं इन शब्दों के साथ इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को इसी रूप में ले और स्वीकार करें और किसी रूप में न लें न स्वीकार करें ।

श्री वंशीधर 'पाण्डेय—

मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें। इस पर वोटिंग का सवाल नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने प्रकारान्तर से एक व्यवस्था की ओर संकेत किया है और वह यह है कि राज्यपाल के अधिकारों को निर्बन्ध रखा जाए । मेरी और मेरी समिति की और अध्यक्ष की निर्भ्रान्ति एकाधिक बार व्यक्त राय यह है कि यह हम नहीं कह सकते कि छः महीने में एक बार भी सदन न बुलाया जाय। तो हम एक बार नहीं कह सकते हैं कि साल भर में एक बारबुलाया जायछः छः महीने के अन्दर बुलाया जाना यानी साल भर में दो बार बुलाया जाना यह संविधान सम्मत एक व्यवस्था है जिसको हम और राज्यपाल जो इस सदन के अंग है मानत ह ।

राज्यपाल एक एक्जिक्यूटिव हेड हैं और दूसरी तरफ इस धारा सभा के भी वह अंग हैं। जहां तक इ स प्रश्न को माननीय आचार्य जी ने उठाया तो नियम समिति में सभापति और विधि परामर्शियों की राय को हम लोगों न ओवररूल किया और हमने कहा कि यह हमारे अधिकारों का एक तरह से विस्तरण है और साथ ही साथ सुविधा भी हम देते हैं कि जो सदन की कार्यवाही यहां चले उसमें अधिकतम योगदान सस्दयों का रहे। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो आक्षेपयुक्त नहीं हो सकती है। मैंने इस सम्बन्ध में, समिति के प्रतिवेदन के संबन्ध में कहा। मैं भी उस समिति में हूं। इसको आप स्वीकार करें गुण और अवगुण देखकर। इस बात से आप प्रभावित न हों कि यहां यह बात कही थी। मान लीजिए यह संविधान के विपरीत है तो उत्तर प्रदेश में यह मामला कभी उठे कि जो नियमानुकूल निर्मित हमारी कोर्ट्स है—हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वे उस पर अपना निर्णय दें। वह निर्णय व्याख्यात्मक होगा लेकिन बाध्य होगा हम लोगों के लिये। लोक सभा समझती है कि इसे वह नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश अगुवागीरी कर सकता है जहां तक इस प्रश्न का सवाल है ।

श्री गोविन्द सिह नेगी—

व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में इस प्रकार हमारी एम्बरेसिंग पोजीशन हो जाती है...

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले सुन लें। एक परिपाटी है कि जो समितियों के प्रतिवेदन हैं वे जब आते हैं यहां तो एक दो बार लौट जाते हैं, लेकिन वे मान लिये जाते हैं और उन पर वोट नहीं होता। जितनी इस सदन की समितियां हैं उन समितियों के जो निर्णय हैं वे सदन के पटल पर रख दिए जाते हैं। अब अगर कोई उस पर संशोधन रखता है तो नियम समिति को फिर वह निर्दिष्ट हो जाता है और हम उस पर फिर विचार करते हैं और उसको हम फिर रख देते हैं। यह स्थिति इस विषय में एकाधिक बार रह चुकी है लेकिन बाध्य होकर हमको उस पर वोट लेना पड़ रहा है ।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

आपने उपाध्यक्ष महोदय बड़ी अच्छी बात कही। आपने इस विधान सभा को वह बात याद नहीं दिलाई जिसमें इस संघर्ष के इतिहास में उत्तर प्रदेश विधान सभा की कानूनी लड़ाई जजेज वर्सेस लजिस्लेचर में हो गयी थी। जनतन्त्र की जननी पार्लियामेंट जो नहीं कर पाई थी उसे इस विधान सभा ने कर दिखाया था और आचार्य जी को याद होगा लोक सभा के अध्यक्ष हुकुम सिह उस समय पीठासीन अधिकारी थे—वकील लोग मुझे माफ करेंगे—उस समय लोक सभा के स्पीकर को कहना पड़ता था कि जो वकील मेम्बर्स हैं वे जजों की तरफ बोल रहे हैं और शपथ उन्होंन ली है संविधान की तो क्या उनको दुबारा शपथ दिलाई

जायगी ? आप एटार्नी जनरल की राय पर अपनी ताकत काटते है । अगर यहां भी यह गड़बड़ी होने वाली है तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा इस चैलेंज को स्वीकार करे। चाहे देश की हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट इस नियम को टर्न डाउन कर दे लेकिन पहले से आप अपने अधिकारों के प्रति कछुआ बन कर अपना सर झुका लें। मैं समझता हूं कि यह एक अपमानजनक बात होगी इसलिये मैं अंतिम रूप से अनुरोध करता हूं कि आप इसे वापस कर लें और सदन को उसकी मर्यादा के अनुरूप रहने दें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं आचार्य जी से अपील करता हूं कि वे मान जायं और इसे दुबारा नियम समिति में भेज दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मामला सदन के संचालन के बारे में है। सभी माननीय सदस्यों की निभ्रांत राय है, उसका यह तकाजा है। दूसरे मैं इस विधान सभा को अपने प्रस्ताव के विपरीत जाने देने के सहज लोभ संवरण की स्थिति में नहीं हूं। सवाल यह है कि आपने प्रस्ताव दुबारा पेश किया है। यह चीज अच्छी नहीं होगी कि इस पर मैं वोट लूं। सभी समितियों के जो प्रतिवेदन होते हैं वे सभी सदन के पटल पर रखे जाते हैं और मान लिये जाते हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हों उनके निर्णय हटने का मतलब ही कुछ और हो सकता है ।

(मेजें थपथपाई गई)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह तो आपने बड़ी अच्छी बात कह दी ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि.....।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यदि आप नहीं चाहते तो मैं निवेदन करूंगा कि आज के स्थान पर किसी दूसरे दिन इस पर सदन में चर्चा हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

बहस नहीं होगी। इस पर माननीय अध्यक्ष ने अपनी राय दी है। मैंने भी नियम समिति में योगदान दिया है और अपने विचारों को बदलने की मुझे आदत नहीं है।

(मेजें थपथपाई गई)

इस पर वोट लेने का प्रश्न यदि होगा तो बात ही दूसरी हो जायेगी। मुझे भी वोट देना पड़ेगा। लोकतन्त्र का तकाजा बहुत बड़ा है। हम लोगों को फिर से सोचना पड़ेगा। यह हो सकता है कि आपकी भावनाओं का आदर करते हुए आपको भी नियम समिति मे बुला देंगे उसमे आप निर्दिष्ट कर लें ।

श्री वंशीधर पाण्डेय—

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में पूरा विश्वास प्रकट करते हुए यह सदन आचार्य जी के प्रस्ताव को रद्द करता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी माननीय कृष्णानन्द जी की भी यही राय थी कि हमको नियम 251 स्थगित करना पड़ेगा, तब वह निर्दिष्ट होगा।

श्री बलवीर सिंह---

मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको तो अपने विचार बदलने की तो आदत नहीं है लेकिन आचार्य जी की तो है, वे इसे वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आचार्य जी से कह रहा हूं कि इसमें मुझे भी वोट देना पड़ेगा। इस समय प्रश्न यह है कि नियम 251 को निलंबित करते हुए यह प्रश्न नियम समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जिसमें माननीय आचार्य जी को भी बुलाकर उनकी राय ले ली जाय। इसमें किसी को आपत्ति है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गई)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मान्यवर नियम समिति (1971-72) का प्रथम प्रतिवेदन में जो प्रस्तावित या प्रस्तुत नियम 216 (4) है वह इस प्रकार है:---"(4) प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के उपरांत किन्तु उपस्थिति की तिथि से 15 दिन के भीतर मांग किये जाने पर अध्यक्ष यदि उचित समझें तो उस दिन प्रतिवेदन पर विचार के लिये समय नियत करेंगे। सदन के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिये जायेंगे।"

मान्यवर, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि नियम 216 के प्रस्तावित उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(4) प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के उपरांत किन्तु उपस्थित किये जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर प्रतिवेदन में उल्लिखित किसी ऐसे विशेष मामले पर जिसमें सरकार और समिति के बीच मौलिक मतभेद हो किसी सदस्य द्वारा चर्चा की मांग किये जाने पर अध्यक्ष यदि उचित समझें तो उस विषय पर चर्चा के लिये समय नियत कर सकेंगे। सदन के समक्ष ऐसी चर्चा के लिये न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिये जायेंगे।"

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसको रूल आउट करता हूं। नियमावली में सरकार का नाम नहीं आया है। सरकार और प्रतिपक्ष का कोई मामला नहीं है यह सदन का मामला है। आपने लिखा है "ऐसे विशेष मामले पर जिसमें सरकार और समिति के बीच मौलिक मतभेद हो।" तो नियमावली में सरकार और प्रतिपक्ष का कहीं जिक्र नहीं है इसलिये मैं इसको रूल आउट करता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मेरी बात जरा सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष---

हमें समझा दीजियेगा नियम समिति में आपको भी बुला लेंगे।

जो नियम हमारा सदन आपको समर्पित करता है और जिसको आप स्वीकार करते हैं सदन में, उसमें कहीं भी सरकार या प्रतिपक्ष का नाम नहीं है, केवल सदन है। सदन का नेता मुख्य मन्त्री हैं इसलिये कि वह सदन का नेता हैं इसलिय नहीं कि वह

मुख्य मन्त्री हैं इसलिये सदन का नेता है। इसीलिये में समझता हूं कि इसमें कोई औचित्य नहीं है कि इसको रखा जाय, इसके बिना भी काम चल जायगा। क्योंकि आखिर में बहुत अधिकार आपने जजों को दिया है, वैसे यह काम तो हम लोग कर सकते हैं। आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आप चाहत हैं तो आप सब लोगों की राय ली जायगी और विचार करके अध्यक्ष अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए इसका निष्पादन करेंग।

## इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973†

बन उप मन्त्री (श्री गुलाब सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

यह बहुत छोटा सा संशोधन विधयक है। मेरी ऐसी उम्मीद है कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करगे।

श्री बंशीधर पांडय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मरी समझ म यह बात नहीं आयी कि इसकी आवश्यकता क्या है, और इसकी क्या अर्जेंसी ह उसक बार में एक अक्षर भी माननीय मंत्री जी न न तो कहा और न कछ पढ़कर सुनाया।

*श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, म आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं:—

"इंडियन फारस्ट (उत्तर प्रदश संशोधन) विधेयक, 1973 को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवदन एक माह म दे दे और जिस विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।"

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी न जैसा कि माननीय बंशीधर पांडेय जी ने कहा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, मगर इसके उद्देश्य और कारणों में बतलाया है, उसे आप देखें उसका कारण कवल यह हो सकता है कि यह सरकार बराबर जल्दीबाजी करती रही ह। कभी हाईकोर्ट के एक जज न, कभी वहां की बच ने और कभी हाईकोर्ट के संम्पूर्ण न्यायाधीशों न बह कानून रद्द किया है ....।

इस जल्दबाजी और असावधानी के कारण 23-11-65 को आज्ञा निकली कि जज पुनर्निरीक्षण कर सकते ह लेकिन इसम जजों को उन्होंन अधिकार दिया 18 (4) में। में पहली बार 6-1-70 को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने उनकी आज्ञा को रद्द कर दिया। उसक बाद सूबदार दिलीप सिंह का मामला आया और उन्होंने उस फैसले के खिलाफ अपील की और इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के सार जजों ने, उनकी पूरी बेंच ने उनके द्वारा बनाय गये कानून को रद्द कर दिया। बार-बार जजों के द्वारा सदन के बनाये गये नियमों को रद्द किया जाता है। इस तरह से सदन का भी अवमान होता है और उसके कारण प्रदश भर में हमारी बड़ी हंसी होती है कि सरकार कानून बनाती है और जज उसको रद्द करत हैं। 23-11-60 से 22-11-65 के बीच जो संशोधन आये है उनकी इस दिशा को विचार करके ही मने यह संशोधन रखा है कि 65 से मार्च 72 तक बराबर जो संशोधन

---

* बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† 7 मार्च, 1973 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री राम गोपाल सन्ड]

आप लाये हैं उसे कोर्ट रद्द कर रहे हैं इस वास्ते आप इसे प्रवर समिति में भेजें, जहां पर कानून के विशेषज्ञ वकील विधायक हों और वहां पर वह गम्भीरतापूर्वक विचार करें और ऐसा रास्ता निकालें कि फुल बैंच, डिवीजन बैंच या कोई जज कानून को इस तरह से रद्द न कर सकें इसलिये मेरी प्राथना है कि इस विधेयक को प्रवर समित मे भेजा जाय।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, अच्छा तो यह था कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक पर शुरू में थोड़ा सा प्रकाश डालते लेकिन मंत्री जी ने हमें नहीं मालूम क्यों उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। मुझे ऐसा लगता है कि क्या उन्होंने स्वयं इसे पढ़ा भी है या नहीं। जो इसके उद्देश्य और कारण दिये गये है उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि पाईकोर्ट में कई बार इंडियन फ.रेस्ट ऐक्ट की धाराओं को चुनौती दी गई और विशेषकर अपील और रिव्यू का जो अध्याय थ। और उसकी जो धारा 18 आदि है कि राज्य सरकार का उसमें अधिकार है या नहीं, इस बात पर निर्णय हाईकोर्ट के इनके खिलाफ हुए सन् 65 में। जो विपरीत निर्णय हुए, ह उनके विषय में ही इस विधेयक के माध्यम से ठीक करने का प्रयत्न किया जा रह है। मैं निवेदन करूंगा पहले कि इस विधेयक में नियमत: वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये। लेकिन इस विधेयक में वह नहीं है। वह इन्हें देना चाहिए था और बताते कि इससे कोई अतिरिक्त भार पड़ेगा या नहीं। भार पड़े या न पड़े दोनों स्थितियों में सरकार को विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन देना चाहिए था। इस तरह से यह बिधेयक अपूर्ण है। मैंने इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक समझा। आप इस पर अपना निर्णय दे दें तो मै आगे चलूं।

श्री उपाध्यक्ष--

जहां खर्च अन्तर्निहित है वहां तो वित्तीय ज्ञापन आयेगा, आप यह बतायें कि इसमें व्यय किस तरह से अन्तर्ग्रस्त है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

यही तो मैं कह रहा हूं। अगर व्यय नहीं होगा तो मंत्री जी बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

नियमावली के नियम 118 में दिया है कि जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो। तो यहां पर कोई व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

श्रीमन्, यही तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर वे विधेयक में अन्तर्ग्रस्त समझते तो अवश्य लगाते।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

इससे व्यय बढ़ जायेगा। धारा 18 के बारे में, याचिका के बारे में जो अदालत का निर्णय हो चुका था, श्री रघुनाथ सिंह के मामले में,...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यें भी वह कह रहे है कि इसमें वित्तीय ज्ञापन नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं यही कह रहा था कि श्री रघुनाथ सिंह के मामले में जिसका उल्लेख इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में किया गया है, कहा गया है कि राज्य सरकार को केवल धारा 22 के अधीन प्रबन्ध का पुनरीक्षण करने की शक्ति है और उसे धारा 18 (4) के अधीन कतई अनाश्रित शक्ति नहीं है। अदालत का निर्णय हो चुका है। हमारे यहां जनतांत्रिक प्रणाली है । उसमें अदालतों के निर्णय का मूल्य होना चाहिए। पहली ही धारा 22 (ए) को ले रहे हैं। जो निर्णय 18 (बी) के अन्तर्गत हुआ है और जिसको हाईकोर्ट ने इल्लीगल करार दिया है, उसको सही माना जाय ।

व्यय के सम्बन्ध में, मै चाहता था कि मंत्री जी स्पष्ट कर दें । लेकिन उन्होंने बताया नहीं ।

एक कोर्ट का निर्णय हो चुका है कि धारा 22 के अन्तर्गत पुनरीक्षण करने की शक्ति सरकार को है। मंत्री जी संशोधन यह ला रहे हैं कि हाईकोर्ट का निर्णय भले ही हुआ हो लेकिन इसको भी वैध करार करवा रहे हैं। जो भी 22 (3) (क) के अन्तर्गत निर्णय होगा, उनका फिर पुनरीक्षण होगा ।

आपने यह कहा कि 60 या 65 में अगर हाई कोर्ट में मेरिट में नहीं है, तो फिर ओपेन नहीं होगा। लेकिन इस विधेयक में यह कहते हैं कि अगर इस बुनियाद पर खारिज हो गया कि जहां 18 में अधिकार था या 22 में अधिकार था और इस पर याचिका खारिज हो गयी है तो फिर ओपेन हो सकता है। अब इसके साथ दो ही मकसद हैं। आप स्थिति का ख्याल करें। मैं समझता हूं कि वह कोर्ट की सीमा के भीतर है कि नहीं, यह भी एक मेरिट है। कोई अपील याचिका या रिट, वह समय के भीतर है कि नहीं, यह भी स्थिति, श्रीमन्, मेरिट का है। वह निर्णय अदालत के भीतर है कि नहीं। मान्यवर, ये तमाम बातें उसमें हैं। अगर किसी अदालत ने यह कहकर कि राज्य सरकार को क्षेत्राधिकार के बाहर का, इस प्रकार का निणय दे दिया 65 और 60 के मद में तो आप कहते हैं कि फिर ओपेन होगा फिर सुनवाई होगी। अब ऐसे कितने केसेज होंगे। मेरा निश्चित मत है कि सरकार की इसमें कोई न कोई चाल है और वह जनहित में नहीं है। किसी न किसी 1–2 आदमियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्राधिकार को लेकर कितनी याचिकायें खारिज की गयीं हैं अदालत में ।

आपको ज्ञान नहीं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं । आप इससे अनभिज्ञ हैं । अगर मंत्री जी उठकर बता दें तो हो सकता है कि हमारी शंका दूर हो जाय। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं की कपील खारिज हुई क्षेत्राधिकार के सवाल को लेकर । अब जो ओपेन करेंगे तो बड़े विवाद उत्पन्न होंगे । अपील कैसे होगी। उसकी मियाद होती है। कोर्ट इस विधेयक के द्वारा सी० पी० सी० की जो प्रक्रियायें हैं, उन प्रक्रियाओं को समाप्त कर नहीं सकते इस संशोधन के द्वारा और जो इस संशोधन के द्वारा उन प्रक्रियाओं को समाप्त नहीं कर सकत तो प्रक्रिया लागू होगी अपील और रिव्यू में। अपील और रिव्यू में जब वह लागू होगी, तो फिर टाइम–लिमिट का सवाल आयेगा और समस्या हल नहीं होगी। फिर एक की जगह पर अनेकों अपीलें होंगीं और रिव्यू होंगीं और जनता का पैसा बेकार खर्च करने जा रहे हैं। इसको लाने से कोई फायदा है नहीं आपने कहा कि 65 के बाद कोई याचिका ही नहीं दी जा सकती ।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रियासत हुसैन पीठासीन हुए । )

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

अब इस संशोधन की क्या आवश्यकता पड़ गई क्योंकि याचिका तो आप ले नहीं सकते। इसमें कौन सा जनहित का प्रश्न सन्निहित है। ऐसी मुझे कई शंकायें हैं। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपने अपनी गलती देखकर चुप्पी साध लीहै और इस कारण मुझे कई शंकायें और भी बढ़ती जा रही हैं। आप से इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी लम्बी बहस न होकर आप इस विधेयक पर प्रकाश डाल दें तो हम लोगों को कुछ जानकारी हो सके और हम अपनी शंकायें दूर कर आपको सुझाव दे सकें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण हैं उनको पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सन् 1927 के ऐक्ट में पहले यह प्राविधान था कि राज्य सरकार ही रिवीजन कर सकेगी। 18 (4) के अन्तर्गत 1 उसके बाद राज्य सरकार के इस अधिकार को छीन लिया गया और फिर इसमें राज्य सरकार ने पुनरीक्षण करने का अधिकार जजेज को द दिया। अब इस समय.....

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। नियमावली के नियम 119 तथा 125 को देखने का कष्ट करें। नियम 119 में यह है कि जो विधेयक होगा उसका एक ज्ञापन होगा। चूंकि इस विधेयक में विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित की जा रही है, इसलिये इसमें व्याख्यात्मक टिप्पणी देने की आवश्यकता है। दूसरा निवेदन यह है हुजूर से.....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादन)—

क्या हुजूर सम्बोधन चल सकता है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अगर आपको यह पसन्द है तो मैं उसके खिलाफ नही हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मान ीय कल्पनाथ सिंह जी कहने दें, क्या बात कहना चाहते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

नियम 126 में जाना बे वाला.....

(हंसी)

एक सदस्य—

आपको खश करने के लिये ऐसा कह रहे हैं अधिष्ठाता महोदय.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी कोई वकील नहीं हैं। वैसे ही कह रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

125 में यह है कि विधेयक के पुर: स्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेगें कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों सदन के पटल पर रख दी जाय। तो मैं यह मांग कर रहा हूं कि विधेयक जिन-जिन फैसलों पर आधारित है वह सभी फैसले सदन के पटल पर रखे जायं ताकि उसके पढ़ने के बाद

इस विधेयक पर विचार कर सके इस नियम के अन्तर्गत आप से यह प्रार्थना करूंगा कि इस मामले में आप अपनी व्यवस्था दें। पहली चीज तो यह है कि यह विधेयक अपूर्ण है क्योंकि इसमें ज्ञापन नहीं है और दूसरे में यह मांग कर रहा हूं कि इससे संबंधित जो कागजात हैं वह सदन के पटल पर रखे जायं।

श्री अधिष्ठाता—

इस संशोधन को माननीय मंत्री जी ने रखा है यह सब कोर्टस के प्रिस्टेड जजमेन्टस पर आधारित हैं, इसीलिये अब यह डिबेट चल रही है.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप निर्णय देने से पहले सुन ले। मैं इस आपत्ति का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

जो आपत्ति उठायी गयी है उसके लिये यह उचित समय नहीं है। अब यह सदन के सामने प्रस्तुत है और बहस हो रही है। प्रवर समिति को भेजने के बारे में बहस हो रही है। पूरे सदन को अख्तियार है कि इस प्रस्ताव को जो चल रहा है उससे उसे स्वीकृत करे या अस्वीकृत करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अगर कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर आता है तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—

यह प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। चर्चा को बीच में रोकने के प्रयास को प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं कह सकते।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह इसलिये पाइन्ट आफ आर्डर है कि आपको यह डिसाइड करना है कि यह चर्चा हो सकती है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

अब माननीय सदन के अन्दर चर्चा शुरू हो गयी तो वह सारी चीज निकल चुकी है। दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं और माननीय त्रिवेणी सहाय बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

कृपा करके ऐसी व्यवस्था न दें कि प्वाइन्ट आफ आर्डर बीच में न उठाया जा सके।

श्री अधिष्ठाता—

जब आपका नम्बर आये तो आप सब कुछ कह सकते हैं।

* श्री त्रिवेणी सहाय—

1927 के सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 के अन्तर्गत यह प्राविधान था कि राज्य सरकार बन्दोबस्त अधिकारी के आदेशों का पुनरीक्षण कर सकती थी लेकिन जब रघुनाथ सिंह का मामला आया तो हाई कोर्ट न कह दिया कि उसे अधिकार नहीं है। केवल सेक्शन 22 म जहां प्रबन्ध का मामला है वही देख सकती है। जबसे यह निर्णय हुआ तब से राज्य सरकार को रिवीजन का अधिकार छिन गया। उसके बाद जजेज के पास गये। वहां हार गये। फल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

बेन्च में गये तो वहां भी अगेन्स्ट में निर्णय हुआ। अब आप चाहते हैं कि 60–65 तक के मामले हैं उनमें पुनरीक्षण करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाय। स्थिति यह है कि जब रिवीजन करने का अधिकार था तो कोर्ट में चैलेन्ज हो गया और आपको रोक दिया। अब है।

पहली बात यह है कि जिन केसेज का हवाला दिया है तो शायद मंत्री जी ने नहीं समझा होगा। एक लाइन इसके आखिर में है कि "परन्तु फुल बेन्च के निर्णय से डिवीजन बेन्च के उक्त निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्न हुई कठिनाइयां पूरी तरह से दूर नहीं होतीहै"। उन कठिनाइयों को दिखलाना चाहिये था कि कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न हो गयीं जिनके कारण आप यह चाहते हैं। आपने अपने भाषण में उनका जिक्र नहीं किया। तीन-चार बार इसी निर्णय पर हाई कोर्ट की फुल बेंच का निर्णय हो चुका है। ऐसा न हो कि आप यह अधिकार ले लें और फिर हाई कोर्ट में चैलेन्ज हो जाय। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि प्रवर समिति में इसको भेजें और वहां इस पर विचार होने के बाद ही कोई अधिकार आप प्राप्त करें।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय त्रिवेणी सहाय जी तथ्य निवेदन कर रहे थे, लेकिन शायद अपने तर्क को मजबूत करने के लिये सारे तथ्यो को निवेदन नहीं कर रहे थे। उन्होंने यह बात तो बतायी कि सन् 1927 के ऐक्ट के अन्तर्गत यह पावर राज्य सरकार के पास थी कि वह बंदोबस्त अधिकारियों के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षित कर सकती थी। सन् 1965 तक वह स्थिति चली। रघुनाथ सिंह के मुकदमें में हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि राज्य सरकार को असीमित पावर नहीं है कि वह हर चीज का पुनरीक्षण कर सकती है बल्कि प्रबन्ध के मामले में पुनरीक्षण कर सकती है।

उसके बाद सूबेदार सिंह के केस में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया कि सन् 1965 में रघुनाथ सिंह के मुकदमें में जो निर्णय हुआ था वह गलत था। तो सन् 1972 में यह फैसला हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि पुनः सरकार उस स्थिति पर पहुंच गयी जो सरकार के पास सन् 1965 के पहले पावर थी। माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर देंग कि सन् 1972 के उच्च न्यायालय के फसले के बाद सरकार को यह नैतिक आधार मिल जाता है कि वह इस संशोधन को ले आवे। आप यह नहीं कह सकते कि न्यायालय के अधिकारों का हनन हो रहा है या न्यायालयों के अधिकारों को ओवररूल करने के लिय राज्य सरकार यह चीज ला रही है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

सन् 1961 में हुआ है, सन् 1965 में नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय—

तो वह स्थिति 4–5 वर्ष तक चली। सन् 1972 में सूबेदार सिंह वाले मामले में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह फैसला दे दिया कि रघुनाथ सिंह के केस में दिया निर्णय गलत था। तो राज्य सरकार को पुनः वह अधिकार प्राप्त हो गया। अतः इस संशोधन को लाने का राज्य सरकार को नैतिक अधिकार प्राप्त हो गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

अगर सन् 1972 में रघुनाथ सिंह वाले केस में दिया गया फैसला ओवररूल हो गया तो फिर यह संशोधन क्यों आया ?

श्री कृष्णानन्द राय--

वह अधिकार तो प्राप्त हो गया लेकिन 4-5 वर्ष के अन्तर्गत मुकदमें जमा होते चले गये जो जजेज के यहां, ट्रिब्यूनल में या राज्य सरकार के यहां रेफर हुये। क्योंकि जूरिस्डिक्शन प्राप्त नहीं है, इसलिये वे पैंडिग पड़ गये। इस स्टेट में बीसों-पचासों मामले हुये है जो रघुनाथ सिंह केस के फैसले की वजह से पेंडिग पड़ गये। उनको फिर कैसे ओपेन किया जाय क्योंकि वे सन् 1965 के फैसले की वजह से पैंडिग हो गये थे। इसलिये विधान सभा को यह करना पड़ रहा है। और इस संशोधन के माध्यम से सन 1972 के मामलों में फुल बेंच के जो आदेश हुये हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, अभी माननीय कृष्णानन्द राय जी कह रहे थे सन् 72 में जो फुल बेंच के फैसले हुए हैं उससे रघुनाथ सिंह वाला केस निरस्त हो गया है। जो मामले पेंडिग है उनको डिसाइड करने के लिये ही यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब फुल बेंच था यह फैसला हो गया उसके मातहत जो अधिकार हम लेने जा रहें हैं उससे हम पेंडिग केसेज ही डिसाइड करेंगे तब अब जब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही फैसले करेंगे तब फिर अमेंडमेंट लो की क्या जरुरत है। अगर रघुनाथ सिंह वाला केस हट गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो नयी स्थापनायें दी हैं उन्हीं के आधार पर डिसाइड करेंगे तब फिर नया अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि पहले भी हमारे कानून हाईकोर्ट अल्ट्रावायरस डिक्लेयर कर चुकी है और अगर आप इस तरीके से बिल को पास करेंगे तब तो हो सकता है कि फिर से हाई कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करेंगे। अभी माननीय कल्पनाथ सिंह ने नियम 119 का हवाला दिया है। उसके अन्दर जो विधेयक विधायिनी शक्ति का प्रत्यायोजन करेगा इसके लिये इसके साथ कोई व्याख्यात्मक विज्ञापन नहीं है। इस के साथ ही नियमों के अन्दर यह भी दिया गया है कि अगर किसी स्दस्तावेज के आधार पर कोई विधेयक लाया जाता है तो सदस्यों को अधिकार है कि इस बात की मांग करें कि वे दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जावें, यह अधिकार है। इस सदन के अन्दर इस प्रकार की मांग उठायी जा चुकी है लेकिन उन तमाम जजमेंटस के आधार पर संशोधन लाने की कोशिश की जा रही हैं, हमारी मांग है कि उनको सदन के पटल पर रखा जावें। सरकार माननीय सदस्यों को इस अधिकार से महरूम करने जा रही है।

वित्तीय ज्ञापन के बारे में तो बहुत स्पष्ट नहीं हूं क्योंकि वह शक्ति पहले से सरदार के पास थी, वह ज्ञापन होना चाहिये या नहीं लेकिन दो चीजों के बारे में यानी एक तो डेलीगेशन हो रहा है पावर्स का दूसरे वह डाकूमेंट्स जिनके आधार पर यह नया संशोधन लाया जा रहा है और आप जिन्हे सदन की मेज पर नहीं रख रहे हैं और तीसरा विरोध इसलिये है कि रघुनाथ सिंह वाले मामले में फैसला हो गया तो फिर यह शक्ति जो सरकार लेना चाहती है सरकार अपने हाथों में कि 61 से लेकर 65 तक के मामलों को इतने दिनों के बाद अब उन सब गड़े मुर्दों को उखाड़ना चाहती है और उनको दोबारा खड़ा करना चाहती है। इससे आप दोबारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

लिटीगेशन के फ्रेडगेट्स को ओपेन करेंगे, जो अपने झगड़ों को रिकंसीलियेट कर चुके हैं आप दोबारा उन झगड़ों को खड़ा करना चाहते हैं इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस विधेयक को वापस लें ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

अधिष्ठाता महोदय, बात कुछ सीधी है लेकिन उसमें कम्प्लीकेशंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी विनम्रतापूर्वक आपके सम्मुख में यह निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कल्पनाथ सिंह जी बैठ जाइये, एक विधेयक पर बाकायदा बहस हो रही है । आप अपनी बात जब आपको मौका मिले कह लीजियेगा । इस माननीय सदन को पूरा अधिकार है कि वह उस विधेयक को मंजूर करे या न करे ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

जी नहीं, मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

जी नहीं, अब आप बैठिये । अब राजमंगल जी बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिये । यह तो हो नहीं सकता कि आप अपनी बात कहें क्योंकि वह आपकी पसन्द के मुताबिक है या नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

जी नहीं । यह मेरी पसन्द या आपकी पसन्द का सवाल नहीं है । सवाल कानून की पसन्द का है । जनाब जिस कुर्सी पर विराजमान है । जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसका भी मद्देनजर रखिये ।

श्री अधिष्ठाता--

जब विधेयक पर सदन में चर्चा हो रही है तो उस पर बोलने की कोई बात नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने एक सवाल खड़ा किया । उसके समर्थन में कुछ रूलिंग रखना चाहता हूं ।
उत्तर प्रदेश विधान सभा में.....

श्री अधिष्ठाता-

एक विषय पर जब यहां एक रूलिंग हो गई है तो उसको दुबारा जिन्दा करना ठीक नहीं है । आप तशरीफ रक्खें ।

श्री कल्पनाथ सिंह-

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपने भाषण में जो कुछ कहना हो कहिये । आपको उसमें पूरी छूट होगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

भाषण की बात नहीं है मैं व्यवस्था की बात पर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

एक निर्णय जब हो गया तो दुबारा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । आपका नम्बर जब आवेगा तो आपको समय दिया जावेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप जिस तरह से हाउस कन्डक्ट कर रहे हैं वह ठीक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं एक बात आपसे कह रहा हूं । एक विषय पर जब सदन में चर्चा हो रही है और उसपर पक्ष और विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, तो उसमें आपको पूरा अधिकार है कि जो चाहें कहें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उसक बीच में प्वाइन्ट आफ आर्डर उठ सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्वायन्ट आफ आर्डर उठाने से कोई फायदा नहीं है, सदन की कार्यवाही चलने दीजिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आपको प्वायन्ट आफ आर्डर सुनना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने कह दिया कि यह प्वायन्ट आफ आर्डर का प्रश्न नहीं है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

बिना सुने ही आपने कैसे कह दिया ।

श्री अधिष्ठाता--

जब एक विषय पर चर्चा हो रही है तो उसको चलने दीजिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

ऐसा आप दल की तरफ से कह रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। आप जब इस कुर्सी पर बैठते है तो इन्साफ करना चाहिय ।

श्री अधिष्ठाता--

मुझे यह आशा है कि आप जैसा तजुबेकार आदमी ऐसी बात नहीं कहेगा । जब एक निर्णय हो गया और सदन की कार्यवाही चल रही है तो दुबारा इस बात को उठा कर प्वायन्ट आफ आर्डर कह कर अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश न करें ।

(व्यवधान)

[श्री अधिष्ठाता]

मैं आपके प्वाइंट आफ आर्डर को नहीं मानता। इस समय प्वाइंट आफ आर्डर उठाने की अनुमति मैं नहीं देता।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपको प्वाइंट आफ आर्डर उठाने की अनुमति देनी पड़ेगी।

श्री अधिष्ठाता—

इस कुर्सी को पूरा अधिकार है कि आपको कोई प्वाइंट आफ आर्डर उठाने की इजाजत दे या न दे। (व्यवधान) मैंने स्पष्ट यह बात कही कि इस स्टेज पर कोई प्वाइंट आफ आर्डर उठाने की इजाजत आपकी नहीं दी जायगी। अपने भाषण में आपको जो कुछ कहना हो वह कह लीजियेगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

वह अपनी गाड़ी को अगर पहाड़ की चोटी से गिराने को तैयार हैं और कल्पनाथ सिंह जी कहते हैं कि खाई में मत गिरो तो उस वक्त आप यह आर्डर देंगे कि गाड़ी गिर जाने दो?

श्री अधिष्ठाता—

उसकी सजा यह भुगतेगें, आपको उसकी ज्यादा चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

आप पहले सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

सुनने का सवाल नहीं है। एक डिबेट हो रही है बाकायदा। उस प्रस्ताव के पक्ष में, विपक्ष में आप लोगों को अपने-अपने विचार प्रकट करने का पूरा-पूरा अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री हरिनाथ तिवारी—

पहले प्वाइंट आफ आर्डर सुन लें उसके बाद रिजेक्ट कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें प्वाइंट आफ आर्डर उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय—

विचार के बीच में भी प्वाइंट आफ आर्डर आ सकता है। तो उसको सुन करके फैसला कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

प्वाइंट आफ आर्डर का कोई औचित्य नहीं है लिहाजा आप लोग तशरीफ रखें और माननीय राजमंगल पांडेय को सुनें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर आप एक बार उस रूलिंग को सुन लें...

श्री अधिष्ठाता—

प्वाइंट आफ आर्डर के ऊपर कोई रूलिंग उठाने की आज्ञा मैं नहीं देता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपका निर्णय तो यह है कि दो और दो चार नहीं होते, मैं नहीं मानता।

श्री अधिष्ठाता—

एक रूलिंग यहां से हो चुकी है। यह निर्णय फाइनल है। आप अपने भाषण में जो भी तर्क देना चाहें वह दे सकते हैं, चाहे ट्वाइन्ट आफ आर्डर का तर्क हो चाहे कोई भी तर्क हो।

(व्यवधान)

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

कल्पनाथ सिंह जी द्वारा बिना प्वाइंट आफ आर्डर रखे हुये आपने किस आधार पर रिजेक्ट कर दिया ?

श्री अधिष्ठाता—

अगर यह आपका प्वाइंट आफ आर्डर है कि हाउस की कार्यवाही न चले तो दूसरी बात है।

(व्यवधान)

(इस समय 4 बजकर 26 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप जरा सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजमंगल पांडेय जी ने अपना भाषण आरम्भ कर दिया था। उनको बोल लेने दीजिये, उसके बाद आप कहियेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

ऐसा नहीं है। आप सुन तो लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पहले उनकी स्पीच समाप्त हो जाये, फिर मैं आपको समय दूंगा। आखिर कुछ सदन की मर्यादा भी तो रहने दीजिये। आप बाद में कह लें। मैं समय दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

प्वाइन्ट आफ आर्डर के लिये कोई समय नहीं होता।

श्री हिम्मत सिंह—

बाद में इसका महत्व ही समाप्त हो जायेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हो सकता है मेरे प्वाइन्ट आफ आर्डर के बाद उनको बोलने की नौबत ही न आये।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी राजमंगल पांडेय जी को बोलने दीजिये।

*श्री राजमंगल पांडेय——

माननीय, यह बहुत सीधा सा संशोधन विधेयक है। 23 नवम्बर, 1960 से 22 नवम्बर, 1965 तक एक डिवीजन बेंच के फैसले के कारण कम से कम 222 केसेज खारिज हो गये और उसके कारण वन विभाग की करीब 5,085 एकड़ भूमि जो वन विभाग को मिलनी थी निकल गयी। अब डिवीजन बेंच के गलत निर्णय के कारण सरकार की इतनी बड़ी जायदाद हाथ से निकल जाये इसको शायद माननीय सदस्य भी पसन्द नहीं करेंगे। और उस डिवीजन बेंच के निर्णय को तो फुल बेंच ने गलत भी घोषित कर दिया है। तो जो भूमि हमारी निकल गयी है उसको वापस लेने के लिये ही यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इस समय कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने से लाभ नहीं होगा यह कहना मुनासिब नहीं है। उस ओर के माननीय सदस्यों की दिलचस्पी भी इसमें होना चाहिये। पुनरीक्षण के माध्यम से यह ठीक हो सकता है। आपने कहा कि जब डिवीजन हमारे फेवर में हो गया तो पेंडिग केसेज अपने आप ठीक हो जायेंगे, ऐसी बात नहीं है। पेंडिग केसेज का ही सवाल नहीं है।

इस विधेयक के माध्यम से हम उस जमीन को वापस लेना चाहते हैं जो सरकार की है। अगर आप चाहते हैं कि उस भूमि को वापस न लिया जाय तो मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ेगा कि माननीय सदस्य अपने फर्ज को अच्छी तरह से अन्जाम नहीं दे रहे हैं। सदन कभी यह नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी जायदाद सरकार की चली जाय। तो यह बहुत सीधा सा विधेयक है। इसमें किसी विवाद की जरूरत नहीं है। सेक्शन 6 से लेकर सेक्सन 22 तक की धारायें उसमें थीं। फिर सेक्शन 22 में सरकार को अधिकार था। वह इंडिपेन्डेन्ट अथारिटी कर दे। लेकिन 18 (4) में कर दिया कि उसको इंडिपेन्डेन्ट अधिकार नहीं है पुनरीक्षण करने का। इसमें हमारी कोई बदनियती नहीं है। केवल यों ही जो जमीन खो जाती है उसको इस संशोधन द्वारा बचाने का प्रयास किया गया है, इसी हेतु इसे लाया गया है।

श्री हिम्मत सिंह——

यह जमीन कितने आदमियों के कब्जे में है ?

श्री राजमंगल पांडेय——

मैंने तो कह दिया कि 222 केसेज में है जिसमें 6,085 एकड़ जमीन निहित है। पेंडिग केसेज के बारे में लाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इसमें समय दे दिया गया है कि इस समय के मध्य की। इस बीज में जिनका फैसला हो चुका है उनके बारे में अधिकार लेना चाहते हैं। वह इतना बड़ा विवाद का विषय नहीं है इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है।

*श्री कल्पनाथ सिंह——

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं, जो नियमावली के नियम 125 से सम्बन्धित है और उसमें यह लिखा है कि "विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों सदन की मेज पर रख दी जायं।"

श्रीमन्, इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पृष्ठ 422 पर निर्णय संख्या 98 देखें, उसमें लिखा हुआ है——"27 अप्रैल, 1957 को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 1957 पर विचार के समय श्री रामस्वरूप वर्मा ने कुछ कागज़ात की मांग की जिनकी चर्चा राजस्व मंत्री ने अपने भाषण में किया था। श्री अधिष्ठाता ने निर्णय देते हुए कहा——"माननीय मंत्री जी ने जब यह प्रस्ताव पेश किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था कि इस पर विचार हो तो उन्होंने स्पष्टत: कई रूलिंग्स का हवाला दिया था। एक शायद पंजाब हाई कोर्ट की रूलिंग का और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग का तो नियम के अनुसार हर एक मेम्बर को यह अधिकार है कि जब यह प्रस्ताव पास हो जाय तो वह पेपर्स की मांग कर सकता है। माननीय मंत्री जो को इस बात का नोटिस हो गया है कि वे इस बात की व्यवस्था करें कि उन जजमेंटों की कापियां जिनकी बिना पर यहां वह यह संशोधन विधेयक लाये हैं, सदन की मेज पर रख दी जायं।"

श्रीमन्, उपरोक्त मैंने आपकी सेवा में पढ़ दिया। ये विधेयक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंटों पर आधारित हैं। इसलिए अध्यक्ष पद से दी गई महत्वपूर्ण निर्णय के सन्दर्भ में मैं यह मांग करता हूं कि विधेयक सम्बन्धी सारे कागजात सदन के पटल पर रखे जायं। इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मेरा अभी एक और प्वाइन्ट है। जो इसी अध्यक्षीय व्यवस्था में है जिसमें यह है कि अध्यक्ष किसी भी समय में, यदि कार्यवाई चल रही हो और वह नियमानकूल न हो तो उसे रोक सकता है। यह शक्ति श्रीमन, आप में है और उस सिलसिले में मैं अध्यक्षीय आसन से की गई एक व्यवस्था संख्या 171 पृष्ठ 453 का आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं, जो इस प्रकार है:—"उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1962 पर विचार के समय श्री कल्पनाथ सिंह ने एक संशोधन प्रस्तुत किया जिस पर माननीय सूचना मंत्री ने आपत्ति प्रस्तुत की। श्री अध्यक्ष ने 3-4-62 को नियम 139 की ओर ध्यान दिलाते हुए संशोधन पर आगे विचार करने की अनुमति नहीं दी आज इस विषय में अध्ययन करने पर मेरा ध्यान नियम 139 के प्रति आकृष्ट हुआ और उस नियम में यह प्राविहित है कि किसी विधेयक के खंडो या अनुसूचियों में संशोधन की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

(1) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा—"मेरा मतलब केवल इतना है कि किसी भी समय आप चाहें तो आप इस विधेयक को पास होने से रोक सकते हैं। जो नियमावली के अनुसार कार्यवाही नहीं हो रही है, उसको रोक सकते हैं, विधेयक पर चर्चा होने से रोक सकते हैं यह आप की शक्ति के अन्तर्गत है इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक उस नियम 125 के अन्तर्गत जो कागजात इस विधेयक से सम्बन्धित हैं न रख दिये जायं तब तक इस विधेयक पर विचार स्थगित कर दिया जाय।"

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन, मैं केवल इतना स्मरण दिलाना चाहता हूं जब कार्य-मत्रणा समिति की बैठक हो रही थी तो उस समय यही प्रश्न उठाया था। आपको भी याद होगा सरकार की तरफ से कहा गया था कि आज या कल तक सम्बन्धित जजमेंट की नकल दे दी जायगी तब हम लोग राजी हुए। लेकिन अब उन्होंने दिया नहीं। कार्य-मंत्रणा समिति में यह बात तय हुई थी। उस दिन पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर साहब और उनके साथ ला डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि आज या कल निश्चित रूप से दे देंगे। आप दिखवा लें। इसलिए मान्यवर, यह चलना नहीं चाहिए।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं भी उस वक्त मौजूद था जिसका जिक्र शास्त्री जी कर रहे थे। यह विधेयक हमारे सामने आया था। यह बात भी आयी थी कि इसकी चर्चा होगी। तो उस दिन कहा गया कि उसके पहल जो जजमेंट है उसकी कांपी हम को मिल जायगी। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि साइक्लोस्टाइल करके बांट दिया जाय। मैंने कहा था कि दो जजमट साइक्लोस्टाइल करके बांट दें ताकि हम उनको पढ़ कर स्पष्ट रूप से विचार प्रकट कर सकें। हमने कहा कि पिछल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

सत्र में निरन्तर नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस बार न होना चाहिए। आप प्रोसीडिंग्ज उठा कर देखें आपने भी कहा था या अध्यक्ष जी ने कहा कि हां हां, अब उल्लंघन नहीं होगा। मुझे स्मरण है कि नारायणदत्त जी तिवारी ने कहा था कि साइक्लोस्टाइल कापी सबके पास भेज दी जाय। आखिर किस का सहारा लिया जाय, जब सुबह, दोपहर, शाम नियम का उल्लंघन हो। मैंने तीन रोज पहले लिख कर भेजा, जो धार्मिक संस्थान की प्रायटीं डिस्सिपेशन का विधेयक आया, इस के बारे में तीन चार रोज पहले चिटठी भेजी थी। लाखों रुपये इसमें खर्च हुए। उस पर नहीं भेजा। किस का सहारा लेकर सरकारको मजबूर किया जाय कि हमको आवश्यक सामग्री मिल जाय जिससे हम स्पष्ट रूप से विचार व्यक्त कर सकें। मुझे अधिकार नहीं है कि दोषारोपण करूं, इतना कहना चाहूंगा कि कुर्सी की ढिलाई के कारण हमें यह कठिनाई और दुख बरदाश्त करना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—

"कुर्सी की ढिलाई" यह ऐसपर्शन (आक्षेप) है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं वापस ले लेता हूं। मैं किस शब्द का प्रयोग करूं मुझे रास्ता बता दें, अब आपसे बचन ले लिया जाता है, नियमों का पालन होगा, आपने बचन दिया, आपके सामने उन्होंने कहा . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष सुओमोटो (स्वमेव) कोई कार्यवाही नहीं करता। आपकोई बात बताते हैं. . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप सरकार को सबक सिखाने के लिए कार्यवाही रोक दें। आखिर क्या तरीका है? आखिर कैसे हो?

श्री उपाध्यक्ष—

जो बात आप कह रहे हैं हम मानते हैं कि सही है। मुझे स्मरण है कि माननीय नारायण-दत्त तिवारी ने साफ साफ कहा था कि मैं इन सबकी साइक्लोस्टाइल कापी दूंगा। यह सही है। लेकिन ढिलाई कहां हुई? किसको उस वक्त कहना चाहिए था? आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। यह रखा गया और आपकी तरफ से संशोधन रखा गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमने रख दिया लेकिन आपका क्या कर्तव्य है?

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा कर्तव्य यह नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपका कर्तव्य है कि आप देखें और नियम के अनुसार चलें।

श्री अध्यक्ष—

आपको पहले कहना चाहिये था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं इस समय कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रस्ताव रखा गया और आपने उस पर संशोधन रख दिया तो फिर सदन की अनुमति से ही वह वापस हो सकता है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप कार्यवाही स्थगित कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यह नहीं कर सकता। आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न रहें। जागरूकता के लिये स्वधीनता में सतत प्रयास होना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कोई चीज चुराये ले जा रहा हो और पुलिस कहे कि हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं करोगे तो चोरी कैसे रोकी जा सकती है, यह अजीब रूलिंग है। दुनिया में ऐसी रूलिंग कभी नहीं दी गयी होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात नहीं है। हम और आप नियमों से बंधे हैं। इस तरह से आप ज्यादती कर रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरे साथ तीन बार यह हुआ। कोई रेमेडी नहीं है तो मैं इसके प्रोटेस्ट में वाक आउट करता हूं।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्यागकर चले गये।]

श्री हरिनाथ तिवारी—

आप स्थगित कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन कर सकता है। मैं नहीं कर सकता।

श्री हरिनाथ तिवारी—

कुर्सी कर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष--

पीठासीन अधिकारी वह अधिकार ले जो सदन को है वह मैं नहीं करने जा रहा हूं। अब यह सदन के समक्ष है। जब रखा गया था तब आप कह सकते थे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने आपको नियम पढ़ कर सुनाया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप नियम बतलायें जिसमें पीठासीन अधिकारी ऐसा कर सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

रोक देने की शक्ति आप के समक्ष है।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन के समक्ष है जिसके सामने यह है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने सन् 62 की रूलिंग इसीलिये आपको पढ़ कर सुनाई।

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

ऐसा मालूम होता है कि बिजनेस एडवायरी कमेटी के सामने कोई निर्णय हुआ था। इसकी सूचना मेरे पास नहीं थी वर्ना मैं जजमेंट को सदन के पटल पर साइक्लोस्टाइल करके रखा देता ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी अफेयर्स के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है।

श्री रामधारी शास्त्री—

उनको अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूक होना चाहिये था। आप को अधिकार है कि अब आप इसको स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन जो चीज सदन के अधिकार में है उसको हम और आप कैसे रोक सकते हैं। वह सदन के समक्ष है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, आप नियम 125 देखें उसमें साफ साफ दिया हुआ है। इसे किसी दूसरे दिन के लिये पोस्टपोन कर दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप पीठासीन अधिकारी के लिये कहते हैं मान लिया आपने कोई चीज मांगी और कार्य-मन्त्रणा समिति में वह बात आयी। उस पर आपने संशोधन भी रख दिया जो कि प्रतिपक्ष की तरफ से हो.....

श्री रूपनाथ सिंह यादव–

आप इसे स्थगित कर दें। जैसा है वैसा ही रखा जायेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहित संकलन के पृष्ठ 453 देखें.....

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो भिन्न हो सकता है। यह प्रश्न सदन के सम्मुख है और यही अधिक लोकतांत्रिक बात है । यदि कोई पीठासीन अधिकारी अपनी शक्ति द्वारा मनमाने ढंग से जब चाहे उसे ले या न रखे तो यह ठीक नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, आपको वापस लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह अगर नियमानुकूल न हो तो उसे आउट आफ आर्डर कर सकता है पीठासीन अधिकारी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसको अस्वीकार कर दीजिये। मेरे पास कोई और चारा नहीं है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

आज यहां पर रोज की घटनायें ऐसी हो रही हैं। पार्लियामेन्टरी एफेयर्स के मन्त्री जो हैं वे रोज वायदा करते हैं और उसे निभाते नहीं हैं। अन्यथा यह सवाल पैदा नहीं होता। यह तो कोई बात नहीं हुई कि जिस वक्त बिल लाया गया था उस वक्त खड़े होकर कहते। उनको इस बात पर पिनाल्टी मिलनी चाहिये। वे धोखा देने के लिए ऐसी कार्यवाही करते हैं। अब पांच बजने वाले हैं और 15 मिनट रह गये हैं। अगर यह मामला आज स्थगित हो जाय तो कोई नुक्सान होने वाला नहीं है इसे सरकार कल भी पास करा सकती है यह मेरा आपसे निवेदन है। कभी अपोजिशन की भावना भी.....

श्री राम गोपाल संड—

मान्यवर, मेरा निश्चित मत है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये। पहले तो इसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर आप नहीं सुनते हैं और यह सरकार झूठ बोलने पर उतारू हो गई है, नियम तोड़ने पर उतारू हो गई है, बहानेबाजी करने में उतारू हो गई है जिससे कि इस सदन में सोलहों आने नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो इस मजबूरी में हम लोग 2 मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं?

[श्री कल्पनाथ सिंह अपने दल सहत सदन त्याग कर चले गये]

श्री बलवीर सिंह—

सरकार के इस तरह के बर्ताव के बिरोध में मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं

[श्री बलवीर सिंह ने अपने दल के सहित सदन का त्याग कर चले गये]

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन, प्रश्न सीधा-साधा था लेकिन बहस में इसको पेचीदा बना दिया गया। जो प्रवर समिति में भेजने के बारे में कहा गया तो यह कोई पालिसी का मैटर नहीं था जिसे कि सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि वे वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इन्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973 को सदन की एक प्रवर समिति की सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दे दे और जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, इसके विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

[श्री रूपनाथ सिंह यादव अपने दल के सहित सदन त्याग कर चले गये]

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973, जैसा कि वह विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## खण्ड 2, 3, 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

## इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 का अग्रेतर संशोधन करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

### विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

ऐक्ट संख्या 16, 1927 में नयी धारा 22–ए का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय और 23 नवम्बर, 1960 से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

अन्य मामलों में पुनरीक्षण करने की शक्ति

"22-ए—(1) धारा 22 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, या तो स्वयं अथवा तदर्थ याचिका दी जाने पर, धारा 18 के अधीन निर्णीत किसी अपील के अभिलेख मंगा सकती है, और ऐसी अपील पर दिये गये आदेश की पुष्टि कर सकती है, अथवा उसे रद्द कर सकती है, अथवा उसमें परिष्कार कर सकती है, अथवा ऐसे निदेशों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, मामला वन बन्दोबस्त अधिकारी के पास वापस भेज सकती है !

(2) 22 नवम्बर, 1965 के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई भी याचिका नहीं दी जा सकती, और उक्त दिनांक के पश्चात् राज्य सरकार इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती ।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

3—(1) 23 नवम्बर, 1960 और 22 नवम्बर, 1965 के बीच किसी समय राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी कोई याचिका, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 18 के अधीन अपील पर दिये गये आदेश के पुनरीक्षण की मांग हो, जब तक कि वह किसी प्रबन्ध के पुनरीक्षण के लिये उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन याचिका न हो, इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी उक्त अधिनियम की धारा 22–ए के अधीन दी गयी समझी जायगी ।

(2) प्रत्येक ऐसी याचिका, चाहे वह 23 नवम्बर, 1965 को राज्य सरकार के पास विचाराधीन हो अथवा उसके द्वारा उक्त दिनांक के पूर्व निर्णित की गई तात्पर्यित हो, राज्य सरकार द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायाधिकरण को

अभिदिष्ट की जायगी, और न्यायाधिकरण राज्य सरकार के निर्णय यदि कोई हो, की उपेक्षा करने के पश्चात् और पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पुनरीक्षणाधीन आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है, या उसमें परिष्कार कर सकता है अथवा ऐसे निदेशों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, मामला वन बन्दोबस्त अधिकारी के पास वापस भेज सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से ऐसी अपेक्षा की गयी नहीं समझी जायगी कि राज्य सरकार वन अधिकारी द्वारा दी गयी कोई याचिका, जिस पर राज्य सरकार आगे कार्यवाही करना उचित न समझे, न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट करे, और वन अधिकारी द्वारा दी गयी प्रत्येक याचिका, जो 23 नवम्बर, 1965 और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन महीने की समाप्ति के बीच इस प्रकार अभिदिष्ट न की जाय, अस्वीकृत की गयी समझी जायगी, भले ही राज्य सरकार का उस पर तात्पर्यित निर्णय कुछ भी हो ।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, प्रत्येक ऐसी याचिका, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1965 की धारा 16 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त मानी गयी शक्तियों के तात्पर्यित प्रयोग में न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किये जाने के लिये तात्पर्यित हों, इस धारा की उपधारा (2) के अधीन न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट की गयी समझी जायगी मानों कि इस अधिनियम के उपबन्ध अभिदेश के समय प्रभावी थे, तथा तद्नुसार:—

(क) जहां कि या तो न्यायाधिकरण ने स्वयं यह निर्णीत किया हो कि अभिदेश अक्षम है और तद्नुसार क्षेत्राधिकार का प्रयोग न किया हो, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा अनुच्छेद 227 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां इस आधार पर रद्द कर दी गयी हों कि याचिका, जो इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 की धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये तात्पर्यित थी, ग्राह्य न थी क्योंकि वह उस अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये थी, और इस प्रकार इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1965 की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन न्यायाधिकरण को अभिदेश नहीं किया जा सकता था, तब न्यायाधिकरण, अपने समक्ष इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन महीने के भीतर अथवा ऐसे अग्रेतर समय के भीतर जिसे न्यायाधिकरण पर्याप्त कारण दर्शित करने पर अनुज्ञात करे, प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, ऐसे किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार अभिदेश का निर्णय कर सकता है :

(ख) जहां कि न्यायाधिकरण ने उसे, मामले के गुणानुसार निर्णीत किया हो, वहां उसका निर्णय, मूल अधिनियम की धारा 22 के अधीन रहत हुए, वैध होगा तथा हमेशा से वैध समझा जायगा, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश उसके प्रतिकूल हो ।

स्पष्टीकरण:—पद 'न्यायाधिकरण' का तात्पर्य इण्डियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1965 की धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन संघटित न्यायाधिकरण से है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

एक श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोक सिंह, श्री शफीक अहमद खां, श्री असरार अहमद और श्री राम प्रसाद देशमुख का है—"बलिया जिले में शीत गृहों का चलना रुकने से किसानों की क्षति।" यह स्वीकार नहीं हुआ है।

एक श्री मोहन लाल कपूर का है—"माध्यमिक शिक्षा संघ तथा शिक्षा परिषद् के मध्य हुए निर्णय को पूरा न किये जाने से अध्यापकों में असन्तोष व्याप्त तथा परीक्षाओं का बहिष्कार" यह कवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

एक सर्वश्री राम बिलास पांडेय व बंशीधर पांडेय का है—"गाजीपुर के रेवतीपुर में प्रमुख के चुनाव के उपरान्त विभिन्न दलों में संघर्ष से असन्तोष और भय का वातावरण।" यह कैवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

एक श्री नित्यानन्द स्वामी का है—"चीनी मिलों के मजदूरों द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल से चीनी उद्योग को क्षति।"

यह आशंकित स्थिति है, इसलिये इसे अस्वीकार किया गया है।

एक श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का है—"सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कालेजों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाने से मरीजों तथा विद्यार्थियों में असन्तोष।"

इसके ऊपर ऐक्ट पास हो गया है और इस पर बहस भी हुई है। इसलिये यह अस्वीकार किया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यहां इससे कोई मतलब नहीं है कि ऐक्ट पास हुआ है या नहीं पास हुआ है। मेरा तो कहना यह है कि उन्होंने घोषणा की है कि 16 तारीख से अनिश्चित काल के लिये वे हड़ताल करने जा रहे हैं तो उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि चारों तरफ मरीज अलग परेशान हैं, विद्यार्थी अलग परेशान हैं, इस स्थिति का मुकाबला माननीय मन्त्री जी किस प्रकार से करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके लिये आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

इसके बाद एक श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी का है---"काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों की गिरफ्तारी से स्थिति विस्फोटक"।

यह भी अस्वीकार किया गया है।

एक सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, राम बिलास पांडेय और अमरनाथ दुबे का है---"शाहजहांपुर जिले के नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों को पुराने प्रधानों द्वारा आज तक अधिकारियों द्वारा चार्ज न दिलाये जाने के कारण जनतन्त्र का अपमान है।"

यह भी अस्वीकार किया गया है।

एक श्री रामकिशोर शुक्ल का है---"इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा तोड़फोड़।"

यह भी अस्वीकार किया गया है।

एक श्री राम गोपाल संड का है---"बोर्ड की परीक्षाओं का अध्यापकों द्वारा बहिष्कार करने से विस्फोटक स्थिति।"

यह भी नामन्जूर है।

एक है सर्वश्री अनन्तराम जायसवाल, सूर्यनाथ सिंह यादव, शिव प्रसाद पांडिया और रामधारी शास्त्री का है---"बिजली के अभाव से आलू गोदामों के शीत गृहों को क्षति।"

यह अस्वीकार है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव का है---"दिनांक 1-3-73 को इलाहाबाद में श्री चरण सिंह जी के सार्वजनिक सभा को भंग करने के प्रयास से जनता में क्षोभ।"

यह भी अस्वीकार है। इस पर आप प्रश्न कर लें

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, जिस तरह से जनता पर उस दिन घोर अत्याचार हुआ है उसको देखते हुए आप इसको मंजूर कर लें।

श्री उपाध्यक्ष---

एक है श्री गोविन्द सिंह नेगी का जो इस प्रकार है---"अवध बार असोसियेशन के वकीलों द्वारा मुख्य मन्त्री के निवास पर प्रदर्शन से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का पैदा होना।"

यह भी अस्वीकार किया गया है।

एक है सर्वश्री बांकेलाल और रामधारी शास्त्री का जो इस प्रकार है---"देवरिया में गेहूं की फसल पर कीड़ा लगने से जनता में हाहाकार।"

इसको मैं अविलम्ब कार्यवाही के लिये माननीय मन्त्री जी के पास भेज रहा हूं।

एक है सर्वश्री प्यारेलाल शर्मा, अनीसुर्रहमान शेरवानी, रामचरण त्रिपाठी और ईश्वर-दयाल त्यागी का जो इस प्रकार है---"दिनांक 16-3-73 को कालज के विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा मारपीट।"

यह भी अस्वीकार है।

एक है श्री हरिबंश सहाय का जो इस प्रकार है---

"इलाहाबाद विश्व विद्यालय के छात्रों द्वारा गिरफ्तारी से जनता में असन्तोष।"

यह भी अस्वीकार किया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैंने राशन की दुकानों पर गल्ले की कमी के विषय में दिया था और आप ने कहा था कि 52 में होगा तो जरूर स्वीकार कर लेंगे, पांडेय जी ने और शास्त्री जी ने सब ने कहा थ। । मैंने आज सुबह वह नियम 52 में दिया है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यह नियम 51 के बताये हैं, उस पर समय देंगे ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैंने एक माध्यमिक शिक्षक संघ के विषय में दिया था . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

उसके बारे में आप प्रश्न कर लें ।

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा तोड़फोड़ की स्थिति और वहां पर वाइस चांसलर न होने के विषय में दिया था नियम 51 में, उस पर आप वक्तव्य ही दिला दें . .

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

श्री रामगोपाल संड—

श्री मोहन लाल कपूर का जो नियम 51 का है माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ जो समझौता हुआ था वह तोड़ा गया है उसमें आप वक्तव्य करा दें . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न आप कर लें ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

एस0 डी0 डिग्री कालेज में विद्यार्थियों द्वारा मारपीट के विषय में हमने दिया था, वहां पर 60–70 लड़कों नें जान से मार दिया है एक व्यक्ति की और हत्या हुई है. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

हत्या हुई है तो उस की जांच होगी, अभी वक्तव्य नहीं ।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

काशी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो नियम 52 में दिया गया है, वहां स्थिति बहुत गम्भीर है, जिन्होंने आमरण अनशन किया था उन को घर से पकड़ कर जेल भेज दिया गया . . .

श्री उपाध्यक्ष—

वह अध्यक्ष महोदय करते हैं, वह चेम्बर में स्वीकार कर लेते हैं, हम ने तो अभी नियम 51 के सुनायें हैं ।

अब श्री बलबीर सिंह चर्चा आरम्भ करें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैंने नियम 51 का दिया है, पुराने प्रधान नये चुने गये प्रधानों को चार्ज नहीं दे रहे हैं, सरकार को रजिस्ट्रार को लिखकर भेज दिया गया है, इस से ज्यादा और गम्भीर स्थिति क्या हो सकती है कि यह सरकार और उसके अधिकारी उनको चार्ज न दिला सकें.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्पसूचित प्रश्न कर दें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

देवरिया जिले में गेहूं की फसल तैयार है लेकिन वहां एक नया कीड़ा उसमें लगा है जो तमाम फसल को तेजी से काट रहा है और इस भयंकर आक्रमण को रोकने में कृषि विभाग असफल है, कोई दवा का प्रबन्ध भी नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि इसके लिये कार्यवाही जरूरी है, वक्तव्य तो चार दिन में होगा, कार्यवाही उससे पहले हो जायगी।

श्री बंशीधर पांडेय—

सारे समाज में ही कीड़ा लग गया तो क्या होगा?

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मैंने जितने सवाल किये आपने उन सब को अस्वीकार कर दिया लेकिन उपाध्यक्ष जी आप समझ लें कि चुनाव आने वाले हैं आपने हमारा नियम 51 का एक भी स्वीकार नहीं किया है, पता नहीं आप फिर यहां आयेंगे या नहीं, हम तो आयेंगे लेकिन आप फिर इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, इसको आप नोट कर लें। देवरिया जिले में सारी गेहूं की फसल में कीड़ा लगने से किसानों में हाहाकार मचा है, कीड़ा सारी गेहूं की फसल खा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष—

आप ऐसे शब्द चेयर के लिये नहीं कह सकते.....

श्री बांके लाल—

आपने स्वीकार नहीं किया जो इतना आवश्यक था, आप को चिन्ता नहीं है। आप हमारे लिये वहां बैठने के लायक नहीं है, हम आप की यह हरकत सर्वदा याद रखेंगे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, इस तरह से आप नहीं कह सकते....(व्यवधान)

श्री बांके लाल—

आप अच्छी तरह से याद रखियेगा, यह कुर्सी आप को नसीब नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

बार बार इस तरह से नहीं कहना चाहिये चेयर के लिये, आप मर्यादाविहीन हो रहे हैं... आप बैठें।

आप बिल्कुल मर्यादाविहीन बोलते हैं इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री बांके लाल—

अगली बार आप चुनाव में जीत कर नहीं आयेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो आऊंगा नहीं लेकिन अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो सदन की सदस्यता से वंचित हो जायेंगे।

श्री बांके लाल—

आपने मेरे साथ बहुत घोर अन्याय किया है। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको चेतावनी देता हूं। आप बैठिये? (अत्यधिक शोर) पागल की तरह की बात करते हैं। आप मेम्बर की हैसियत नहीं जानते हैं?

श्री बांके लाल—

आपने मेरे सवालों को अस्वीकार किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप इस तरह से व्यवहार करते हैं तो मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं कि आपको सदस्यता से वंचित करने के लिये बाध्य हो जाना पड़ेगा।

श्री बांके लाल—

आप में तमीज नहीं है। आप हमेशा हमारे प्रश्नों को टालते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

आप जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं तो चुन कर नहीं आऊंगा आपके आशीर्वाद से लेकिन आप तुरन्त चले जायेंगे, हमेशा के लिये। कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अकारण ही एटमास्फियर गर्म हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी शान्त रहें और माननीय सदस्य भी।

## मेरठ में वकीलों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, इसके पहले कि मैं नियम 49 पर चर्चा करूं, आपसे प्रश्नों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं जिसका आपसे ही सम्बन्ध है। मैं बहुत से प्रश्न आपके यहां भेजता हूं और जैसा मैंने अभी एक प्रश्न भेजा था जिसका आशय यह है कि बिजली का उत्पादन कम हुआ है। मैंने सरकार से जानना चाहा था कि कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन कम हुआ है?

श्री उपाध्यक्ष—

आधे घंटे की चर्चा का समय है। यदि इसमें ही आप समय लगा देंगे तो फिर कम समय रह जायगा?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलवीर सिंह--

अगर यह प्रश्न एक ही तरह का होने के कारण अस्वीकार किया गया है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें मेरा भी नाम लिख दिया जाता। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में किसी अन्य माननीय सदस्य का सवाल नहीं होगा। बिना मिलाये हुए आपके कार्यालय में यह गड़बड़ी होती है और अक्सर ऐसा होता है।

मैं नियम 49 के अन्तर्गत जो मेरा प्रश्न है उस पर विचार आरम्भ करता हूं। मान्यवर, मैंने एक सवाल इस सदन में 12-1-73 को भेजा था। और मैंने जानना चाहा था कि 12-12-72 को मेरठ में वकीलों की बार एसोशिएशन के निश्चय के अनुसार सभी वकीलों ने हड़ताल की थी, यह वाकया है या नहीं और अगर है तो उनकी क्या मांगें थीं और उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ? जवाब हां में आया। मैंने फिर प्रश्न किया कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच को स्थापित करने पर सरकार क्या करने जा रही है। उसका जवाब मुझे मिला कि यह सरकार के विचाराधीन है। तो मान्यवर, मैं इससे सन्तुष्ट नहीं था और भी जितने माननीय सदस्य उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, इससे सन्तुष्ट नहीं थे क्योंकि यह सवाल बार-बार सवालों के जरिये या दफा 49 के जरिये हर सत्र में आता रहता है। सरकार इसके औचित्य को मानती है।

मौजूदा सरकार के अलावा पहले की सभी सरकारों ने इसे माना है। किसी भी सरकार ने नहीं कहा कि इसका औचित्य नहीं है या गलत है। यह सरकार मानने को तैयार नहीं है। हमेशा कहा गया कि विचाराधीन। इसलिये बताया जाय कि यह विचार कब तक जारी रहेगा ? अगर सरकार ठीक नहीं समझती है तो मना कर दे। जबाब दे कि नहीं करेंगे। हम किसी जगह पर पहुंचेंगे उससे। और करना चाहती है तो समय बतावें कि कितने दिन के अन्दर मंजूर कर देंगे। नहीं तो उससे फिर चिन्ता होती है। इस तरह के सवाल से जो नतीजा निकलता है, उससे चिन्ता होती है। उस क्षेत्र के लोगों को जो मुकदमें की दृष्टि से तकलीफें होती हैं, उसको दुहराना नहीं चाहता। दूरी की वजह से खर्च की वजह से, वकीलों की परेशानी की वजह से, बहुत सी बातें हैं, उसमें। हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिये वहां। यह जनता महसूस करती है वहां। लेकिन जब जनता के हित की बात पर भी सरकार निर्णय नहीं लेना चाहती है, तो उससे चिन्ता होती है। उसका नतीजा होता है कि उधर फिर निराशा फैलती है। यह केवल मेरठ की ही बात नहीं है।

मैं दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मेरठ का रहने वाला हूं। मेरी मन्सा यह है कि मेरठ में यह बेंच स्थापित की जाय। पश्चिमी उत्तर प्रदेश म भी इसके लिये एक ऐसी जगह छांट ली जाय। जिलों-जिलों में, मान्यवर, आज वकीलों के संघ होते जा रहे हैं। मेरठ के क्षेत्र में भी 10/11 तारीख को बहुत भारी सम्मेलन होने वाला है। उसमें वे लोग क्या निश्चय लेंगे? कहीं ऐसा न हो कि उसी तरह से निश्चय लें कि जैसे लखनऊ में हुआ। लखनऊ में अवध बार के वकील लोग एक प्रोसेशन लेकर यहां चले आये। उनकी मांग क्या थीं ? उनका कहना था कि जो बेंच लखनऊ में है उसका एक्सक्यू और कम्पलीट जुरिस्डिक्शन हो। उसके लिये उनको आन्दोलन का तरीका अपनाना पड़ा। भूख हड़ताल की भी धमकी दी है। तो उससे असंतोष बढ़ता है। जहां तक अवध बेंच का सम्बन्ध है, मैं उनका समर्थन करता हूं। जो आज की वहां बेंच है, उससे लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मन्सा है इस तरह की बेंच हासिल करने की नहीं है। विधि मन्त्री जी यहां मौजूद हैं। बदकिस्मती से मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं। हम ऐसी बेंच नहीं चाहते कि फिर वही झगड़ा पैदा हो। उन लोगों को इलाहाबाद जाना पड़े। हमारी ऐसी बेंच की मांग है जिसका कम्प्लीट जुरिस्डिक्शन हो, एक्सक्यूसिव जूरिसिडिक्शन हो। फिर इलाहाबाद का चक्कर न काटना पड़े।

[श्री बलबीर सिंह]

दूसरी बात यह है कि आज जब मैं यहां आया था तो 49 के बारे में खबर नहीं थी। मुझे तो आज पता चला कि 49 का यहां है। इलाहाबाद के एक एडवोकेट हैं, जो उन्होंने लिखा वह सब मैं यहां नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उसमें काफी समय लग जायगा। मैं सिर्फ थोड़ा यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के जो वकील हैं वे किसी भी बेंच में नहीं जाना चाहते। इलाहाबाद के वकील बड़े पावरफूल हैं। मान्यवर, इतने ज्यादा पावरफूल हैं कि कोई हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ आज तक कि जिस पर उनका असर न रहा हो। तो हम उनके सामने क्या बकत रखते हैं? मान्यवर, मैं प्रदेश के हित की भावना को रख रहा हूं। अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। वे वकील कभी न ऐसा होने देंगे। मुझे याद है, एक बार सुचेता कृपलानी जी मेरठ गयी थीं। मेरठ के वकीलों ने जब वहां एक बेंच के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि आप बड़े बेवकूफ हैं। प्राइम मिनिस्टर इलाहाबाद के होते हैं और आप यहां बेंच चाहते हैं। तो यह जो उन्होंने पम्फलेट बांटा है, हाई कोर्ट के हैं। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा।

इससे ऐसा लगता है कि इलाहाबाद में कोई षड़यन्त्र रचा जा रहा है। इलाहाबाद में उन्होंने कई एक प्रस्ताव पास किये हैं। केवल यह प्रस्ताव पास नहीं किया है कि मेरठ में कोई बेंच न खोली जाय, बल्कि यह भी प्रस्ताव पास किया कि लखनऊ की बेंच को समाप्त कर दिया जाय और इलाहाबाद में ही हाई कोर्ट रहे। जब इस तरह की भावना बनती जाती है तो इसका परिणाम दूसरा होगा। यह जो पम्फलेट मेरे पास है वह श्री जैन का लिखा हुआ है। वह कहते हैं कि मैं सहारनपुर का रहने वाला हूं और हाई कोर्ट की वकालत करता हूं। मैं उन लोगों की कठिनाइयों को जानता हूं। उन्होंने अपने पैफ्लेट में इतना ही नहीं लिखा कि मेरठ में बेंच स्थापित की जाय बल्कि यह भी मांग की है कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन होना चाहिये। आज मैं इस सदन में नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस बात को टाला गया या इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो यह भी लोगों की भावना है कि प्रदेश का विभाजन किया जाय। हमारी सरकार में कुछ ऐसे दोस्त भी है जो दूसरे विचार रखते हैं और सरकार को गुमराह करना चाहते हैं और कहते हैं कि यह पालिटिकली मोटीवेटेड है, पालिटिकल मांग है, रीजनलिज्म है, फलांना ढिकाना, तो इस बात को सरकार अच्छी तरह से सुन ले कि यह भावना लोगों में पकड़ती जा रही है।

हाई कोर्ट की बेंच के लिये ही कमेटियां नहीं बनी हैं, बल्कि मेरठ, बुलन्दशहर, सहारनपुर, आदि जिलों में विभाजन के लिये जगह जगह कमेटियां बनी हुई हैं। 11 फरवरी को मेरठ में कमेटी होने जा रही है। अतः मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इस पर गौर करें और शीघ्र बेंच स्थापित करने का फैसला करें। मैं एक बात यह भी कह देना चाहता हूं कि बराबर इस सदन में कई बातों का सहारा लिया जाता रहा है। फिर भी अगर सरकार बेंच कायम कराना चाहे तो कर सकती है और इस बात से ला मिनिस्टर साहब इंकार नहीं करेंगे कि एमलगमेशन आर्डर, 1948 में यह बिलकुल साफ लिखा है कि बेंच स्थापित की जा सकती है। फिर ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिसके कारण आप ऐसा नहीं कर सकत। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं कि आप हमेशा एक चीज का सहारा लिया करते हैं और वह है ला कमीशन की रिपोर्ट का, मैं निवेदन करूंगा कि मैंने भी उस रिपोर्ट को पढ़ा है। वह तो इलाहाबाद चले गये और इलाहाबाद के वकीलों से मिलकर एवीडेंस ले ली। उन्होंने भी अपन इन्ट्रेस्ट में यह कह दिया कि इससे इनएफीसिएन्सी हो जायगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कौन से जिले के वकीलों से पूछा, किस पब्लिक लीडर से पूछा, किस मुवक्किल से पूछा? यह तो सब बेकार की बातें हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि उनकी मांग को मंजूर किया जाय। मैं तो यह आशा ले कर आया था आज ही ला मिनिस्टर इस बात का एलान कर देंगे।

न्याय मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

माननीय, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में खोलने के सिलसिले में....

श्री बलवीर सिंह—

वकीलों ने अपने ज्ञापन में किसी भी जिले का नाम नहीं दिया है।

श्री बलराम सिंह यादव—

पश्चिम के किसी जिले में खोलने के सिलसिले में.....

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

आगरा भी है। वहां पहले भी बेंच रही है और वह राजधानी भी रही है.....

श्री बलराम सिंह यादव—

आप जरा बैठ जायें मैं आपकी भी बात कहूंगा। यह कोई नया मसला नहीं है, यह मसला बहुत वर्षों से इस प्रदेश में चल रहा है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर है। माननीय, जहां तक प्रदेश की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने का प्रश्न है इसमें कोई शासन की दो राय नहीं है कि मेरठ में अगर हाई कोर्ट की बेंच खोली जाती है तो उससे निश्चित रूप से लोगों को सस्ता और अच्छा न्याय मिलेगा। मगर केवल यही एक पहलू नहीं है और भी बहुत सी बातें जिन पर निर्णय लेने से पहले विचार करना होगा। माननीय, मुझे बड़ा दुःख है कि इस प्रश्न को एक ऐसे प्रश्न से सम्बद्ध किया जा रहा है जो बड़ा दूर्भाग्यपूर्ण है। अभी भाई बलवीर सिंह जी ने कहा कि अगर इस मांग को नहीं माना गया तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि इस प्रदेश की बंटवारे की मांग उठे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मन्त्री जी ने कहा कि और भी बातें हैं जिन पर गौर करना पड़ेगा तो वे कौन सी बातें हैं?

श्री बलराम सिंह यादव—

अभी बतलाऊंगा। मैं कह रहा था कि यह जो बात कही गयी यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है यह प्रदेश महान प्रदेश है और यहां की जनता कभी भी राम और कृष्ण की धरती को बांटने की मांग नहीं उठायेगी।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मांग तो उठ रही है। जनता चाहती है। आप जनमत कराना चाहें तो वह भी करा लें।

श्री बलराम सिंह यादव—

हो सकता है चन्द लोग यह मांग उठा रहे हों। लेकिन इस प्रश्न का उससे सम्बन्ध नहीं है। शासन का जहां तक इस सम्बन्ध म विचार है वह मैं आपके सामने संक्षेप में रखना चाहता हूं। शासन ने पहले भी इस बात से इंकार नहीं किया है कि मेरठ में बेंच नहीं स्थापित करना चाहते। शासन ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है और आगे भी विचार करेगा। माननीय, यह प्रश्न बहुत पुराना है और सम्भवतः जो हमारे बलवीर सिंह जी हैं और भी जो विपक्ष में बैठे हैं वे भी मन्त्री रह चुके हैं। उनक सामने भी यह समस्या आयी होगी और वे स्वयं जानते होंगे कि वह क्या कठिनाइयां थीं जिनकी वजह से व इस समस्या को हल नहीं कर सके। चन्द दिनों में ही एसी कौन सी दिक्कत लोगों के सामने आ गयी जिसकी वजह से इस प्रश्न को इतना तूल दिया जा रहा है कि इस प्रश्न को लेकर बंटवारे की बात भी हो सकती है।

[श्री बलराम सिंह यादव]

मान्यवर, ला कमीशन की बात आयी है। ला कमीशन से दो बार राय मांगी गयी और उसने दोनों बार हाई कोर्ट की बांच खोलने की बात नहीं मानी। केन्द्रीय सरकार ने भी अभी तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भूतपूर्व मन्त्री ने बात की थी और उन्होंने चाहा था कि हाई कोर्ट यदि इजाजत दे दे तो शासन विचार कर सकता है लेकिन उन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। आज भी उनकी स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। मैं सदन को एक बात और बताना चाहता हूं कि अगले महीने ला कमीशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुनर्गठन के बारे में विचार विमर्श करने हाई-कोर्ट जा रहा है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि पुनः उनके सामने इस प्रश्न को रखा जायगा और इसको हल कराने का प्रयास किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कह रहे हैं कि और भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से यह नहीं हो सकता और वह इसको विभाजन से जोड़ना चाहते हैं। आंध्र में जो मुल्की कानून थे उनकी वजह से वहां विभाजन की बात हो गयी। हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुले यह एक महत्वपूर्ण बात है। जीवन का हर पहलू, आर्थिक और सामाजिक, इससे सम्बन्धित है। आपने स्वीकृति के लिये कब भेजा। आप वह पत्र पढ़कर बतावें कि कौन से चीफ जस्टिस के पास भेजा और उनका क्या उत्तर आया?

श्री बलराम सिंह यादव—

अभी हाल ही में मेरठ मे हड़ताल हुई थी। उसके सिलसिले में लिखा गया था। निबन्धक हाई कोर्ट का दिनांक 2-1-1973 का पत्र है जिसमें लिखा है कि उच्च न्यायालय को जिला न्यायाधीश द्वारा सूचित किया गया है कि मेरठ बार एसोसियेशन के निर्देश पर मेरठ के वकीलों ने दिनांक 12-12-72 को हड़ताल की कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित की जाये। इस सम्बन्ध में मेरठ बार एसोसियेशन के प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 20-12-72 के प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय ने इस मांग को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया है कि उक्त मांग भारतीय ला कमीशन की तथा उच्च न्यायालय की नीति के प्रतिकूल है।

श्री मोह न लाल कपूर—

सरकार ने चीफ जस्टिस को क्या लिख कर भेजा था?

श्री बलराम सिंह यादव—

लिखित पत्र इस वक्त नहीं है। आप कहेंगे तो दिखा देंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मौखिक बात भी हुई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

ला कमीशन की रिपोर्ट तो केवल सलाह के तौर पर है। अगर आप सन्तुष्ट हैं तो सरकार सदन को आश्वासन दे कि सरकार इस विषय में सहमति प्रकट करती है और इसके लिये जो भी कदम उठाने होंगे सरकार इसी सत्र के अन्दर उठाएगी।

श्री बलराम सिंह यादव—

अगले महीने ला कमीशन इलाहाबाद आ रहा है। आपकी मांग उनके सामने रखी जाएगी और इसके लिए सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरी बात अधूरी रह गयी है। क्या सरकार सिद्धांत रूप में इसके लिये सहमत है। अगर है तो मुख्य मन्त्री जी व माननीय मन्त्री जी घोषणा करें कि उच्च न्यायालय की एक पीठ पश्चिमी जिलों में स्थापित करने के लिये सरकार इसी सत्र के अन्दर पूरा प्रयत्न करेगी।

श्री बलराम सिंह यादव---

सरकार तो प्रयत्न कर ही रही है।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)---

प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इसके लिये कितनी बार लिखा और उन्होंने प्रांतीय सरकार की सिफारिश को कितनी बार नहीं माना?

श्री उपाध्यक्ष---

आप तो काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं कि सरकार ने लिखा होगा।

श्री महीलाल---

मन्त्री जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। रिपोर्टिंग में देख लें उसमें लिखा है। माननीय मन्त्री जी बता दें कि कितनी बार केन्द्रीय सरकार को लिखा गया।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय न्याय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनहित को ध्यान में रखते हुए क्या वे और प्रदेश के मुख्य मन्त्री, प्रधान मन्त्री से पश्चिमी जिलों में इस बेंच की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव---

वह तो, मान्यवर, प्रयास किया ही जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

इलाहाबाद की बार बड़ी इनफ्लूएन्शियल बार है। वे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और इस बात का ला कमीशन ने भी विरोध किया है। तो फिर अगर दोबारा ला कमीशन को इलाहाबाद जाने की बात समझ में नहीं आती। क्या माननीय मन्त्री जी ला कमीशन से यह निवेदन करेंगे कि इलाहाबाद के अलावा मेरठ और और पश्चिमी जिलों का दौरा करें और वहां के वकीलों से भी राय लें?

श्री बलराम सिंह यादव---

यह ला कमीशन तो इलाहाबाद जायगा ही, वहां सारी बातें समझेगा, जो दिक्कतें हैं व परेशानियां हैं उसको देखेगा कि उनमें क्या सुधार होना चाहिये और अगर दूसरी जगहों पर जाने की बात होगी तो वहां भी जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

इस ला कमीशन के टर्म्स आफ रिफरेन्स क्या हैं और यह मांग जो है क्या वह ला कमीशन की परिधि में आता है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, ला कमीशन जो है वह न्यायालयों में न्याय कैसा हो इस बारे में राय देता है। स्थायी आयोग है, वह अपनी राय देता है, सुझाव देता है और उनके सुझाव मानने ही पड़ते हैं।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जब इस हक में है कि अलग बेंच बने तो क्यों नहीं कानून बनाकर इस सदन में उसके लिये लाती ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जो तरीके हैं उन्हीं तरीकों से सरकार अपना कार्य कर रही है। सरकार उन तरीकों से मसले को हल करने का प्रयास कर रही है।

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं एक नुस्खा बता दूं कि पश्चिमी जिले सारे इंडिकेट के विधायक सरकारी पार्टी से इस्तीफा दे दें तो फौरन हाई कोर्ट की बेंच वहां खुल जाय। ((हंसी)

श्री बलवीर सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो माननीय मन्त्री जी के बाद उनके जवाब देने का अधिकार है, सवाल तो इन लोगों ने कर ही लिये, लेकिन जवाब के सिलसिले में ही मैं एक सवाल यह करता हूं कि हाईकोर्ट के बीच जस्टिस से पूछना जरूरी है, ठीक है, उनके बगैर बेंच गवर्नर साहब नहीं बैठा सकते लेकिन कानून बनाने में तो कोई रुकावट नहीं है। कहा गया कि हम डीवीजन की बात क्यों करते हैं। हमारे गृहमन्त्री जी हमारा मजाक तक उड़ाते हैं लेकिन इसी तरह से आप जैसे कांग्रेसवालों ने ही डोमीनियन स्टेटस की मांग की थी तब उसका भी मजाक उड़ाया गया था और इसीलिये कम्पलीट इन्डिपेंडेंस पर जाकर वह बात रुकी। यह तो मैं गृहमन्त्री जी से कहना चाहता हूं। यह कहा गया कि हमने क्यों नहीं किया था जब हम सरकार में थे। ठीक है। उसका एक कारण है उस वक्त हमारी ऐबसालूट मैजारिटी नहीं थी। दूसरी बात हमें समय कम मिला था। तीसरे चीफ जस्टिस उस वक्त भी नहीं मानते थे। अब भी नहीं मानते हैं। लेकिन इस वक्त आपकी सरकार तो बिल्कुल ऐबसालूट मैजारिटी में है, उसको फुल पावर है। अगर आप करने के लिये तैयार हों तो आप कर सकते हैं। क्या आप उसके लिये कानून बनाने के लिये तैयार हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

अगर श्री रामजी लाल सहायक सुब्बा रेडडी बनने के लिये तैयार हों तो वह कल खुल जाय। (हंसी)

श्री बलवीर सिंह--

आप ला कमीशन का सहारा लेते हैं आप लिख दीजिये। इस कमीशन को सरकार आदेश दे सकती है। क्या आप कमीशन को पश्चिम के सभी जिलों में भेजेंगे। यह जनता का सवाल है। इसमें कमीशन की बात नहीं आनी चाहियें। इस बहस से कोई फायदा नहीं हुआ है। इलाके में निराशा फैल रही है। आप त्रिपाठी जी और इन्दिरा जी को समझायें कि कहीं मुल्की रूल वाला मामला न बन जावे। मुल्की रूल के कारण आंध्र में क्या हो रहा है। हम तोड़फोड़ नहीं चाहते हैं लेकिन जनता को रोका भी नहीं जा सकता है। तो सरकार को यह भावना पहुंचा दें कि यह सरकार के हित में है कि जल्द से जल्द यह बात मान ली जाय। मुझे दुःख है कि आज भी इस बात को टाल दिया गया है। अब आप जानें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिवविधानसभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
8 मार्च 1973

विधान सभा उत्तर प्रदेश

# नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

## राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिसद् के सदस्यों की सूची

| | | |
|---|---|---|
| 1—शिक्षा मंत्री जी | .. .. .. .. | अध्यक्ष |
| 2—राज्य मंत्री जी शिक्षा विभाग | .. .. .. | उपाध्यक्ष |
| 3—उपमंत्री जी शिक्षा विभाग | .. .. .. | सदस्य |
| 4—आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि | | सदस्य |
| 5—शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ | .. .. .. | सदस्य |
| 6—निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ | .. .. .. | सदस्य |
| 7—सूचना निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ | .. .. .. | सदस्य |
| 8—अति0 निदेशक, पंचायती राज, उ0 प्र0, लखनऊ | .. | सदस्य |
| 9—निदेशक, साक्षरता निकेतन, लखनऊ | .. .. .. | सदस्य |
| 10—संचालक, बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर, मिर्जापुर | .. | सदस्य |
| 11—अध्यक्ष, गांधी अध्ययन संस्थान, राजघाट, वाराणसी | .. | सदस्य |
| 12—अध्यक्ष, महिला समाज कल्याण केन्द्र, बहराइच | .. .. | सदस्य |
| 13—बेगम हयातुल्लाह अन्सारी, बी0 2/4, रिबर बैंक कलोनी, लखनऊ | .. | सदस्य |
| 14—श्री राजाराम शास्त्री, एम0 पी0, उपकुलपति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी | | सदस्य |
| 15—राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का एक प्रतिनिधि | .. | सदस्य |
| 16—उप शिक्षा निदेशक (उर्दू), शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0, | .. | सचिव |

———

# नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पष्ठ 25 पर)

**दिनांक 4 मई, 1970 को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद् की प्रथम बैठक के प्रस्ताव**

यह परिषद् अपना विश्वास प्रकट करती है कि देश म निरक्षरता उन्मूलन के लिये प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का व्यक्तिगत योगदान देना उसका नैतिक उत्तरदायित्व है। "प्रत्येक शिक्षित एक व्यक्ति को पढ़ाए" का न्यूनतम दायित्व होना चाहिए। सभी सेवायोजकों को, चाहे वे सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में हों अपने अधिष्ठान में शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए। मुख्य रूप से, अधिक संख्या में अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों दूसरे पेशों के सदस्यों तथा शिक्षित महिलायें, जो रोजगार में नहीं ह, जिनमें सब लोगों के पास कुछ समय बचता है, उनसे निरक्षरता उन्मूलन के इस राष्ट्रीय अभियान के कार्यान्वयन हेतु सेवाएं देने के लिये निवेदन किया जाना चाहिए। संक्षेप में, परिषद् साक्षरता हेतु एक राष्ट्रीय अभियान क संगठन के लिये संस्तुति करती ह, जो लगभग युद्ध स्तर के समान व्यापक रूप में हो, और उसका 'फालोअप' नवसाक्षरों के लिये साहित्य का प्रकाशन पुस्तकालयों की स्थापना तथा समस्त साक्षर प्रौढ़ों की शिक्षा को जारी रखने की व्यवस्था (नव साक्षरों हेतु भी) संबंधी कार्यक्रमों के द्वारा सम्पन्न हो।

2—परिषद् संस्तुति करती है कि इस वर्ष, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया है, देश को एक प्रौढ़ साक्षरता सप्ताह मनाना चाहिए जो कि इस विषय पर राष्ट्रीय जागृति की प्रेरणा देने में सहायक होगा और प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन के लिये सामूहिक, अभियान हेतु राष्ट्रीय सहयोग को गतिशील बनाएगा।

3—प्रौढ़ साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों के विनिमय और ठोस कार्यक्रमों को बनाने हेतु तथा समस्या के विभिन्न पहलुओं तथा देश में विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न वर्गों के विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अग्रगामी प्रायोजनाओं के विषय में अध्यक्ष द्वारा दिये गये सुझाव को परिषद् अनुमोदित करती है।

4—परिषद् प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में ग्राम शिक्षण मुहिम कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करती है तथा यह संतुति करती है कि प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन हेतु स्थानीय परिवर्तन के साथ इस रूप (पैटर्न) को अन्य राज्य सरकारें अपनाने के लिये विचार करें। परिषद् यह सुझाव देती है कि राज्य सरकारें इस क्षेत्र में रचनात्मक प्रस्ताव बनाएं और आरम्भ में अग्रगामी आधार पर चुने हुये क्षेत्रों म इसको कार्यान्वयन हेतु ग्रहण करें।

5—परिषद्, देश के अनेक भागों—नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ किये जाने वाले प्रस्तावित प्रौढ़ शिक्षा अग्रगामी प्रायोजनाओं तथा राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों एवं स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तावित सहायता का स्वागत करती है। अग्रगामी प्रायोजनाओं में जनता द्वारा अधिकतम भाग लेने पर अधिक बल देना होगा।

6—शिक्षा मंत्रालय द्वारा, निरक्षरता उन्मूलन को महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय समाज सेवा कार्यक्रम (नेशनल सोशल सर्विस प्रोग्राम) के मदों में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही का परिषद् स्वागत करती है तथा इसके अतिरिक्त साक्षरता के लिय प्रस्तावित सामूहिक अभियान म महाविद्यालय एवं सीनियर विद्यालय के कक्षाओं क समस्त विद्यार्थी समुदाय को सम्मिलित करन के हेतु एक निश्चित एवं अवाध अभियान चलाने की संस्तुति भी करती है। परिषद, भारत में विद्यार्थियों से अपील करती है, जिसके आदर्शवाद एवं देश प्रेम पर उन्हें पूरा विश्वास है, कि वे इस अपील पर मुस्तैद हों तथा अभियान में सम्मिलित हों।

7—परिषद् शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय से संस्तुति करती है कि युवकसेवाओं हेतु बनाए जा रहे कार्यक्रमों में निरक्षरता के उन्मूलन तथा प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम के 'फालोअप' को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

8—परिषद् यह संस्तुति करती है कि औद्योगिक अधिष्ठान-सरकारी एवं निजी-क्षेत्र दोनों अपने कर्मचारियों के लिये प्रौढ़ साक्षरता एवं प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रमों को संगठित करने में आगे आएं और इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन में सहायता प्रदान करे।

9—परिषद्, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त रेडियो समय को निर्धारित करने के सम्बन्ध में राज्य मंत्री, सूचना एवं प्रसारण के प्रस्ताव का स्वागत करती है।

10—परिषद्, जहां पुस्तकालय संबंधी कानून नहीं बने हैं वहां, नगरों, कस्बों तथा बड़े ग्रामों में जनता पुस्तकालयों को स्थापना हेतु शीघ्र कानून बनाने तथा नवसाक्षरों हेतु साहित्य और ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिये केन्द्रीय पुस्तकालय एवं सचल पुस्तकालयों पर बल देकर संस्तुति करती है।

11—परिषद्, उन लोगों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता अनुभव करती है जो प्रौढ़ साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा का कार्य करेंगे और विश्वविद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा संघों एवं अन्य संबंधित संस्थाओं से ऐसे कार्यक्रम आरम्भ करने का आग्रह करती है।

12—परिषद् 'शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय से संस्तुति करती है कि उन्हें प्रौढ़ साक्षरता एवं विशेषतया 'फालोअप' कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों स्काउटस एवं गाइड्स में और अन्य उपयुक्त संस्थाओं की सेवाओं को प्रयोग में लाने की सम्भावना पर विचार करना चाहिए।

13—परिषद्, अपना विश्वास प्रकट करती है कि बिना साक्षरता को व्यापक बनाए, परिवार नियोजन, कृषि उत्पादन, सहकारिता आदि कार्यक्रमों की उन्नति तथा गतिशीलता लाने हेतु पर्याप्त नहीं होगा, अतः यह सुझाव देती है कि इन कार्यक्रमों से संबंधित व्यय प्रौढ़ साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा के व्यय पर राष्ट्रीय पूंजी के रूप में तथा इन विभाग के स्रोतों पर उचित व्यय माना जाना चाहिए।

14—परिषद् समस्त राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद् के स्थापना की संस्तुति करती है, जिसमें सभी सम्बन्धित शासकीय विभाग तथा उस क्षेत्र की स्वैच्छिक संस्थाएं सम्मिलित की जायं।

# नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

## संलग्नक

राज्य की पांचवीं योजना कार्यक्रम के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित हैं :—

(1) बेरोजगारी एवं अर्ध–बेरोजगारी व्यक्तियों को लाभपूर्ण रोजगार देना तथा छोटे कृषकों तथा ग्रामीण शिल्पकारों को उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना ताकि उनको निजी उपभोग का न्यूनतम स्तर उपलब्ध किया जा सके ।

(रोजगार सघन कार्यक्रम)

(2) निम्नलिखित कार्यों द्वारा आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना:—

(क) विद्युत, सिंचाई एवं सड़कें जैसे आधारभूत अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण,

(ख) कृषि उत्पादन में 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि ।

(ग) औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि ।

(3) जिला स्तर पर न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) ।

(4) संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना ।

(5) जन्म दर में कमी करना ।

(6) मूल्यों को स्थिर करना ।

(7) विकास केन्द्रों (Growth Centres) तथा नगरीय क्षेत्रों का विकास ।

(8) जनता का योगदान प्राप्त करना ।

2—जहां तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रश्न है वह निम्न प्रकार है —

(क) चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना ।

(ख) परिवार नियोजन एवं बच्चों के पौष्टिक आहार को शामिल करते हुए न्यूनतम जन-स्वास्थ्य सुविधाओं का उपलब्ध कराना ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना ।

(घ) भूमिहीन श्रमिकों के लिये आवास स्थान ।

(ङ) ग्रामीण सड़कें ।

(च) ग्रामीण विद्युतीकरण, और

(छ) बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों की सफाई व उनकी उन्नति करना ।

———

# नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

| मांग | टिप्पणी |
|---|---|
| 1—मेरठ विश्वविद्यालय अध्यापक संघ को मान्यता दी जाय। | संघ को विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् मान्यता दे चुकी है। |
| 2—परीक्षा निरीक्षण एवं मूल्यांकन कार्य के पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि की जाय। | अभी मामले में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ। |
| 3—अध्यापकों की छटनी समाप्त की जाय। | इस विषय पर विश्वविद्यालय विचार करेगा। |
| 4—उप कुलपति के पूर्वानुमति के बिना कोई अध्यापक निलम्बित न किया जाय तथा स्नातक और स्नातकोत्तर कालेजों के अध्यापकों में विश्वविद्यालय ज्येष्ठता की दृष्टि से कोई अन्तर न हो। | पहली मांग से संबंधित विश्वविद्यालय का प्रस्ताव कुलपति द्वारा अस्वीकार हो चुका है। दूसरे विषय पर कुलपति का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। |
| 5—विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु वर्तमान अध्यापकों के लिये वही शैक्षिक योग्यतायें निर्धारित की जायं जो प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में निर्धारित हैं। | इस पर विश्वविद्यालय को निर्णय लेना है। |
| 6—प्रधानाचार्य अध्यापक मंडल के परामर्श से कालेज प्रशासन चलायें। | इस पर विश्वविद्यालय विचार कर रहा है। |

# नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

## प्रश्न में उद्धृत सूची

1—कन्हैया लाल इन्टर कालेज, कर्नलगंज में व्याप्त आर्थिक तथा प्रशासकीय भ्रष्टाचार समाप्त किया जाय।

2—विद्यालय को अपहृत प्रामूत सम्पत्ति निलम्बित प्रबन्धक श्री गुजर मल अग्रवाल से वापस दिलाई जाये।

3—विद्यालय के दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाय।

4—विगत वर्षों में प्राप्त विद्यालय को प्रामूत सम्पत्ति जैसे—विद्यालय के ऊपर बने चार कमरों का किराया प्राचार्य, कार्यालय से सटे हुए छः दुकानों का किराया, बाजार की अठारह दूकानों का किराया, प्रबन्धक जिसमें रह रहे हैं उस भवन का किराया तथा स्टेट बैंक कार्यालय जिसमें है उसका किराया वसूल कर विद्यालय भवन के अतिरिक्त कमरों को बनवाया जाय जिससे विद्यालय में शिक्षण 10 बजे से 4 बजे तक एक पाली में हो सके और दो पाली व्यवस्था को समाप्त किया जा सके, क्योंकि इससे हमारी जनता के बच्चों को शारीरिक तथा शैक्षिक हानि पहुंच रही है।

5—अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का सम्पूर्ण बकाया वेतन तथा भत्ता तत्काल दिया जाय।

6—टाइप मशीनों को तुरन्त बनवाया जाय क्योंकि इन्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा 6 अप्रैल को है और मशीनें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं कि उसका प्रयोग परीक्षा में किया नहीं जा सकता।

7—विद्यालय में अध्यापकों की अनुचित नियुक्ति के सम्बन्ध में दिए गए प्रार्थना-पत्र का उत्तर दिया जाय।

8—सम्बन्धित अधिकारी, प्रशासक महोदय से मैंने व्यक्तिगत तथा लिखित रूप से इन कथित न्यायोचित मांगों के सम्बन्ध में समय समय पर निवेदन करता रहा हूं किन्तु उन्होंने उपेक्षा पूर्ण ढंग से मुझे कोई भी उत्तर न तो लिखित रूप से और न मौखिक रूप से अभी तक दिया है। वह कृपया अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से दें।

9—प्रशासक महोदय की अनुत्तरदायित्व पूर्ण कर्तव्य के कारण विद्यालय के प्रशासन से मुक्त किया जाय तथा किसी अन्य सुयोग्य अधिकारी को नियुक्ति की जाय जिससे विद्यालय की आर्थिक दशा सुधारी जा सक और विद्यालय की प्रगति हो सके।

विद्यालय के प्रधानाचार्य को निलम्बित किए जाने सम्बन्धी कोई मांग नहीं थी।

---

## नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

### तालिका 'क'

जिला उद्योग अधिकारी, गोरखपुर के यहां जिन लोगों की दरख्वास्तें बाबत कच्चा माल, आयात एवं पंजियन हेतु दो माह से अधिक दिनों से पड़ी हुई हैं और जिनका निस्तारण नहीं हो पाया है उनकी सूची निम्न प्रकार है :—

**कच्चा माल**

1—मेसर्स अशोक आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल्स, चौरी चौरा, गोरखपुर।
2—मेसर्स बुनकर सहकारी समिति लि0, हुमायूंपुर, पुराना गोरखपुर, गोरखपुर।
3—मेसर्स बुनकर उद्योग सहकारी समिति लि0, जाहिदाबाद, गोरखपुर।
4—मेसर्स भारत तार उद्योग, कालेज मार्केट, बड़हलगंज, गोरखपुर।
5—मे0 विशम्भर शाह मिल्स, पी0 बी0 गंज, गोरखपुर।
6—मे0 गोरखपुर आयरन एण्ड फाउन्ड्री वर्क्स, धर्मशाला बाजार, गोरखपुर।
7—मे0 गीता प्रेस, गोरखपुर।
8—मे0 यजको इन्डस्ट्रीज, धर्मशाला बाजार, गोरखपुर।
9—मे0 कामाख्या इंडस्ट्रीज, लच्छीपुर, गोरखपुर।
10—मे0 पारस स्टील उद्योग, स्टेशन रोड, पीली कोठी, गोलघर, गोरखपुर।
11—मे0 पी0 के0 इन्टर प्राइसेज, अलीनगर नाथ, गोरखपुर।
12—मे0 सुभाष फाउन्ड्री वर्क्स, चौरी चौरा, गोरखपुर।
13—मे0 यूनाइटेड इंजीनियरिंग वर्क्स, गोलघर, गोरखपुर।
14—मे0 एसोसियेटेड मिल्स, कूड़ाघाट, गोरखपुर।
15—मे0 अग्रवाल सीमेंट जाली इन्डस्ट्रीज, विजय सिनेमा रोड, गोरखपुर।
16—मे0 अशोक कृषि उद्योग, 688 अलीनगर नाथ, गोरखपुर।
17—मे0 दुर्गा लोहा भंडार, गीता प्रेस मार्ग, गोरखपुर।
18—मे0 फैन्सी स्टील वर्क्स, घोष कम्पनी चौक, गोरखपुर।
19—मे0 हिन्दुस्तान वेल्डिंग वर्क्स, पिंडारी बिल्डिंग, रेती चौक, गोरखपुर।
20—मे0 कृष्ण इंडस्ट्रीज, स्टेशन रोड, गोलघर, गोरखपुर।
21—मे0 कृषि इंडस्ट्रीज, काजीपुर खुर्द, गोरखपुर।
22—मे0 पूर्वांचल ट्रेडर्स, मलयानिलयम, अलीनगर, गोरखपुर।
23—मे0 पी0 के0 इन्टर प्राइजेज, मुरारका मिल चौराहा, गोरखपुर।

**पंजीकरण**

24—मे0 एलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स, गोलघर, गोरखपुर।
25—मे0 धर्मनाथ प्रसाद सुभाष चन्द्र, आनन्दनगर, गोरखपुर।

26—मे0 गोरखपुर इंजीनियरिंग वर्क्स, स्टेशन रोड, गोरखपुर।
27—मे0 गोरखनाथ इंडस्ट्रीज, इन्टर प्राइजेज, पहाड़पुर, गोरखपुर।
28—मे0 कृषि यन्त्रालय, बेतिया हाता, गोरखपुर।
29—मे0 कृषि वृद्धि उत्पादन उद्योग पंडरी बुजुर्ग, महराजगंज, गोरखपुर।
30—मे0 महातम प्रसाद, पुत्र श्री मोल्हर, सिसवा बाजार, गोरखपुर।
31—मे0 माडर्न होम, बैंक रोड, गोरखपुर।
32—मे0 निजामी दवाखाना, उर्दू बाजार, गोरखपुर।
33—मे0 आर0 बी0 इंडस्ट्रीज, मुहद्दीपुर, गोरखपुर।
34—मे0 शंकर प्रिंटिंग प्रेस, रेती चौक, गोरखपुर।
35—मे0 शंकर फर्नीचर, दुघली, गोरखपुर।
36—मे0 बनारस साइकिल एण्ड रिकान, कम्पनी, रैती चौक, गोरखपुर।

## आयात

किसी भी व्यक्ति का प्रार्थना-पत्र निस्तारण हेतु जिला उद्योग अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय में अवशेष नहीं है।

---

## नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

1-1-72 से 30-11-72 की अवधि में थाना नगराम में प्राप्त चोरी, डकैती, कत्ल आगजनी, राहजनी तथा नकबजनी की घटनाओं की रिपोर्टों के बारे में सूचना :

| | जिनकी रिपोर्ट की गई | जिनमें विवेचना की गई | जिनमें विवेचना नहीं की गई | जो चालान किये गये | जिनमें अन्तिम रिपोर्ट लगी | जिनमें विवेचना हो रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| चोरी .. .. | 44 | 38 | 6 | 10 | 28 | .. |
| डकैती .. .. | 4 | 4 | .. | 4 | .. | .. |
| कत्ल .. .. | 4 | 4 | .. | 3 | 1 | .. |
| आगजनी .. .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| राहजनी .. .. | 2 | 2 | .. | 1 | 1 | .. |
| नकबजनी .. .. | 42 | 41 | 1 | 4 | 37 | .. |

# नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

## राज्य योजना आयोग के सदस्यों की सूची

| | |
|---|---|
| 1—मुख्य मंत्री .. .. .. .. | अध्यक्ष |
| 2—वित्त मंत्री .. .. .. .. | उपाध्यक्ष |
| 3—राज्य मंत्री, नियोजन .. .. .. | सदस्य |
| 4—श्री ए० सी० मित्रा (अवकाश प्राप्त प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग) गुरु कृपा—बी०—134 निरालानगर, लखनऊ। | सदस्य |
| 5—डा० गोपाल त्रिपाठी, उप कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ.. | सदस्य |
| 6—डा० आर० बी० सिंह, प्रिंसिपल, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ.. | सदस्य |
| 7—श्री डी० पी० सिंह, उप कुलपति, पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर, नैनीताल। | सदस्य |
| 8—श्री रामेश्वर प्रसाद नेवतिया शुगर मैगनेट, शुगर मिल, गोलागोकरन-नाथ, खीरी। | सदस्य |
| 9—श्री नसरुल रहमान किदवाई, ग्रा० व पो० बड़ागांव, बाराबंकी .. | सदस्य |
| 10—मुख्य सचिव .. .. .. .. | सदस्य |
| 11—अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् .. .. | सदस्य |
| 12—आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग .. .. | सदस्य |
| 13—प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग .. .. | सदस्य |
| 14—आयुक्त एवं सचिव, नियोजन विभाग। . .. | सदस्य सचिव |

## नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर )

1972 की परीक्षा में हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट में अनुचित साधन प्रयोग के विभिन्न श्रेणियों तथा अन्य कारणों से रोके गये परीक्षाफल के निस्तारण की नवीनतम स्थिति (दिनांक 15–1–1973)

| रोके जाने का कारण | हाई स्कूल परीक्षा | | | इंटरमीडिएट परीक्षा | | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रोके गये की संख्या | निर्णीत विषयों की संख्या | अनिर्णीत विषयों की संख्या | रोके गये की संख्या | निर्णीत विषयों की संख्या | अनिर्णीत विषयों की संख्या | रोके गये की संख्या | निर्णीत विषयों को संख्या | अनिर्णीत विषयों की संख्या |
| 1—केंद्र पर नकल करते हुए पकड़े जाना (सूची –क) .. | 4010 | 3923 | 87 | 2984 | 2874 | 110 | 6994 | 6797 | 197 |
| 2–परीक्षकों/ मार्जकों द्वारा शंकित (सूची ख तथा ग) .. | 13253 | 4919 | 8334 | 2987 | 1919 | 1068 | 16240 | 6838 | 9402 |
| 3–लिखित उत्तर पुस्तकों की चोरी . | 73 | 3 | 70 | 17 | — | 17 | 90 | 3 | 87 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुशासनहीनता हार, आक्रमण, तथा गोपन प्रतिरूपण आदि.. | 1947 | 920 | 1027 | 880 | 343 | 537 | 2827 | 1263 | 1564 |
| 5—अन्य कारण (प्रतिबन्धों की पूर्ति आदि न करना) .. | 1057 | 813 | 244 | 151 | 69 | 82 | 1208 | 882 | 326 |
| 6—न्यायालय के आदेश पर अस्थायी रूप से सम्मिलित | 170 | 94 | 76 | 60 | 33 | 27 | 230 | 127 | 103 |
| योग .. | 20,510 | 10,672 | 9,838 | 7,079 | 5,238 | 1,841 | 27,589 | 15,910 | 11,679 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

## तालिका

वर्ष 1971–72 के पेराई सीजन में उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की औसत रिकवरी (परता) चीनी का ब्योरा।

| क्रम सं0 | नाम चीनी मिल | औसत रिकवरी चीनी | क्रम सं0 | नाम चीनी मिल | औसत रिकवरी चीनी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | इकबालपुर | 9.23 | 29 | धामपुर | 9.40 |
| 2 | डोई वाला | 8.75 | 30 | सेवहारा | 9.48 |
| 3 | देवबन्द | 9.60 | 31 | बिजनौर | 9.04 |
| 4 | लक्सर | 9.42 | 32 | रोजा | 8.94 |
| 5 | सहारनपुर | 9.14 | 33 | रजाबुलन्द | 8.99 |
| 6 | सरसावां | 9.00 | 34 | हरदोई | 9.26 |
| 7 | मन्सूरपुर | 9.54 | 35 | हरगांव | 9.85 |
| 8 | खतौली | 9.86 | 36 | महोली | 8.98 |
| 9 | रोहाना | 9.06 | 37 | बिसवां | 9.24 |
| 10 | शामली | 9.33 | 38 | गोला | 9.28 |
| 11 | सखौती | 9.42 | 39 | ऐटा | 9.77 |
| 12 | दौराला | 10.09 | 40 | पलिया | 7.96* |
| 13 | जसवन्त | 9.55 | | सम्पूर्ण मध्य क्षेत्र | 9.33 |
| 14 | मोहीउद्दीनपुर | 9.68 | 41 | बाराबंकी | 8.80 |
| 15 | बेगमाबाद | 10.05 | 42 | बुढ़वल | 9.42 |
| 16 | सिम्भौली | 10.09 | 43 | मसोधा | 8.55 |
| 17 | भवाना | 10.15 | 44 | शाहगंज | 9.72 |
| 18 | बागपत | 9.75 | 45 | ओराई | 8.48* |
| 19 | बुलन्दशहर | 9.19 | 46 | खलीलाबाद | 9.93 |
| | सम्पूर्ण पश्चिमी क्षेत्र | 9.61 | 47 | मन्डेरवा | 9.55 |
| 20 | काशीपुर | 9.45 | 48 | बस्ती | 9.87 |
| 21 | बाजपुर | 9.85 | 49 | वाल्टरगंज | 9.75 |
| 22 | न्योली | 9.30 | 50 | बभनान | 9.60 |
| 23 | अमरोहा | 8.79 | 51 | नवाबगंज | 9.41 |
| 24 | बिलारी | 8.60 | 52 | तुलसीपुर | 9.34 |
| 25 | बहेड़ी | 9.31 | 53 | बलरामपुर | 9.46 |
| 26 | बरेली | 9.37 | 54 | जरवलरोड | 8.71 |
| 27 | पीलीभीत | 9.23 | 55 | परतावपुर | 9.20 |
| 28 | मझोला | 9.90 | 56 | बैतालपुर | 9.40 |

*पलिया व औराई चीनी मिलों ने वर्ष 1971–72 के पेराई सीजन में केवल ट्रायल रन किया।

| क्रम सं0 | नाम चीनी मिल | औसत रिकवरी चीनी | क्रम सं0 | नाम चीनीमिल | ओसत रिकवरी चीनी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | गौरीबाजर | 9.78 | 67 | सेवहारा | 9.66 |
| 58 | देवरिया | 9.52 | 68 | भटनी | 9.42 |
| 59 | कैप्टेनगंज | 9.17 | 69 | सरदारनगर | 9.62 |
| 60 | खड्डा | 9.33 | 70 | पिपराइच | 9.07 |
| 61 | छितौनी | 8.80 | 71 | घुघली | 8.88 |
| 62 | लक्ष्मीगंज | 8.98 | 72 | सिसवाबाजार | 9.33 |
| 63 | रामकोला (पी) | 9.40 | 73 | फरेंदा | 9.47 |
| 64 | रामकोला (के) | 9.15 | | सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र | 9.32 |
| 65 | पडरौना | 8.74 | | | |
| 66 | कठकुइयां | 9.28 | | | |

सारांश 1–सम्पूर्ण पश्चिमी क्षेत्र 9.61, 2–सम्पूर्ण मध्य क्षेत्र 9.33, 3–सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र 9.32, 4–सम्पूर्ण राज्य 9.43

## नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

## पाठ्य पुस्तकों का विवरण

वर्ष 1971–72 में उर्दू लिपि में मुद्रित/प्रकाशित कराई गई राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का विवरण

| क्रम सं0 | पुस्तक का नाम | प्रकाशक/मुद्रक का नाम जिसके द्वारा पुस्तक मुद्रित/प्रकाशित कराई गई | मद्रित/प्रकाशित कराई गई प्रतियों की संख्या | बिकी हुई प्रतियों की संख्या | शेष बची प्रतियों की संख्या | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | कक्षा 1 | | | | |
| 1 | बेसिक रीडर, भाग 1 | .. मेसर्स अहबाब पब्लिशर्स, लखनऊ | 40,000 | 26,000 | 14,000 | |
| | | कक्षा 2 | | | | |
| 1 | बेसिक रीडर, भाग 2 | .. मेसर्स नामी प्रेस, लखनऊ | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 2 | बेसिक अंकगणित भाग 2 | .. अदारा फरोगे उर्दू, लखनऊ | 15,000 | 15,000 | .. | |
| | | कक्षा 3 | | | | |
| 1 | बेसिक रीडर भाग 3 | .. मेसर्स खूर्शीद बुक डिपो, लखनऊ | 25,000 | 9,000 | 16,000 | |
| 2 | बेसिक अंकगणित भाग 3 | .. मेसर्स सिद्दीकी बुक डिपो, लखनऊ | 20,000 | 2,000 | 18,000 | गतवर्ष का अवशेष स्टाक भी था। |
| 3 | कृषि और सरल विज्ञान, भाग 1 | .. मेसर्स लीथो कलर प्रिंटर्स, अलीगढ़ | 20,000 | 2,000 | 18,000 | ,, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **कक्षा 4** | | | | |
| 1 | बेसिक रीडर, भाग 4 .. | मेसर्स प्रिंटर्स एंड प्रिंटर्स, लखनऊ | 25,000 | 5,000 | 20,000 | |
| 2 | बेसिक अंकगणित भाग 4 .. | मेसर्स रज्जा की प्रेस कानपुर | 25,000 | 6,000 | 19,000 | |
| 3 | कृषि और सरल विज्ञान, भाग 2 .. | .. | .. | .. | | वांछित मात्रा में गतवर्ष का अवशेष स्टाक होने के कारण इस वर्ष मुद्रित/प्रकाशित नहीं कराई गई। |
| | | **कक्षा 5** | | | | |
| 1 | बेसिक रीडर, भाग 5 .. | मेसर्स हिन्दुस्तान प्रिंटिग प्रेस, लखनऊ | 25,000 | 22,000 | 3,000 | |
| 2 | बसिक अंकगणित भाग 5 .. | सैयद सखावत हुसेन इख्तियार अली, आगरा। | 10,000 | 2,000 | 8,000 | |
| 3 | कृषि और सरल विज्ञान, भाग 3 .. | मेसर्स रज्जाकी प्रेस, कानपुर | 10,000 | 2,000 | 8,000 | |
| | | योग, .. | 2,55,000 | 1,11,000 | 1,44,000 | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ठ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

## उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासकीय शाखा) के उन अधिकारियों की सूची जो पिछले दस वर्ष से लखनऊ में तैनात हैं

| क्रम सं० | अधिकारी का नाम | वर्तमान तैनाती | तिथि जब से लगातार लखनऊ में तैनात है | मन्तव्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री मुहम्मद फारूक अली खां | अतिरिक्त आयुक्त, बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 2-9-71 | 18-12-1955 | |
| 2 | श्री राज इन्द्र वर्मा | संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 3-7-72 | 23-5-1962 | |
| 3 | श्री शरत चन्द्र | संयुक्त संचालक, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 15-12-71 | 10-1-1962 | |
| 4 | श्री देवी दत्त जोशी | वैयक्तिक सहायक, प्रधान प्रबन्धक उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम, लखनऊ। 1-6-72 | 16-8-1962 | |

# नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

## आजमगढ़ जनपद के हायर सेकेण्ड़री स्कूलों को वर्ष 1966 से 1970 तक भवन निर्माण व विज्ञान हेतु स्वीकृत अनुदान का विवरण

| क्रम-संख्या | विद्यालय का नाम | स्वीकृत अनुदान | | |
|---|---|---|---|---|
| | | भवन | विज्ञान प्रयोगशाला | विज्ञान उपकरण |
| | | **वर्ष 1966** | | |
| 1 | बी 0 डी 0 आर 0 इन्टर कालेज, खरगपुर | 10000–00 | .. | .. |
| 2 | सर्वोदय इन्टर कालेज, घोसी .. | 10000–00 | .. | .. |
| 3 | निसवां बालिका विद्यालय, पहाड़पुर .. | 15000–00 | .. | .. |
| 4 | मुस्लिम इण्टर कालेज, मऊनाथभंजन .. .. | | .. | 10000–00 |
| 5 | बाबा हरिहर दास इण्टर कालेज, शेरपुर कुटी, चिरेयाकोट । .. | 5000–00 | .. | .. |
| 6 | गांधी इण्टर कालेज, मारचपुर .. | 5000–00 | .. | .. |
| 7 | जनता इण्टर कालेज, ठेकमा बिजौली | 5000–00 | .. | .. |
| 8 | किसान मजदूर इण्टर कालेज, ओरा .. | 5000–00 | .. | .. |
| 9 | नेशनल उ 0 मा 0 विद्यालय, मुहम्मदपुर सदर । | 5000–00 | | .. |
| 10 | तरुण इण्टर कालेज, कुण्डा कुचाई | 5000–00 | .. | . |
| 11 | गांधी इण्टर कालेज, कूवा, दरियापुर नेवादा । | 5000–00 | .. | .. |
| 12 | जनता इण्टर कालेज, निजामाबाद .. | 5000–00 | .. | .. |
| 13 | पंचायत उ 0 मा 0 विद्यालय, मौरामेंहनगर | 5000–00 | .. | .. |
| 14 | श्री दुर्गा जी इण्टर कालेज, चण्डेसर .. | 5000–00 | .. | .. |
| 15 | ग्राम समाज इण्टर कालेज, जयनगर जिगनी । | 6000–00 | .. | .. |
| 16 | पीरपुर सार्वजनिक उ 0 मा 0 विद्यालय, मितूपुर । | 5000–00 | .. | .. |
| 17 | गयादीन जायसवाल इण्टर कालेज, खूरासों .. | 5000–00 | .. | .. |

| क्र० सं० | विद्यालय का नाम | स्वीकृत अनुदान | | |
|---|---|---|---|---|
| | | भवन | विज्ञान प्रयोगशाला | विज्ञान उपकरण |
| 18 | जनता इण्टर कालेज, अम्बारी .. | 5000-00 | .. | .. |
| 19 | श्री मथुरा इण्टर कालेज, नाहरपुर .. | 5000-00 | .. | .. |
| 20 | बी० डी० आर० इण्टर कालेज, खरगपुर | 5000-00 | .. | .. |
| 21 | श्री अग्रसेन कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, आजमगढ़ | 7500-00 | .. | .. |
| | **वर्ष 1967** | | | |
| 1 | नेशनल इण्टर कालेज, अदरी इन्दारा .. | .. | 6000-00 | .. |
| 2 | पंचायत उ० मा० विद्यालय, रेण्डा .. | 3000-00 | .. | .. |
| 3 | गांधी इण्टर कालेज, बरदह .. | .. | 24000-00 | .. |
| 4 | श्री शंकर जी इण्टर कालेज, पुष्पनगर | .. | .. | 4000-00 |
| 5 | ग्राम समाज इण्टर कालेज, जयनगर, जिगमी । | .. | .. | 4000-00 |
| 6 | विक्ट्री इण्टर कालेज, दोहरीघाट .. | .. | .. | 4000-00 |
| 7 | विन्देश्वरी इण्टर कालेज, तुलसीनगर .. | .. | .. | 4000-00 |
| | **वर्ष 1968** | | | |
| 1 | बेरूली इण्टर कालेज, आजमगढ़ .. | .. | 24000-00 | .. |
| 2 | विक्ट्री इण्टर कालेज, दोहरीघाट .. | .. | 24000-00 | .. |
| 3 | ब्रह्मर्षि रामकृष्ण इण्टर कालेज, वलीदपुर | .. | .. | 18000-00 |
| 4 | सन्त विनोबा इण्टर कालेज, सिपाह .. | .. | .. | 300-00 |
| 5 | सुभाष इण्टर कालेज, करसिया .. | 3500-00 | .. | .. |
| 6 | सर्वोदय इण्टर कालेज, घोसी .. | .. | 6000-00 | .. |
| 7 | जनता शिक्षा निकेतन इण्टरकालेज, दुबारी । .. | .. | 6000-00 | .. |
| | **वर्ष 1969** | | | |
| 1 | गांधी इण्टर कालेज, दरगाह .. | 3000-00 | .. | .. |
| 2 | राष्ट्रीय इण्टर कालेज, चिरैयाकोट .. | .. | .. | 3000-00 |
| 3 | श्री शंकर जी इण्टर कालेज, पुष्पनगर .. | .. | 6000-00 | .. |
| | **वर्ष 1970** | | | |
| 1 | श्री शंकर जी इण्टर कालेज, डीहा | 3000-00 | .. | .. |
| 2 | गांधी इण्टर कालेज, बरदह .. | 4000-00 | .. | .. |
| 3 | विक्रम इण्टर कालेज, मुहम्मदपुर सगड़ी | 3000-00 | .. | .. |
| 4 | बाबा देवनाथ राव इण्टर कालेज, खरगपुर, । | .. | .. | 3600-00 |

## नत्थी 'ढ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 79 पर।)

# उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

## विधेयक

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1970 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1970 में, धारा 2 की उपधारा (1) में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "साढ़े तीन वर्ष" रख दिये जायं।

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनिय , 1970 द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों को तीन वर्ष की अवधि के लिये जिला परिषद् तथा उसके अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निर्वहन तथा कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार दिया गया है। उक्त अवधि 22 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाली है। चूंकि उक्त दिनांक के पूर्व जिला परिषदों का निर्वाचन पूर्ण होना सम्भव नहीं है, अतएव यह प्रस्ताव है कि जिला परिषदों की वर्तमान व्यवस्था के कार्यकाल को छः माह की अग्रेतर अवधि के लिये अथवा जिला परिषदों का पुनः संघटन होने तक, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ा दिया जाय।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

**बलदेव सिंह आर्य,**

सामुदायिक विकास मन्त्री।

सत्यमेव जयते

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 335 एल0 ए0—1973—835।